

आदर्श साहित्य सघ प्रकाशन

७० महावीर व्यक्तित्व और विचार

हो सकती है, जिसके लिए न सेना की अपेक्षा रहती है और न रण-यात्रा की ।

सन्दर्भ

- १ उत्तरज्जयाणाणि ६।३४
- २ भाष्यारो ३।३।५५

आधी वज्रश्री



महावीर  
वज्रश्री

मूल्य : तीन रूपए / प्रथम संस्करण, १९७८ /  
प्रकाशक कमलेश चतुर्वेदी, प्रबन्धक, आदर्श साहित्य सघ,  
चूरु (राजस्थान) / आर्थिक सौजन्य स्वर्गीय माणकचन्दजी  
साखला की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री दीपचन्द साखला,  
लाडनू (राजस्थान) / मुद्रक रूपाम प्रिंटर्स, दिल्ली-३२

---

MAHAVIR VYAKTITVA AUR VICHAR Sadhvi Kanak Shri

## आशीर्वचन

भगवान् महावीर इस युग के चौबीसवें धर्म-प्रवर्तक हैं। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व नि सीम है। शब्दों में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वे उसे अभिव्यक्ति दे सकें, फिर भी अभिव्यक्ति का दूसरा माध्यम न होने के कारण लेखक और कवि अपनी क्षमता और सामग्री के अनुरूप उसको उजागर करने का प्रयत्न करता है।

साध्वी कनकश्री ने भी अपनी लेखनी की नोक से भगवान् महावीर के दर्शन की स्पष्ट या अस्पष्ट आकृति उतारने का प्रयत्न किया है। प्राञ्जल भाषा और सुबोध शैली रूप तटो में भगवान् महावीर के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और दर्शन की त्रिवेणी 'भगवान् महावीर व्यक्तित्व और विचार' इस अभिधा से सकलित निबन्ध-संग्रह में प्रवाहित हो रही है। सुधी पाठक इसके माध्यम से महावीर-दर्शन की गरिमा और गभीरता से परिचित होकर लेखिका के क्षम को सार्थक करेंगे तथा अपने जीवन को भी तदनुरूप मोड देने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा विप्रवास है।

सुजानगढ़

३६ फरवरी, १९७८

आचार्य तुलसी



## प्राथमिकी

महासिन्धु को देखने का एक ही कोण नहीं होता। हजारो-हजारो लोग उसे नाना कोणो से देखते हैं और सब उसे अनत अनुभव करते हैं। महान आत्मा का जीवन भी ऐसा ही होता है। उसकी प्रत्येक दिशा अनत होती है। मनुष्य जानता है कि अनत का अत उपलब्ध नहीं हो सकता है, फिर भी वह अनत के अत पाने के लोभ का सवरण नहीं कर पाता। साध्वी कनकश्री जी भी अपने लोभ का सवरण नहीं कर सकी। फलत अप्राप्य को मापने का उनका प्रयत्न जनता के सामने प्रस्तुत है। इस प्रयत्न में उनकी निष्ठा मुखर हुई है और वाच्य साकार। उन्होंने भगवान् महावीर को व्यक्तित्व और विचार के कोण से देखा है। अच्छा होता यदि वे भगवान् को अनुभव के कोण से देखती। महावीर अनुभव के धरातल पर जिए थे। विचार से निर्विचार और विकल्प से निर्विकल्प के तल पर उनके अनुभव प्रस्फुटित हुए थे। अनुभव के स्तर पर पहुँचकर अनुभव को पकड़ना सबके लिए सुलभ नहीं होता। इसीलिए अनुभव को भी विचार का परिवेश देना होता है। सभव है यही पथ अपनाया गया हो।

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा प्राजल और प्रतिपाद्य स्पष्ट है। साध्वी कनकश्री जी अपने प्रयास में सफल हुई हैं। भगवान् महावीर को देखने-परखने और समझने में यह पाठक को निश्चित ही सहयोग देगी।

सुजानगढ़

१७ फरवरी, १९७८

मुनि नथमल





## स्वकथ्य

साधना, अध्ययन एव अनुशीलन जहा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योगभूत बनते हैं, वहा उसकी अभिव्यक्ति के सक्षम माध्यम हैं वक्तृत्व और लेखन ।

साधना मेरे जीवन का अभिन्न अंग है ही, अध्ययन भी मेरी रुचि का विषय रहा है । परम श्रद्धास्पद गुरुदेव के श्रीचरणों में बैठकर मुझे लम्बे समय तक अध्ययन-अनुशीलन का अवसर भी मिला । भाषण के प्रति अत्यधिक रुझान नहीं होते हुए भी मैंने उसकी उपेक्षा नहीं की । लेकिन लेखन के प्रति मैं सदा उदासीन ही रहा करती थी । आचार्य-प्रवर ने अनेक बार मुझे लिखने के लिए प्रेरित भी किया, पर न जाने क्यों, चाहते हुए भी मैं प्रभु की असीम अनुग्रह भरी उस प्रेरणा को क्रियान्वित नहीं कर सकी । सभवतः अन्तर्मन में निर्मित ग्रन्थिया ही इसका कारण हों ।

वि० स० २०२१, वीकानेर चातुर्मास । महासभा द्वारा आयोजित 'जैन दर्शन और संस्कृति परिपद्' में मेरे सभी सहपाठी साधु-साध्वियों ने शोध-प्रवचन लिखे-पढ़े । मैंने नहीं पढा । आचार्यवर ने इसके लिए कडा जलाहना दिया और शोध-प्रवचन पढने का कारण पूछा ।

मैं रघु-से स्वर में इतना ही कह पायी—“मैंने लिखा तो था ” आचार्यश्री की अन्तर्वेधी दृष्टि ने मेरे मानस को पढ लिया । मुझे निकट बुलाया । हृदय का असीम वात्सल्य उडेलते हुए, अपने हाथ से 'कवल' प्रदान किया और कहा—“अब लिखने में गति करनी है ।”

तब से लेखन के प्रति मेरी शिक्षक कम होने लगी और मैंने कुछ-कुछ

लिखना प्रारम्भ कर दिया ।

सम्बत् २०२३ वीदासर चातुर्मासि । श्रद्धास्पद गुरुदेव के सान्निध्य मे नव सम्पादित 'आयारो' की वाचना का क्रम चला । वाचना मे सम्मिलित होने वाले साधु-साध्वियों के लिए, प्रत्येक अध्ययन की परिसमाप्ति पर एक निवध लिखना अनिवार्य था, अन्यथा वह वाचना मे सम्मिलित नहीं हो सकता था । अब तो मेरे लिए न लिखने का कोई विकल्प ही नहीं रहा । मैं जैसे-तैसे लिखती और अपने निवध को प्रस्तुत करती । लेकिन मुनिश्री नथमलजी स्वामी ने, समीक्षा के समय मेरे साधारण से साधारण निवध को भी सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया । फलत मेरा आत्म-विश्वाम बढ़ा और मैं समय-समय पर अपने विचारो को लेखनी के माध्यम से नि सकोच अभिव्यक्ति देने लगी । आचार्य-प्रवर की सतत प्रेरणा और मुनिश्री नथमलजी के प्रोत्साहन-सवर्द्धन की ही एक छोटी-सी निष्पत्ति है प्रस्तुत पुस्तक—'महावीर : व्यक्तित्व और विचार', जो समय-समय पर लिखे गए इक्कीस निवधो का सकलन है ।

महावीर का दर्शन देश और काल की सीमा से निर्वाध है । उनके तत्त्व-चिन्तन की मूल्यवत्ता मार्वादिक् और सार्वत्रिक है । उन्होने जहा मानवीय मूल्यो की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, वहाजीवन और जगत् के सूक्ष्मतम रहस्यो को उद्घाटित करने वाली ऐसी दृष्टिया भी प्रदान की, जिनके आलोक मे हम यथार्थ की सम्यक् अवगति कर सकते हैं और जीवन की जटिलतम गुटिययो को सुगमता से सुलझा सकते हैं ।

आगम-साहित्य के आलोक मे मैंने महावीर के व्यक्तित्व और विचार-दर्शन को जानने-समझने का प्रयास किया । उसका मूल-स्रोत आचाराग सूत्र रहा है, जिसके तलस्पर्शी अध्ययन ने मेरे चिन्तन को परिस्पन्दित किया और वह लेखनी का विषय बन गया । कही-कही अन्य आगमो एव उनके व्याख्या-साहित्य का भी मैंने आलम्बन लिया है ।

महावीर का प्रभास्वर, व्यक्तित्व उनके विचार-दर्शन मे स्पष्ट अभिव्यक्त है, अत मैंने उसे अलग से स्थापित करने की अपेक्षा नहीं समझी । वह स्वत उभर आया है, उनके अप्रतिम तत्त्व-दर्शन मे ।

युगीन सन्दर्भो के परिप्रेक्ष्य मे महावीर के व्यक्तित्व और विचार-

दर्शन को प्रस्तुत करने में मैं कहा तक सफल हो सकी हूँ, इसका निर्णय तो सुधी पाठक ही कर सकेंगे।

युग-प्रधान आचार्यश्री तुलसी का मगल आशीर्वाद सदा मेरे पथ को आलोकित करता रहा है। मुनिश्री नथमलजी स्वामी का प्रोत्साहन और साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी का जो मार्गदर्शन मिलता रहा, वह चिर-स्मरणीय रहेगा।

श्रीमती निर्मला दूगड का सम्पादन-सहयोग, कुमारी सुमन छाजेड और सुशीला बोरड का मनोयोगपूर्वक लेखन एवं अधिग्रहण मेरे कार्य को सुगम बनाते रहे। दीपचन्द साखला की पुस्तक को अतिशीघ्र प्राप्त करने की तत्परता ने मुझे त्वरता से कार्य करने को विवश किया। अतः मैं अपनी सफलता में इन सबको श्रेयोभागी मानती हूँ, इन सब नवोदित प्रतिभावों के परिस्फुरण की मगल कामना करती हूँ।

सरदारशहर

साध्वी कनकश्री

२ अक्तूबर, १९७७



## अनुक्रम

१	वर्तमान परिवेश महावीर के निर्देश	१
२	महावीर की साधना का दार्शनिक आधार	५
३	अस्पर्शयोगी महावीर	९
४	सवस्त्र और निर्वस्त्र साधना के सेतु महावीर	१४
५	स्वतंत्र चेतना के सजग प्रहरी महावीर	२०
६	तपोयोग महावीर की दृष्टि में	२६
७	मानवीय एकता के उद्गाता महावीर	३३
८	महावीर की वैज्ञानिक देन स्याद्वाद	३९
९	गांधी का सत्याग्रह महावीर का अनाग्रह	४५
१०	अपनी छाया अपना दर्पण	५०
११	मन का अधेरा रोशनी का पहरा	५५
१२	आनन्द की राह	६१
१३	साम्ययोग की निष्पत्ति	६६
१४	रूपान्तरण बाहर और भीतर का	७१
१५	विज्ञान की उड़ान अध्यात्म का नियंत्रण	७८
१६	धर्म का प्रतिष्ठान	८३
१७	आचाराग और गीता का अनासक्ति-योग	८७
१८	हिंसा की प्रेरक शक्ति आतुरता	९१
१९	महावीर की सध-व्यवस्था प्रारूप और विकास	९५
२०	जैन आचार-शास्त्र (१)	१०४
२१	जैन आचार-शास्त्र (२)	११६





महावीर : व्यक्तित्व और विचार





## वर्तमान परिवेश : महावीर के निर्देश

जिन युग-पुरुषो ने अपने गहन चिन्तन और अध्यात्म-दर्शन से युग-चेतना को प्रभावित किया, उनमें भगवान् महावीर का नाम अत्यन्त आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वह इसलिए कि उन्होंने युग की भाषा में प्राण भरे थे, युग की गति को नया मोड़ दिया था और प्रचलित अथहीन युगीन-मूल्यों को बदलकर नये मूल्यों की स्थापना की थी।

उनका चिन्तन किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और सम्प्रदाय में प्रतिबद्ध नहीं था। उसमें लोक-मंगल की भावना सन्निहित थी। इसीलिए आज २५०० वर्ष के पश्चात् भी उनका वह सम्यक् चिन्तन भारतीय अध्यात्म-संस्कृति की पावन धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुका है।

जातिवाद, सम्प्रदायवाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के विकराल अजगरों से सन्नस्त विश्व-समाज आज भी उनके अहिंसा, समता और अपरिग्रह-दर्शन से सही दिशादृष्टि प्राप्त कर सकता है।

सम्प्रदाय या जातिवाद के आधार पर समाज का जन्मजात विभाजन करने वाली अनुचित और अवैज्ञानिक परम्परा के विरुद्ध उन्होंने कर्मणा-जाति के न्याय-सगत और बुद्धि-गम्य सिद्धान्त का प्रतिपादन कर, समग्र मनुष्यता को एकता के धागे में आबद्ध किया। थोड़े आदर्शवाद और सिद्धान्तवाद के विपरीत उन्होंने अपने चिन्तन के लिए व्यावहारिक घरातल प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे पहले स्वयं को और स्वयं के परिवेश को अपनी अध्यात्म-अनुभूतियों की प्रायोगिक कसौटी पर कसा और फिर

## २ महावीर व्यक्तित्व और विचार

उनको जन-जन तक पहुँचाया ।

उन्होंने अपने धर्म-संघ में उन सबको प्रवेश दिया, जिनके मानस में सत्य-सधित्सा और आत्मोदय की तीव्र अभीप्सा थी। उसके लिए उन्होंने जातीयता को व्यवधान नहीं माना, अपितु आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस युग में श्रमण और ब्राह्मण की जन्मजात शत्रुता प्रसिद्ध थी, उस युग में श्रमण-परम्परा के उस वर्चस्वी नेता ने ग्यारह ब्राह्मण विद्वानों को अपने शिष्य-परिवार में सर्वोपरि स्थान देकर एव अपनी संघ-व्यवस्था की वागडोर उनके हाथों में सौंपकर महान सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया। महावीर ने चाण्डाल मुनि हरिकेशी की तप नाधना की श्रेष्ठता का उद्धोष कर दलित-वर्ग को उसके अस्तित्व और कर्तृत्व का बोध दिया। इससे अभिजात वर्ग की अस्मिता चरमरा उठी।

अनेक-अनेक सम्राट् तथा धनकुवेर व्यक्ति उनके अनुयायी तथा भक्त थे, फिर भी उनकी श्रेष्ठता का वखान न करते हुए, महावीर ने शूद्र साधनों से उपलब्ध दैनिक अत्यल्प आय (उस युग के रुपये का एक तिहाई भाग) से अन्तस्तुष्टिपूर्वक जीवन-निर्वाह करने वाले 'पूणिया' श्रावक की सराहना की अपनी विशाल परिपद् में और उनके हाथ से भिक्षा प्राप्त कर उसको तथा उमकी कुटिया को कृतार्थ किया। इससे सत्ता और वैभव के बटखरो से व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा को तोलने वाले समाज-विरोधी तत्त्वों में उन्होंने एक हलचल-सी पैदा कर दी।

अपने धनिक अनुयायी वर्ग को अर्जन के साथ विमर्जन का नूत्र देकर उन्होंने आर्थिक आधार पर पनपने वाली सामाजिक विपमता का वटिष्कार किया।

पूजीवाद के विरुद्ध उनके जो स्वर मुखरित हुए, उनमें समाजवाद की सही परिकल्पना के दिग्दर्शन होते हैं। उन्होंने शोषण, उत्पीड़न और अतिसग्रह जन्य समस्याओं के समाधान-हेतु व्यक्ति-व्यक्ति को आत्म-तुला की दृष्टि प्रदान की। व्यक्ति दूसरे के साथ घोखाघड़ी, छलना, प्रवचना और अनैतिक व्यवहार तब करता है, जब वह स्वार्थ-चेतना से परिक्रान्त होता है। महावीर ने व्यक्ति के अन्तर् में समानुभूति की लौ प्रज्वलित करते हुए कहा—

“तुम सि नाम सच्चेव, ज हतव्वति मन्नसी”

—पुरुष, तू जिसको मारना चाहता है, जिसको धोखा देना चाहता है, जिसका उत्पीड़न और शोषण करता है, वह तू ही तो है। क्या कोई व्यक्ति स्वयं का अहित करना चाहता है ?

उन्होंने इस आत्मानुभूति की सुदृढ भूमिका पर नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हुए कहा—

“वय च विंत्ति लब्भामो, ण य कोइ उवहम्मइ”<sup>२</sup>

—हम अपना जीवन-निर्वाह भी ऐसे करें जिससे दूसरो के स्वार्थों का उपहनन न हो।

जिमकी आत्मानुभूति प्रखर हो जाती है, उसकी स्वार्थ-चेतना में विश्व-चेतना प्रतिबिम्बित होने लगती है, इसलिए वह दूसरो के अहित की कल्पना भी नहीं कर सकता। शोषण, सग्रह आदि के विपरीते अक्रूर उसकी मनोभूमि में प्रस्फुटित हो ही नहीं सकते। उसके चिन्तन की धारा भी बदल जाती है। वह सामाजिक जीवन में अर्थ की अनिवायंता को स्वीकार करता हुआ भी उसे अतिरिक्त महत्त्व नहीं देता। अर्थ को ही सब कुछ नहीं मानता। इसीलिए वह अर्जन के अनुचित स्रोतों पर स्वतः नियन्त्रण स्थापित कर लेता है, जिससे औरो का हित विघटित न हो। अर्थ के अतिरिक्त-सग्रह की प्रेरणा है आकाशाओं का असीमित विस्तार और प्रतिष्ठा की कृत्रिम भूख। महावीर ने उनकी समानान्तर रेखा के रूप में सयम और त्याग को प्रतिष्ठित किया। जिमके मानस में सयम और त्याग की प्रतिष्ठा हो जाती है, वह अपनी अपेक्षाओं की आपूर्ति के लिए दूसरो की अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। अपनी तृप्ति के लिए दूसरो के जीवन-रस का शोषण नहीं करता, अपितु अपने जीवन के मधु-क्रोप को मुक्क हाथों से वह निरन्तर वाटता रहता है। अपने स्वत्व के विसर्जन में ही वह अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति करता है। वह यह मानकर चलता है कि जो अपने स्वत्व को वाट-वाटकर भोगना नहीं जानता वह समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकता—

“असविभागी न हु तस्स मोक्खो”<sup>३</sup>

—उन्होंने ममत्व-मुक्ति का सूत्र देकर, परिग्रह से चिपके न रहने की

## ४ महावीर व्यक्तित्व और विचार

प्रेरणा दी—

“परिगहाओ अप्पाण अवसक्केज्जा”<sup>१</sup>

मैं समझती हूँ आज जो जमाखोरी, मुनाफाखोरी और तस्करी की घातक व्याधियों से समाज का अग-अग जीर्ण-शीर्ण हो रहा है, उसका सही उपचार भगवान् महावीर के अहिंसा और अपरिग्रह दर्शन में ही ढूँढा जा सकता है, अन्यथा हम देश-व्यापी सकट से अध्यात्म-प्रधान भारत की गौरवमयी सस्कृति और उज्ज्वल परम्पराओं को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है। मात्र कानून और शक्ति-प्रयोग से इस क्षेत्र में सफल हो सकेंगे—यह भी व्यर्थ की कल्पना ही होगी। इसके लिए अपेक्षा है व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय-परिवर्तन और मनोभूमि के निर्माण की। यह तभी संभव हो सकता है जबकि व्यक्ति का विवेक जागृत हो। तब उसे अनचाहे विधि-निषेधों की भूल-भूलैया में भटकना नहीं पड़ेगा।

भगवान् महावीर विश्व-इतिहास के एक महान पुरुष थे, जिन्होंने समाज को रुढ़िवादी वर्जनाओं, प्रतिवद्धताओं और विधाओं से एकान्तत वधे न रहने की प्रेरणा देकर, उसको वह दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके आलोक में वह स्वयं अपने करणीय और अकरणीय का विवेक करता हुआ आगे बढ़ सके और अपनी दुर्बलताओं से समाज की मरसता को किंचित् भी क्षति न पहुँचाए।

सचमुच भगवान् महावीर ने शतान्दियों पहले जिस आध्यात्मिक और सामाजिक परिवेश में जो निर्देश दिए, वे वर्तमान में भी स्वस्थ समाज की संरचना में बहुत मूल्यवान सिद्ध हो रहे हैं।

### सन्दर्भ

१ आयारो—५।५।१०१

२ दसवेयालिय—१।४

३. दसवेयालिय—६।२।२२

४ आयारो—२।५।११७

## महावीर की साधना का दार्शनिक आधार

भारत एक अध्यात्म-प्रधान देश है। समय-समय पर ऐसे आत्मदर्शी व्यक्ति इस पावन वसुन्धरा पर अवतरित हुए जो चेतना की गहराई में उतरे, अपनी आवृत शक्तियों को अनावृत किया, स्वयं को साधा और अपनी अध्यात्म-अनुभूतियों के आधार पर जिन्होंने स्वतंत्र साधना-पद्धतियाँ विकसित की।

प्रत्येक साधना-पद्धति अपनी स्वतन्त्र दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पल्लवित हुई। क्योंकि सुदृढ़ दार्शनिक आधार के बिना कोई भी विधि अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं रख सकती।

भगवान् महावीर परम अध्यात्म-साधक थे। उनकी साधना न प्रवाहपाती थी, न किसी परम्परा से प्रतिबद्ध थी और न किसी ऐहिक आशंसा से प्रेरित थी।

सोद्देश्य स्वीकृत साधना के पीछे उनका स्वतन्त्र दर्शन था। उसी को केन्द्र मानकर उन्होंने साधना की लम्बी यात्रा तय की, अज्ञात को ज्ञात किया, अप्राप्त को पाया और सम्पूर्ण विकसित चैतन्य में प्रतिष्ठित होकर तमसावृत विश्व-चेतना को दिव्य आलोक से भर दिया।

उस आलोक-पुरुष की साधना-पद्धति और उसका दर्शन क्या था, यह जानना एक सत्य-जिज्ञासु के लिए अनिवार्य हो जाता है।

बीज में बरगद का अस्तित्व छिपा हुआ है। आत्मा में परमात्मा का अस्तित्व गर्भित है। बीज को बरगद बनने के लिए अनेक अवस्थाओं से गुजरना होता है। आत्मा को परमात्मा बनने के लिए विकास की अनेक भूमिकाओं को पार करना होता है। बीज से बरगद और आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का नाम है साधना। अतः साधना का मौलिक आधार आत्मा ही है। अनात्मवादी के लिए साधना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

साधना का लक्ष्य है बन्धन-मुक्ति या चेतना का चरम विकास। इस दृष्टि से आत्मा की दो अवस्थाएँ होती हैं—बद्ध और मुक्त अथवा अविकसित और विकसित। बन्धन से मुक्ति और अविकास से विकास की सर्वोच्च भूमिका को प्राप्त करके ही आत्मा में आमूलचूल रूपान्तरण घटित हो जाता है। यह परिवर्तन के प्रति गहरी आस्था ही महावीर की अविश्रान्त साधना की प्रेरणा-स्रोत थी।

भगवान् महावीर ने कहा—“साधना से पहले साध्य के प्रति सम्यक् दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। हर अध्यात्म-साधक का मूल साध्य है आत्म-विकास। उसका प्रथम चरण है आत्मा का स्वरूप-निर्धारण।”

उस समय विभिन्न दार्शनिक आत्मा के स्वरूप-निर्धारण में काफी उलझे हुए थे।

एक दार्शनिक धारा आत्मा की पूर्वापर अवस्थाओं का सधान स्वीकार नहीं करती थी। इस मान्यता के पोषक थे चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन।

चार्वाक दर्शन में इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ही सब कुछ है। इन्द्रिया वर्तमान-ग्राही हैं। वे भूत और भविष्य में सामजस्य स्थापित नहीं कर सकती। इस स्थिति में साधना आधार-शून्य हो जाती है।

बौद्ध दर्शन भी क्षणिकवादी है। उसके अनुसार पूर्वापर क्षणों में कोई अनुबन्ध नहीं है। वर्तमान क्षण की अर्थक्रिया दूसरे क्षण को प्रभावित नहीं कर सकती। पदार्थ उत्पन्न होते ही विनष्ट हो जाता है। अतः साधना कौन करेगा और कब करेगा? सिद्धि एक क्षण में निष्पन्न नहीं होती। महावीर ने कहा—“क्षणिक आत्मा साधना की अर्हता से सर्वथा

शून्य है।”

दूमरी धारा में समाविष्ट होते हैं कूट-स्थनित्यवादी। उनके अनुसार पदार्थ में कभी भी किंचित् भी परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ जैसा है वह सदा-सदा उसी रूप में रहता है। परिवर्तन नित्यता का बाधक है। नित्यता के अभाव में पदार्थ का अस्तित्व भी खतरे में होता है। अस्तित्व और नित्यत्व का गहरा अनुबन्ध है। नित्य का लक्षण है—‘अप्रच्युतानुत्पन्न-स्थिरैकरूप नित्यम्’—जो न कभी विनष्ट होता है और न उत्पन्न, उस स्थिर सत्ता का नाम नित्य है।

इस नित्यवाद की भूमिका की निष्पत्ति है अपरिवर्तनीयता। इस दृष्टि की परिधि में ये धारणाएँ परिपुष्ट हुईं कि स्त्री सदा स्त्री ही रहती है और पुरुष पुरुष। पशु कभी मनुष्य नहीं बन सकता और मनुष्य कभी पशु, देव या दानव नहीं बन सकता। जो भाव जिस अवस्था में स्थित है उसमें जरा भी उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं आ सकता।

महावीर ने कहा—एकान्त नित्यवाद भी साधना के लिए अनुकूल भूमिका प्रस्तुत नहीं करता। साधना का अर्थ है आत्मोत्कर्ष। विजातीय तत्त्वों के संयोग और वियोग से आत्मा में उत्कर्ष और अपकर्ष का क्रम चलता रहता है। अपकर्ष की स्थिति ही उत्कर्ष को मूल्य प्रदान करती है। आत्मा यदि अपकर्ष की स्थिति में जाए ही नहीं तो उसके उत्कर्ष के लिए प्रयास भी व्यर्थ हैं।

अतः उन्होंने आत्मा के नित्यानित्य स्वरूप को साधना की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अनुभव किया कि एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य पक्ष में साधना सावकास नहीं है।

महावीर की साधना का एक लक्ष्य था—चेतना के आवारक तत्त्वों को क्षीण कर विकास की सर्वोच्च भूमिका पर अवस्थित होना। उसका एक लक्ष्य था स्वभाव-परिवर्तन। वह आत्मा को नित्यानित्य मानने से ही फलित हो सकता है।

महावीर ने इन बद्धमूल धारणाओं की जड़ों को एकदम झकझोर दिया कि चाहने पर भी व्यक्ति अपने जीवन-क्रम, मनोवृत्तियों और संस्कारों को बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा—वह साधना व्यर्थ है

जिससे व्यक्ति के अन्तस् में रूपान्तरण घटित नहीं होता, जीवन सस्कृत नहीं होता और वृत्तियाँ परिष्कृत नहीं होती। जीवन-व्ययहार में जिम साधना का अवतरण नहीं होता, वह बौद्धिक जगत् के आकर्षण का विषय नहीं बन सकती।

साधना-पथ का सबसे बड़ा खतरा है परिवर्तन के प्रति अनास्था के भाव। परिवर्तन में अविश्वास का अर्थ है स्वयं के पुरुषार्थ पर अविश्वास। महावीर ने कहा—दृढ सकल्प और प्रबल पुरुषार्थ के बल पर वह सब कुछ हो सकता है, जो हम चाहते हैं।

उन्होंने अपने इसी परिवर्तनवाद और पुरुषार्थवाद के आधार पर स्वयं को बदला, स्वयं के परिवेश को बदला और वातावरण को बदला। उन्होंने अपने अन्तःकरण की सम्पूर्ण मैत्री की धाराओं को प्रवाहित कर चण्डकौशिक सर्प के मानस को बदल दिया, शूलपाणि यक्ष की पैशाचिकता को समाप्त कर दिया।

समता, मैत्री और वृत्तियों के शमन का सदुपदेश पाकर दृढप्रहारी, रोहिणेण और अर्जुनमाली जैसे खूबार डाकू, कुख्यात तस्कर और नृशम हत्यारे भी महान् सन्त बन गए। यह था भगवान् महावीर के परिवर्तनवाद और पुरुषार्थवाद की प्रतिष्ठा का चमत्कार।

अपेक्षा है, साधना की इस दार्शनिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित होकर हम अपनी वृत्तियों का उदात्तीकरण, चेतना का ऊर्ध्वारोहण और अन्तःसमताओं का जागरण करते हुए बीज से वरगद बनने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहे।



## अस्पर्शयोगी महावीर

आचाराग सूत्र में कष्ट, पीडा, परीपह और उपसर्ग के अर्थ में स्पर्श शब्द का अनेकश प्रयोग हुआ है। यह प्रयोग अत्यन्त अर्थपूर्ण और रहस्यमय भी है।

व्यक्ति को कष्ट की अनुभूति तभी होती है, जबकि वह उससे संपृक्त होता है, सस्पृष्ट होता है। सामने पड़े ढेर सारे पत्थर किसी को चोट नहीं पहुँचाते, शस्त्र घायल नहीं करते, आग जलाया नहीं करती और जल डबोया नहीं करता। यह सब प्रहार या स्पर्श की स्थिति में ही सम्भाव्य है।

इसी प्रकार मानसिक कष्ट की अनुभूति भी मानस की गहराई को छुए बिना नहीं हो सकती।

सच तो यह है कि तीव्रतम शारीरिक पीडा भी मानसिक सस्पर्श के बिना व्यक्ति को पीडित नहीं कर सकती। इसके विपरीत सामान्य पीडा भी मानसिक संवेदन का योग पाकर बहुत गहरी हो जाती है।

कल्पना करें कि एक व्यक्ति किसी को चाटा लगा दे। उसकी पीडा या झनझनाहट कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके मन में जो तिलमिलाहट, कसक और पीडा होगी, वह वर्षों तक समाप्त नहीं हो सकेगी। उसके मन में जो प्रतिशोध की आग सुलग उठेगी, उसे बुझाना सरल न होगा। क्योंकि वास्तव में वह चाटा गाल पर नहीं लगेगा, वह उसके अह पर तीव्र चोट होगी जो मानस के अन्तराल को छूकर असह्य हो उठेगी।

## १० महावीर व्यक्तित्व और विचार

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब-जब हमारा मन बाह्य स्थितियों से जुड़ता है, तब-तब हमारा आनन्द विघटित होने लगता है। परिस्थितियाँ हम पर हावी हो जाती हैं, फलतः हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। चेतना खण्ड-खण्ड हो जाती है। हम टूटा हुआ जीवन जीने लगते हैं और व्यथारागिनी में धुले तिल-तिल जलते रहते हैं। न हम परिपूर्ण और मग्न जीवन जी सकते हैं और न आनन्द का रसास्वादन ही कर सकते हैं।

भगवान् महावीर का साधना-काल भीषणतम कष्टों से परिपूर्ण रहा। उनकी ध्यान-साधना, तप साधना और मौन में बराबर प्रतिस्पर्धा और टकराव बना रहा।

सगम देव और शूलपाणि यक्ष ने उन्हें एक-एक रात में बीस-बीस मारणान्तिक पीड़ाएँ दीं, जिन यातनाओं के श्रवण-मात्र से हमारे रोगों खड़े हो जाते हैं।

अभिनिक्रमण के पश्चात् चार-पाँच मास तक जहरीले मच्छर और कीड़े उनका मांस नोचते रहे और खून पीते रहे। लाढ़ देश के अनार्य लोग उन्हें मारते-पीटते, मांस नोचते और शिकारी कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देते। चण्डकौशिक साप ने उन्हें काट खाया। कहा जाता है कि किमी ग्वाले ने उनके कानों में लोहे की किल्लियाँ रोप दीं तो किसी ने उनके पैरों के बीच आग जलाकर खीर पका ली। कभी चोर, डाकू या गुप्तचर समझे जाने पर वे फासी पर भी चढ़ा दिए गए। फिर भी महावीर कभी भी उन स्थितियों से प्रभावित नहीं हुए। इसीलिए वे यातनाएँ उन्हें जरा भी विचलित नहीं कर पायीं।

इसका एकमात्र कारण था—उनकी अप्रतिम अस्पर्श-योग की साधना। वे इतने आत्म-केन्द्रित हो गए थे कि बाहर के सारे नम्पर्क ही टूट गए। वे सदेह होते हुए भी देहातीत अवस्था तक पहुँच गए थे। इसीलिए यद्यपि कष्टों की पर्वतमालाएँ उन पर टूट पड़ी थीं, लेकिन उस विशाल चट्टान से टकरा-टकराकर वे स्वयं चूर-चूर हो गयीं। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं की सतत-प्रवाही धाराएँ उस समतामय तट को कभी छू भी नहीं पायीं।

सामान्यतया कह दिया जाता है कि महावीर का शरीर-सहन

इतना सुदृढ़ था कि वह किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होता था । लेकिन मेरी दृष्टि में इसका रहस्य दूसरा ही है ।

वस्तुतः महावीर को ऐसा कोई गुरु, विधि या प्रक्रिया प्राप्त थी जिससे वे अपने मन, प्राण और ऊर्जा को किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित कर लेते थे । फलतः शरीर पर होने वाले नौबतम आघात भी उनके अन्तर् को नहीं छू पाते थे ।

उस अद्भुत क्षमता का नाम है—अस्पर्श-योग । अस्पर्श-योग का उल्लेख उपनिषद्-साहित्य में भी हुआ है । सब प्राणियों के लिए सुखावह, हितावह, निर्विवाद और अविरोध अस्पर्शयोग को नमन करते हुए उपनिषदकार कहते हैं—

“अस्पर्शयोगो वै नाम, सर्वसत्त्व सुखो हित ।

अविवादो ऽविरुद्धश्च देशित्त स्त नमाम्यहम् ॥”<sup>१</sup>

भाष्यकार शंकर के शब्दों में—बाह्य पदार्थ या परिस्थिति के साथ सम्बन्ध स्थापित न करने का नाम ही अस्पर्श योग है—

“सर्वं सम्बन्धाख्य-स्पर्शवजितात् अस्पर्शं ।”

जैन आगम-ग्रन्थ आचार्यो में लिखा है—

जे असत्ता पार्वेहि कम्महि उदाहु ते आयका फुसति ।

इति उदाहु वीरे—“ते फासे पुट्टो हियासए”<sup>२</sup>

—जो मुनि पाप-कर्म में आसक्त नहीं हैं, उन्हें भी कभी-कभी शीघ्रघाती रोग पीड़ित कर देते हैं । इस पर भगवान् महावीर ने ऐसा कहा—उन शीघ्रघाती रोगों के उत्पन्न होने पर मुनि उन्हें सहन करें ।

यह तभी संभव है, जबकि साधक—

“पुट्टो फासे विप्पणोल्लए”<sup>३</sup>

स्पर्शों के उपस्थित होने पर मन को मोड़ ले, अनुभूति का प्रत्यावर्तन कर ले—

“सहिए दुक्खमत्ताए पुट्टो नो ज्ञाए”<sup>४</sup>

सत्य का साधक दुःख मात्रा से स्पृष्ट होने पर व्याकुल न हो । यह स्थिति भी तभी उपलब्ध हो सकती है जब कि वह ‘फरसिथ णो वेदेति’<sup>५</sup>—उस कष्ट का वेदन नहीं करे ।”

वस्तुतः सुख और दुःख—ये अनुभूति-सापेक्ष ही हैं। सुख की अनुभूति दुःख को भी सुख में परिणत कर देती है और दुःख की अनुभूति सुख को भी दुःख में बदल देती है।

एक युवक यात्रा पर था। ट्रेन पर चढ़ते समय वह गिर पड़ा। कुछ चोट आयी। एक पाव टूट गया। मित्रों के सहयोग से उपचार भी हुआ। पक्का प्लास्टर लगाया गया। लेकिन वह तो भविष्य की चिन्ता में डूबा रोता-बिलपता अपने भाग्य को कोसने लगा तथा ईश्वर को दोषी ठहराते हुए उसे भी भला-बुरा कहने लगा।

निकट ही एक दूसरा युवक भी बैठा था। हालांकि उसकी स्थिति दयनीय थी, उसके दोनो ही पाव कटे हुए थे, फिर भी उसका मन प्रसन्नता से भरा हुआ था। आँखों की चमक, मुख की रौनक और होठों की गुनगुनाहट, न जाने कितनों को अपनी ओर खींच रही थी। यह देखकर पहले युवक का मन आश्चर्य से भर गया कि मेरे तो एक पाव टूटा है, फिर भी मेरी यह स्थिति है। और इसके दोनो पैर टूट गए, फिर भी इसे कोई परवाह नहीं! अजीब मस्ती भरा है इसका जीवन। आखिर पूछ ही लिया—भैया, दोनो पाव खोकर भी तुम्हारी प्रसन्नता और सन्तुष्टि मुझे आश्चर्य में डाल रही है। तुम्हें इसका दुःख क्यों नहीं है?

दूसरे युवक ने हल्की-सी मुसकान बिखेरते हुए कहा—मित्र! जो वस्तु चली गयी उसके लिए यदि जीवन भर भी रोता-कलपता रहू तो वह वस्तु मिलने वाली नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि जो वस्तु मेरे पास बची है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूँ और उसका सम्यक् उपयोग करूँ। मेरे दो पाव चले गए तो क्या हुआ? मस्तिष्क, दो आँखें और दो हाथ तो मेरे अभी भी सुरक्षित हैं। फिर चिन्ता किस बात की?

यह है परिस्थिति के आविष्कार का अचिन्त्य प्रभाव। एक व्यक्ति सामान्य स्थिति में आकुल, अधीर, विषण्ण और विमन बन रहा है वही दूसरा व्यक्ति चिन्तनीय स्थिति में भी पुलक रहा है, मुसकरा रहा है और गुनगुना रहा है।

इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए महावीर ने कहा—

“का अरई? के आणदे? एत्थ पिअग्गहे चरे”<sup>१</sup>—साधक के लिए क्या

आकाश में उड़ान भरने की भी खुली छूट दी थी। उन्होंने कभी नहीं कहा—अहंत् वाणी वेदों की तरह अतर्कणीय है। बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा—जो संशय करना जानता है, वह संसार को जानता है और जो संशय करना नहीं जानता वह संसार को भी नहीं जानता।<sup>१</sup>

इन सब सन्दर्भों को पढ़ लेने के पश्चात् इस जिज्ञासा का उभरना स्वाभाविक ही है कि महावीर ने व्यक्ति की स्वतंत्र-चेतना और प्रज्ञा-जागरण को इतना महत्त्व देते हुए भी धर्म-संघ में अपनी आज्ञा को सर्वोपरि कैसे माना ?

इस परिप्रेक्ष्य में यह वाक्य कुछ आलोच्य हो जाता है। हालांकि इस वाक्य का पारम्परिक अर्थ हम यही करते हैं कि भगवान् ने कहा है—“मेरी आज्ञा में धर्म है।” लेकिन लगता है, हम मूल अर्थ से बहुत दूर चले गए हैं। इसका कारण है शब्द की अनेकार्थता। मात्र शब्दात्मा को पकड़ने वाला उसकी गहराई में पहुंच नहीं सकता।

यह सच है कि महावीर ने ‘आणाए मामगं धम्मं’ का उद्घोष किया था, पर आलोच्य यह है कि ‘आणाए’ से उनका अभिप्रेत क्या था ?

देश-काल की परिस्थितिवश शब्द का अर्थ-बोध भी बदल जाता है। वह उत्कर्ष और अपकर्ष के झूले में झूलता रहता है। ‘आणा’ शब्द भी इसका अपवाद नहीं रह सका।

‘आणा’ का संस्कृत रूप आज्ञा वनता है जो ‘ज्ञांश्-अवबोधने’ धातु से निष्पन्न हुआ है। अतः उसका मौलिक अर्थ ज्ञान ही होता है—‘आसमन्तात् ज्ञायते अनया सा आज्ञा’ जिसके द्वारा समग्रता से वस्तु-बोध हो, वह आज्ञा है। अतः ज्ञान और आज्ञा—दोनों एकार्थक हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आज्ञा का अर्थ केवल आदेश या अनुशासन ही नहीं, ज्ञान भी है।

युगप्रधान, वाचन-प्रमुख आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में आचारांग सूत्र का स्वाध्याय करते समय यह प्रतीत हुआ कि हम इस लघु वाक्य का कितना विपरीत अर्थ करते आ रहे हैं। आचार्यश्री ने बताया कि ‘आणाए’ यह सप्तम्यन्त पद नहीं, अपितु ‘वत्त्वा’ प्रत्ययान्त पद होना चाहिए। अतः ‘आज्ञा में’ की अपेक्षा आज्ञाय ‘जानकर’ यह

## सवस्त्र और निर्वस्त्र साधना के सेतु : महावीर

आचाराग सूत्र साधक के लिए तीन वस्त्र, दो वस्त्र, एक वस्त्र और निर्वस्त्रता का विधान करता है। इसलिए वर्तमान जैन परम्परा में सवस्त्रता और निर्वस्त्रता दोनों का समावेश है।

इस परिप्रेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि जैन-परम्परा में साधना का यह रूप भगवान् महावीर ने ही प्रचलित हुआ है या उससे भी पहले विद्यमान था।

उत्तराध्ययन सूत्र में पार्श्वपात्यक श्रमण केशीकुमार भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी से पूछते हैं कि—

“अचेल गो य जो धम्मो, जो इमो मन्तरुत्तरो  
देमियो वद्धमाणेण, पासेण य महाजसा  
एक कज्ज पवन्नाण विसेसे कितु कारण ?”

इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्श्वनाथ की परम्परा में निर्वस्त्रता का सामान्यतः विधान नहीं था। भगवान् महावीर ने ही यह विशेष दृष्टि दी थी।

साधक के लिए बाह्य पर्यावरण मूल्यवान् नहीं होते, मूल्य होता है लक्ष्य-प्राप्ति का। वस्त्र रखना या न रखना साध्य नहीं, साध्य है ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सम्पूर्ण आराधना, जिसका कि गौतम स्वामी ने स्पष्ट

उद्घोष किया है—

“अह भवे पद्मना उ मोक्ख-सम्भूय साहणे ।

नाण च दसण चेव चरित्त चेव निच्छए ॥”

पर कभी-कभी सामयिक प्रभाव मुख्य को गौण और गौण को मुख्य कर दिया करता है ।

शरीर-सुरक्षा का मात्र साधन वस्त्र भी साधना से अभिसम्बद्ध होकर महान् ऊहापोह का विषय बन गया ।

भगवान् महावीर के सामने भी वस्त्र एक गूढ प्रश्न बनकर आया । उनके सामने एक ओर भगवान् पार्श्वनाथ की सवस्त्र परम्परा थी तो दूसरी ओर निर्ग्रन्थ परम्परा के अतिरिक्त कुछ ऐसी परम्पराएँ भी थी जो अपनी कठोर साधना और नग्नता के आधार पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी । उन परम्पराओं में शीर्ष-स्थानीय था आजीविका सम्प्रदाय, जिसे नग्नता मान्य थी और जो तत्कालीन परम्पराओं में अपना विशेष प्रभाव-पूर्ण स्थान रखता था । निष्कर्ष की भाषा में उस समय नग्न साधना का अत्यन्त महत्त्व था । वह साधक की महान् तितिक्षा की परिचायक बन चुका था ।

भगवान् महावीर का झुकाव भी निर्वस्त्रता की ओर था । इसलिए उनके सामने तीर्थ-प्रवर्तन के पहले या कि अभिनिष्क्रमण से पहले भी यह समस्या थी कि एक ओर जहाँ अपने नवीन श्रमण-संघ को अवस्त्र साधना की ओर मोड़ना है वहाँ भगवान् पार्श्वनाथ की सवस्त्र परम्परा को भी साथ लिए चलना है क्योंकि एक चिर-प्रवाहित परम्परा के प्रवाह को एकाएक मोड़ना सामान्य बात नहीं है । उसमें किसी न किसी प्रकार का सामंजस्य ही उपयोगी होता है ।

भगवान् महावीर ने तत्काल उस समस्या का समाधान निकाल लिया । अवस्त्रता की ओर विशेष झुकाव, अपनी महान् तितिक्षा और लज्जा परिषह पर पूर्ण विजय प्राप्त होते हुए भी अभिनिष्क्रमण के समय उन्होंने एक शाटक धारण किया । वह भी इस प्रतिज्ञा के साथ कि—

“नो चेविमेण वत्थेण, पिहिस्सामि तसि हेमन्ते ।

से पारए आवकहाए एव खु अणु धम्मिय तस्स ॥”

मैं हेमन्त ऋतु में इस वस्त्र से शरीर को प्रच्छादित नहीं करूंगा। वे जीवन-पर्यन्त सर्दी के कष्टों को सहने का निश्चय कर चुके थे। यह उनकी अनुर्धमिता थी।

उन्होंने अनुर्धमिता-पूर्व तीर्थंकरों की परम्परा का निर्वाह करने के लिए ऐसा किया था। अनुर्धमिता का सामान्य अर्थ यह किया जाता है कि सभी तीर्थंकरों ने दीक्षा के समय एक वस्त्र स्वीकार किया था। उन्नी परम्परा का पालन भगवान् महावीर ने किया। पर वस्तुतः अनुर्धमिता का अर्थ पार्श्वनाथ की परम्परा होना चाहिए, जिसको अपने सघ में स्थान देने के लिए उन्होंने इस उदारता का परिचय दिया। प्राचीन परम्परा के अनुसार अभिनिष्क्रमण के समय इन्द्र ने एक देवदूष्य वस्त्र उनके कंधे पर रख दिया था, पर उल्लिखित ‘एव खु अणु धम्मिय तस्स’ वाक्य से प्रतीत होता है कि उन्होंने उस एक ‘वस्त्र’ को साभिप्राय स्वीकृत किया था, वह भी पार्श्वनाथ की परम्परा को अपने सघ में स्थान देने के लिए। उनका एक वस्त्र स्वीकार करना भी एक गूढ रहस्य का अनावृत्तीकरण है।

बौद्ध साहित्य में ‘निग्गठा एग साडगा’—इस प्रकार निर्ग्रन्थों के लिए एक साटक होने का उल्लेख मिलता है। हो सकता है कि यह उल्लेख पार्श्वनाथ के शिष्यों के लिए ही हो, और उस परम्परा को आदर देने के लिए ही, सम्भवतः भगवान् महावीर ने भी कुछ समय के लिए एक साटक स्वीकार किया हो। यह उनकी अपूर्व समन्वयवादी नीति का द्योतक है। फिर कुछ महीनों के बाद वे उस एक साटक को भी त्याग कर अवसन बन गए।

“सवच्छर साहिय मास जण रिक्कासि वत्थग भगव ।

अचेलओ ततो चाई त वोसज्ज वत्थ मणगारे ॥”

—भगवान् ने तेरह महीनों तक उस वस्त्र को नहीं छोड़ा। फिर त्यागी और अनगर महावीर उस वस्त्र को छोड़ अचेलक हो गए।

यही उनका वस्त्र-त्याग भावी श्रमण-सघ की निर्वस्त्र-साधना की पृष्ठभूमि बन गया।



भगवान् ने सुदीर्घ कठोर साधना के पश्चात् तीर्थ-प्रवर्तन किया । सघ मे निर्वस्त्रता का आदर्श प्रस्तुत किया ।

उनके बाह्य तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व से आकृष्ट और प्रभावित होकर अनेक मुमुक्षुओ ने उनके अचेल धर्म को स्वीकार किया । अनेक पार्श्वपत्निक श्रमणो ने भी वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्रता को अगीकार किया । पर अनेक-अनेक पार्श्वपत्निक श्रमण तथा अन्य मुमुक्षु ऐसे भी थे, जो भगवान् महावीर के श्रमण-सघ मे प्रविष्ट होना चाहते थे, पर सर्वथा वस्त्र-त्याग उन्हें अपनी सामर्थ्य से परे प्रतीत होता था ।

उनके लिए तथा विशाल श्रमणी-सघ को साधना-मार्ग धर अग्रसर करने के लिए उन्होंने वस्त्र रखने का भी विधान किया ।

इस तथ्य की पुष्टि आचाराग की चूर्ण से भी होती है कि भगवान् ने स्वल्प समय के लिए वस्त्र-स्वीकार शिष्यो को यह विश्वास दिलाने के लिए किया कि वस्त्र-त्याग मे असमर्थ व्यक्ति भी साधना कर सकता है । साधना के लिए वस्त्र ग्रहण तथा विसर्जन का कोई बन्धन नहीं है ।

इस प्रकार उन्होंने साधक की शक्ति-अशक्ति तथा औचित्य का विचार कर निर्वस्त्रता को प्राधान्य देते हुए भी मर्यादित वस्त्रो का विधान भी किया ।

“जे भिक्षू तिहिं वत्थेहिं परिवुसिते, पायचउत्थेहिं तस्सण ।

णो एव भवति चउत्थ वत्थ जाइस्सामि ॥”

—जो भिक्षु तीन वस्त्र और एक पात्र रखने की मर्यादा मे स्थित है, उसका मन ऐसा नहीं होता कि मैं चौथे वस्त्र की याचना करूंगा ।

“अह पुण एव जागेज्जा-उवाइक्कते खलु हेमन्ते,

गिमहे पडिवन्ने, अहापरिजुण्णाइ

वत्थाइ परिट्ठवेत्ता, अदुवा सन्तरुत्तरे, अदुवा एग साहे,

अदुवा अचेले ।”

भिक्षु यह जाने कि हेमन्त बीत गया है, शीष्म ऋतु आ गयी है, तब वह यथा परिजीर्ण वस्त्रो का विसर्जन करे । उनका विसर्जन कर—या एक अन्तर (सूती वस्त्र) और उत्तर (ऊनी वस्त्र) रखे । या वह एक शाटक रहे । या वह अचेल (निर्वस्त्र) हो जाए ।

इसी प्रकार अलग से दो वस्त्र, एक वस्त्र तथा निर्वस्त्रता का विधान है। इसे उन्होंने लाघव धर्म की पुष्टि तथा तप बताया है—

“लाघविय आगममाणे, तवे से अभिसमन्नागए भवई।”<sup>१०</sup>

इस प्रकार भगवान् ने वस्त्रों का विधान करते हुए भी निर्वस्त्रता को महत्त्व दिया है। फिर भी निर्वस्त्रता के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं था, इसलिए उन्होंने जहा निर्वस्त्रता का समर्थन करते हुए कहा—

“जे अचले परिवुसिए स चिक्खति ओमोयरियाए।”<sup>११</sup>

—जो मुनि निर्वस्त्र रहता है वह अवमौदर्य तप का अनुशीलन करता है, वहा उन्होंने निश्चय दृष्टि से यह भी कहा—

“एते भो ! णगिणा वुत्ता जे लोगमसि अणागमण धम्मिणो।”<sup>१२</sup>

— धर्म-क्षेत्र में नग्न उन्हें कहा गया है, जो दीक्षित होकर पुन गृहवाम में नहीं आते हैं।

इस प्रकार अचेल साधना को पूर्ण समर्थन देते हुए भी अपने नवीन धर्म-सध में मर्यादित वस्त्रों का विधान कर भगवान् महावीर दोनों परम्पराओं के समन्वय-सेतु बन गए। अनेक-अनेक मुमुक्षुओं को विशिष्ट तप साधना का मार्गदर्शन मिला तथा अनेक-अनेक साधकों के लिए साधना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सम्भवत महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् सवस्त्र और निर्वस्त्र साधकों में वस्त्र की निवार्यता और अनिवार्यता एक उग्र विवाद का विषय बन गया था। इसीलिए जहा वस्त्र विधान और नागन्य स्वीकार का निर्देश आया है, दोनों परम्पराओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सूत्रकार को बार-बार सूचित करना पडा है कि—

“जगेथ भगवया पवेइय तमेव अभिसमेच्च सन्नतो।

सम्मत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया।”<sup>१३</sup>

भगवान् ने जैसे अल्पवस्त्रता, सवस्त्रता या निर्वस्त्रता का प्रतिपादन किया है उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना समत्व का सेवन करे— किसी की अवज्ञा न करे।

सवस्त्र और निर्वस्त्र साधना के सम्बन्ध में महावीर का दृष्टिकोण कितना ऋजु है, यह उल्लिखित प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है, साथ ही यह तथ्य भी अनावृत हो जाता है कि वर्तमान श्वेताम्बर और दिगम्बर

परम्पराओं में वस्त्र की अनिवार्यता तथा निवार्यता का जो अभिनिवेश है—वह बितना आधार-शून्य है।

### सन्दर्भ

- १ उत्तरज्जणानि २३।२६३
- २ उत्तरज्जणानि २३।३३
- ३ भाष्यो ६।१।२
- ४ भाष्यो ६।१।४
- ५ भाष्यो ८।४।४२
- ६ भाष्यो ८।४।५०-५३
- ७ भाष्यो ८।४।५४-५५
- ८ भाष्यो ६।३।४०
- ९ भाष्यो ६।३।४७
- १० भाष्यो ८।४।५६

## स्वतंत्र चेतना के सजग प्रहरी : महावीर

दर्पण जितना अधिक स्वच्छ और निर्मल होता है, वाह्य पदार्थ उतनी ही स्पष्टता से उसमें प्रतिबिम्बित होते हैं। धुंधला दर्पण किसी भी विम्ब को स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं दे सकता।

महावीर की चेतना स्वच्छ दर्पण के समान थी। अतः विश्व-चेतना उसमें अपने यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित हुई। उन्होंने देखा, हर चेतनाशील प्राणी में विकास की अनन्त सम्भावनाएँ हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति का एकमात्र अनुबन्ध है स्वतंत्रता। व्यक्ति तब तक अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र निर्माण नहीं कर सकता, जब तक उसे जीने की स्वतंत्रता न हो, सोचने की स्वतंत्रता न हो, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न हो और कुछ भी करने की स्वतंत्रता न हो। भगवान् महावीर ने सर्वज्ञता-प्राप्ति से पूर्व भी यह तीव्रता से अनुभव किया कि आज विश्व-चेतना की सबसे बड़ी छटपटाहट और अकुलाहट है स्वतंत्रता-प्राप्ति की। लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्य ही कुछ ऐसे बन चुके हैं, जिनके आधार पर उसी व्यक्ति या समूह को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो दूसरों की स्वतंत्र चेतना पर अपना अधिक से अधिक प्रभुत्व स्थापित कर सके।

महावीर ने इन मूल्यों का प्रतिरोध किया। सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्राण-प्रतिष्ठा की।

फिर भी आश्चर्य होता है, कुछ व्यक्ति विश्वात्मा के साथ समत्व की अनुभूति करने वाले भगवान् महावीर के विचारों में भी अधिनायकवाद

के दर्शन करते हैं।

मैंने सुना, एक साम्यवादी विचारक के मुह से कि—“महावीर अधिनायकवाद के समर्थक थे। वे एक महत्त्वाकांक्षी क्षत्रिय पुत्र थे। उनके पिता का राज्य छोटा था। प्रचलित परम्परा के अनुसार वे उनके उत्तराधिकारी होते। पर महावीर को इतने छोटे-से राज्य का शासक होना पसन्द नहीं था। प्रतिक्रियास्वरूप उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। सन्यास स्वीकार कर कठोर साधना की। लोक-संग्रह किया और बहुत बड़ा धार्मिक समाज खड़ा कर लिया। क्षत्रिय-सुलभ हुकूमत की नीति और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति मिटी नहीं थी, इसलिए वे अपने धर्म-समाज पर छा गए और हुकूमत की भाषा में बोले—‘आणाए मामग धम्म’ —मेरी आज्ञा मे धर्म है। अत जो मैं कहूँगा, वही तुम्हें करना होगा, अन्यथा धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। इस प्रकार महावीर ने व्यक्ति के विचार-स्वातन्त्र्य की हत्या कर दी।”

मुझे आश्चर्य-मिश्रित खेद हो रहा था यह सुनकर। बस्तुतः यह चिन्तन तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक है। जहाँ तक मैंने जाना और समझा है, भगवान् महावीर ने व्यक्ति-स्वतन्त्रता को जितना महत्त्व दिया और उसकी स्वतन्त्र चेतना को कुचल देने वाले धनाधीशों, मठाधीशों और सामन्तों का जितना विरोध किया उतना शायद ही किसी महापुरुष ने किया हो।

भगवान् महावीर के युग में राजतन्त्रीय और गणतन्त्रीय—दोनों प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं। महावीर जिस शासन-प्रणाली में पले-पुसे, वह गणतन्त्रीय प्रणाली थी जो कि आज के लोकतन्त्र या जनतन्त्र का ही पूर्व रूप था और उसके सस्थापक थे महावीर के मामा महाराज चेटक। इस दृष्टि से उनका जनतन्त्रीय विचारों से प्रभावित होना ही स्वाभाविक लगता है, न कि राजतन्त्रीय विचारों से।

तत्कालीन समाज-व्यवस्था में प्रचलित जातिवाद, दासप्रथा और उपनिवेशवाद सचमुच मानवीय स्वतन्त्रता को कुचल देने वाले उपक्रम थे। महावीर ने उनके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने कहा—सब प्राणी स्वतन्त्रता-प्रिय हैं। अतः उन पर बलात् अपने विचार थोपना, उन्हें

अनुशासित करना और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना घोर सामाजिक और नैतिक अपराध है। वस्तुतः कोई भी प्राणी किमी के द्वारा आज्ञापयितव्य और परिग्रहीतव्य नहीं है।

भगवान् महावीर महान् अहिंसक थे। जवरन किमी पर अपने विचार थोपने को वे हिंसा मानते थे। इस स्थिति में भला वे हुकूमत की भाषा में कैसे बोल सकते थे कि—“भेरी आज्ञा में धर्म है।” अपितु वे व्यक्ति के स्वतन्त्र चिन्तन को कितना महत्त्व देते थे, वह पढ़िए उन्हीं के शब्दों में—

“मइम पास’ ।—हे मतिमान् ! तू देख ! तू स्वयं चिन्तनशील है, अतः स्वयं तत्त्व को पहचान ।” क्या आदेशात्मक पदावली इतनी सुकोमल हो सकती है ?

महावीर ने कभी नहीं कहा—जो मैं कहता हूँ, वही तुम मानो। प्रत्युत् उन्होंने कहा—“से त जाणह, जमह वेमि ।”<sup>२</sup>—जो मैं कह रहा हूँ, तुम भी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करो।

उन्होंने कहा—“से वसुम, सव्व-समन्तागय-पण्णाणेण अप्पाणेणं अकरणिज्ज पाव कम्म ।” “त णो अन्नेसि”<sup>३</sup>—बोधिसत्त्व-सम्पन्न साधक के लिए पूर्ण सत्य-प्रज्ञ अन्तःकरण से पाप-कर्म अकरणीय है। अतः साधक उसका अन्वेषण न करे। साराश की भाषा में तुम अकार्य का परित्याग इसलिए मत करो कि मैंने उसका निषेध किया है, अपितु सोच-समझकर करो।

शिष्य ने भी उत्तर में यह नहीं कहा कि भन्ते ! यदि आपका आदेश है तो मैं अब पाप नहीं करूँगा। लेकिन उसने कहा—

“तणो ! करिरमामि ममुट्ठाए, मता मइम अभय विदित्ता ।”<sup>४</sup>

—भते ! मैं आत्मोपलब्धि के लिए समुद्यत हो गया हूँ, अतः अब पाप नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने इसी में अभय जाना है और पापमय प्रवृत्ति को स्वयं के लिए अहितकर माना है।

यद्यपि भगवान् ने ‘आणाए सड्ढी मेहावी’<sup>५</sup>—आज्ञा में श्रद्धा करने वाला मेधावी होता है—कहकर साधना-क्षेत्र में श्रद्धा पर बहुत बल दिया, पर साथ-साथ अपने शिष्यों को तर्क, सशय और जिज्ञासा के उन्मुक्त

आकाश में उड़ान भरने की भी खुली छूट दी थी। उन्होंने कभी नहीं कहा—अहत् वाणी वेदों की तरह अतर्कणीय है। बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा—जो सशय करना जानता है, वह ससार को जानता है और जो सशय करना नहीं जानता वह ससार को भी नहीं जानता।<sup>१</sup>

इन सब सन्दर्भों को पढ़ लेने के पश्चात् इस जिज्ञासा का उभरना स्वाभाविक ही है कि महावीर ने व्यक्ति की स्वतंत्र-चेतना और प्रज्ञा-आगरण को इतना महत्त्व देते हुए भी धर्म-सध में अपनी आज्ञा को सर्वोपरि कैसे माना ?

इस परिप्रेक्ष्य में यह वाक्य कुछ आलोच्य हो जाता है। हालांकि इस वाक्य का पारम्परिक अर्थ हम यही करते हैं कि भगवान् ने कहा है—“मेरी आज्ञा में धर्म है।” लेकिन लगता है, हम मूल अर्थ से बहुत दूर चले गए हैं। इसका कारण है शब्द की अनेकार्थता। मात्र शब्दात्मा को पकड़ने वाला उसकी गहराई में पहुँच नहीं सकता।

यह सच है कि महावीर ने ‘आणाए मामग धम्म’ का उद्घोष किया था, पर आलोच्य यह है कि ‘आणाए’ से उनका अभिप्रेत क्या था ?

देश-काल की परिस्थितिवश शब्द का अर्थ-बोध भी बदल जाता है। वह उत्कर्ष और अपकर्ष के झूले में झूलता रहता है। ‘आणा’ शब्द भी इसका अपवाद नहीं रह सका।

‘आणा’ का संस्कृत रूप आज्ञा बनता है जो ‘ज्ञाश् अवबोधने’ धातु से निष्पन्न हुआ है। अतः उसका मौलिक अर्थ ज्ञान ही होता है—‘आसमन्तात् ज्ञायते अनया सा आज्ञा’ जिसके द्वारा समग्रता से वस्तु-बोध हो, वह आज्ञा है। अतः ज्ञान और आज्ञा—दोनों एकार्थक हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आज्ञा का अर्थ केवल आदेश या अनुशासन ही नहीं, ज्ञान भी है।

युगप्रधान, वाचन-प्रमुख आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में आचाराग सूत्र का स्वाध्याय करते समय यह प्रतीत हुआ कि हम इस लघु वाक्य का कितना विपरीत अर्थ करते आ रहे हैं। आचार्यश्री ने बताया कि ‘आणाए’ यह सप्तम्यन्त पद नहीं, अपितु ‘वत्त्वा’ प्रत्ययान्त पद होना चाहिए। अतः ‘आज्ञा में’ की अपेक्षा आज्ञाय ‘जानकर’ यह

अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है।

भगवान् महावीर ने मुनि-धर्म का प्रतिपादन करते हुए कहा—वे अन्तर् और बाह्य ग्रन्थियो से उपरत मुनि मेरे धर्म को जानकर, उसका आजीवन सम्यक् अनुपालन करते हैं।

वृत्तिकार ने भी इसके दो अर्थ किए हैं। पहला—“आज्ञा से मेरे धर्म का सम्यक् अनुपालन करे।” यह अर्थ भी ज्ञानपरक ही है। यानी ज्ञानपूर्वक धर्म का अनुपालन करें। दूसरा अर्थ इस प्रकार किया है कि धर्म मेरा है, अतः उसका तीर्थंकर की आज्ञा से सम्यक् अनुपालन करे।

‘मामग धम्म’—यह कर्म-पद है, अतः ‘आणाए’ का अर्थ आज्ञाय—‘जानकर’ ही तर्क-सगत हो सकता है।

यदि ‘आणाए’ को सप्तम्यन्त-पद माने तो भी इसका अर्थ यही हो सकता है कि मेरा धर्म आज्ञा मे अर्थात्—ज्ञान मे है।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा का लक्षण ज्ञान है। अतः उक्त वाक्य का यह अर्थ भी हो सकता है कि मेरा धर्म अर्थात् स्वभाव ‘ज्ञान’ मे है।

उक्त सभी दृष्टियो से यह भ्रम निराधार सिद्ध हो जाता है कि महावीर ने हुकूमत की भाषा मे कहा कि मेरी आज्ञा मे धर्म है। यदि उन्होंने ऐसा कहा होता तो निःसन्देह इस वाक्य की सघटना इस प्रकार होती—“आणाए मामगाए धम्म,” यहा ‘मामग’ शब्द धर्म का विशेषण है, न कि ‘आणाए’ का।

भगवान् महावीर महान् अहिंसक थे। अतः आदेशात्मक भाषा का प्रयोग तो दूर, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए वे उपदेश भी आवश्यक नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, “उद्देशो पासगस्स नत्थि”<sup>१</sup>—द्रष्टा को उपदेश की अपेक्षा नहीं। वे अपनी सम्पूर्ण जागृत चेतना से जन-जनके अन्तश्चैतन्य को जगाना चाहते थे। अपनी प्रखर ज्ञान-रश्मियो से विश्व-चेतना को आवृत करने वाली एक-एक परत को चीरकर उसे दिव्यआलोक से भर देना चाहते थे। इसी पवित्र अनुष्ठान के लिए उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी।

एक क्षण के लिए यदि मान भी लें कि महावीर ने अपनी आज्ञा को प्रतिष्ठित किया था, तो भी उनकी आज्ञा मे किसी भी तटस्थ विचारक को अधिनायकवाद के दर्शन नहीं होते। क्योंकि महावीर की आज्ञा वहा



जाकर परिमम्पन्न हुई थी, जहाँ वे सम्पूर्ण सत्य को उपलब्ध हो चुके थे। वे सत्यमय बन चुके थे। व्यक्ति और सत्य का द्वैध मिट गया था। अतः महावीर की आज्ञा व्यक्ति की आज्ञा नहीं थी, अपितु सत्य की आज्ञा थी। उसको केन्द्र मानकर चलने वाला कोई भी व्यक्ति चेतना के आवरणों को क्षीण कर उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है।

अस्तु, भगवान् महावीर ने व्यक्ति की स्वतन्त्र चेतना को कुण्ठित नहीं किया, अपितु वे व्यक्ति की स्वतन्त्र-चेतना के सजग प्रहरी थे। उन्होंने युग-युग से राजनैतिक, सामाजिक, वैयक्तिक और आध्यात्मिक परतन्त्रता की कारा में छटपटाते हुए विश्व-मानव को स्वयं के अस्तित्व और कर्तृत्व का बोध दिया। स्वतन्त्रता का बोध दिया। उसको प्राप्त करने के लिए सम्यक् दिशा-बोध दिया और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसे गतिशीलता भी प्रदान की।

फलतः उस युग में परिव्याप्त जातिवाद, दास-प्रथा, साम्राज्यवादी मनोवृत्ति और उपनिवेश परम्परा आदि की जड़ें हिल गयीं।

उस परम तेजस्वी पुरुष के अलौकिक स्वतन्त्रता-संग्राम ने युग-चेतना को वन्धन-मुक्त किया है और युग-युग तक वह मुक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।

### सदर्भ

- १ आचार्य १
- २ आचार्य २१५, १९४०
- ३ आचार्य ५१३, ५५-५६
- ४ आचार्य ११५, १९०-१९
- ५ आचार्य ३४, १८०
- ६ आचार्य ५१, १९
- ७ आचार्य २१३, ७३

## तपोयोग : महावीर की दृष्टि में

चेतना जगत् का सर्वोपरि लक्ष्य है दुःख-मुक्ति । दुःख का हेतु है द्वन्द्व । द्वन्द्व का जनक है जड और चेतन का गठवन्धन । जहा इनका गठवन्धन नहीं, वहा द्वन्द्वो की जटिल समस्याए भी नहीं । इस सृष्टि के दो ही छोर निर्द्वन्द्व हैं—एक मृतक शरीर, जो अचेतन है और दूसरा है मुक्तावस्था, जहा है मात्र चेतना की एकतन्त्रीय सत्ता ।

अध्यात्म-साधक का लक्ष्य है उस निर्द्वन्द्व अवस्था की प्राप्ति, जो चेतना के परम उत्कर्ष से फलित होती है । यह महान् लक्ष्य, महान् विसर्जन सापेक्ष है । सचमुच उस विसर्जन मे ही वह सृजन निहित है जिसे व्यक्त करने के लिए हर भाषा दरिद्र है ।

इसीलिए मनीषियो ने अनुभूति के स्वर मे गाया—

‘वता लोगस्स सजोग’, ‘जहित्तु पुव्व सजोग’—बाह्य जगत् के साथ जुडे सम्बन्धो का विसर्जन ही लक्ष्य-प्राप्ति का प्रशस्त पथ है । पर जब तक जीवन है, बाह्य जगत् से विविध अपेक्षाए जुडी हुई हैं, तब तक उसमे सर्वथा विलग कैसे हो सकते हैं ? इसके समाधान मे बताया गया—“अणिहे”—अस्पृह रहो । वहिर्जगत् के प्रति अलिप्ति के भाव द्वन्द्व-उपरति का सुन्दर उपाय हैं ।

द्वन्द्वो के आवर्त्त-प्रत्यावर्त्तो से वचाव के लिए यह वाक्य सुरक्षा-कवच है—“एगमप्पाण सपेहाए”—आत्म-एकत्व को देखो । सयोग और सयोगज द्वन्द्वो को वृत्तियो से स्वीकार मत करो । यह अस्वीकार ही

प्रतिकार का सही मार्ग है।

बहिर्जगत् से सम्बन्ध जोड़ने के दो आधार हैं—मानसिक अपेक्षा और दैहिक अपेक्षा। मानसिक अपेक्षाओं का सवरण साधक कर भी लें, पर दैहिक अपेक्षा का विसर्जन कैसे हो? यह एक प्रश्न है, पर यह भी निर्विवाद है कि सीमित दैहिक अपेक्षाएँ भी मानसिक अपेक्षाओं के पर्यावरणों में असीमित बन जाती हैं और अधिकांश द्वन्द्वों का स्रोत भी। इसलिए साधक के लिए अपेक्षित है कि वह अनिवार्य शारीरिक अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए भी 'एगमप्याण सपेहाए'—आत्मा को उससे सर्वथा भिन्न समझे। 'आत्मा चान्यो देहश्चान्य'—इस भेद-विज्ञान से देहाध्यास छूट जाता है, जो कि साधनापथ में सबसे बड़ा अवरोध है। देहाध्यास को मिटाने के लिए बताया गया कि साधक मृगच्छा—मृत्तार्चा बने, देह परिकरमं का वर्जनं करे। यह स्थिति भी भेद-विज्ञान की तीव्रता से स्वतः प्राप्त हो जाती है।

शारीरिक ममत्व का विसर्जन बहुत ऊँची साधना है, लेकिन इतने में साधना की इतिश्री नहीं हो जाती। यद्यपि शरीर साधना और बन्धन-मुक्ति का हेतु है, पर इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि वह स्वयं बन्धन है, मुक्ति का वाधक है। साधना की पूर्णता तब होती है जब देह भी छूट जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधक के लिए साधना-काल में या उसकी प्रथम भूमिका में जहाँ देहाध्यास त्याज्य होता है, वहाँ उसकी अन्तिम भूमिका या सम्पन्नता पर स्वयं देह भी त्याज्य हो जाता है।

इसलिए परम द्रष्टा महावीर ने कहा—“इह आणाकरवी पडिहए अणिहे एग मप्याण सपेहाए धुणे शरीर, कसेहि अप्याण जरेहि अप्याण”<sup>१२</sup>—आज्ञाप्रिय पंडित एक आत्मा की ही संप्रेक्षा करता हुआ अनासक्त हो जाए। वह कर्म शरीर को प्रकम्पित करे और (कषाय) आत्मा को कृश करे, क्षीण करे।

“विगिच मस-सोणिय”<sup>१३</sup>—मास और शोणित का विवेक करे। यहाँ शरीर शब्द का वाच्यार्थ स्थूल-शरीर नहीं है अपितु सूक्ष्म शरीर—कर्म शरीर है। लेकिन केवल स्थूल शब्दों की दुनिया में विचरने वालों की

पकड़ में कैमों आए सूक्ष्म अर्थात्मा ।

इन सूक्ष्म और गम्भीर वाक्यांशों का हार्द न समझने का ही परिणाम है कि भगवान् महावीर की अत्यन्त वैज्ञानिक साधना-पद्धति भी भ्रान्ति का विषय बन गयी । बहुतेको की धारणा बन गयी कि जैन साधना कष्ट-साध्य है । महावीर का साधना-दर्शन यही है कि कठोर तपस्या द्वारा शरीर को सुखा दो । जीते-जी मर जाओ, क्योंकि शरीर को जितना दुःख दोगे, उतने ही सुखी बनोगे ।

बौद्ध साहित्य में इस भ्रान्त-धारणा की जानकारी और स्पष्ट हो जाती है । मज्झिम-निकाय में एतद्विषयक एक विस्तृत प्रसंग आया है । उसका सारांश यह है कि—“बुद्ध ने कहा—मैं तब राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर विहार कर रहा था । ऋषिगिरि की कालशिला पर अनेक निगण्ठ खड़े रहने का व्रत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते थे, दुःख, कष्ट, तीव्र वेदना भोगते थे । मैं सायं ध्यान से निवृत्त हो उनके पास गया । कृच्छ्र तपस्या का कारण जानना चाहा । उन्होंने कहा—यह ज्ञातपुत्र का दर्शन है । वे कहते हैं—सुख से सुख-प्राप्ति नहीं, अपितु दुःख से सुख-प्राप्ति होती है । हमें इस दर्शन में रुचि है, इसलिए हम यह तीव्र वेदना भोग रहे हैं ।

इस अवतरण की आलोचना-प्रत्यालोचना प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं, लेकिन इतना ज्ञातव्य अवश्य है कि भगवान् महावीर का उक्त देह-दमन और कष्ट-सहन का सिद्धांत कदापि नहीं था । देह का प्रश्न उनके सामने गौण था । प्रमुख था आत्म-विकास या लक्ष्य-प्राप्ति का, जो कि प्रत्येक साधक के लिए अनुकरणीय है । उसके लिए साधक को कितना ही विसर्जन और बलिदान क्यों न करता पड़े, उसे स्वीकार है । वहा देह के प्रति स्वत्व की भावना तो स्वतः छूट जाती है । यह है लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, जो कि लक्ष्य की ऊंचाई को पाने वाले प्रत्येक सत्पुरुष को करना होता है । स्वयं बुद्ध भी कितने समर्पित थे अपने लक्ष्य के प्रति । उन्होंने साधना के प्रारम्भ में दृढ संकल्प किया कि—

“इहासने शुण्यतु मे शरीरं, त्वगस्थिमास प्रलयं प्रयातु  
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लभा, नैवासना त्कायमिदं चलिष्यति ।”

यदि बुद्ध की यह साधना कष्ट-साधना की परिधि में नहीं आती, तो भगवान् महावीर के तपो-दर्शन को भी मात्र कष्ट कैसे कहा जा सकता है ? वस्तुतः आत्मोपलब्धि के लिए कुछ किया नहीं जाता अपितु जो किया जा रहा है उसे छोड़ना होता है। यही गम्भीर रहस्य भगवान् महावीर ने समझाया था कि आत्मोदय या सत्योपलब्धि के लिए सब कुछ छोड़ दो, यहाँ तक कि देह-परिकर्म या देह-चिन्ता को भी। इसी तथ्य को हमने 'तपस्या' के नाम से पहचाना। वस्तुतः यह तपस्या क्रिया नहीं, अपितु क्रिया-निवृत्ति ही है। काश, इस मौलिक चिन्तन की तह तक हम पहुँच पाते !

यदि शरीर-कष्ट ही भगवान् महावीर को अभीष्ट होता तो वे अपने शिष्यों को दीक्षित करते ही अनशन या घोर तपस्या का आदेश देते अथवा कष्ट-प्राप्ति के अन्यान्य उपाय भी बतलाते, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। हाँ, उन्होंने तपस्या को साधना-पक्ष में अनुपयोगी नहीं माना। तपोयोग सम्बन्धी उनका स्वतंत्र चिन्तन क्या था ? यह आचाराग सूत्र के इस लघु वाक्य से स्पष्ट हो जाता है, जिससे आज तक हम स्वयं अनजान थे। वह वाक्य है—

“आवीलए, पवीलए, निष्पीलए,  
जहिता पुव्व सजोग, हिच्चा उवसम”

—मुनि पहले (वस्तु और प्राणी से होने वाले) सम्बन्ध को त्याग, इन्द्रिय और मन को शान्त कर (शरीर का) आपीडन, फिर प्रपीडन और फिर निष्पीडन करे। भगवान् महावीर ने कहा—“मुनि-जीवन की साधना के लिए दो प्रारम्भिक अनुबन्ध हैं—

१ सम्बन्ध का त्याग।

२ इन्द्रिय और मन की उपशांति।

इस स्थिति के प्राप्त होने पर वह साधना की तीन भूमिकाओं से गुजरता है। प्रथम भूमिका प्रव्रजित होने से लेकर अध्ययन-काल तक की है। उसमें वह ध्यान का अल्प अभ्यास और श्रुत अध्ययन के लिए आवश्यक तप करता है।

दूसरी भूमिका शिष्यों के अध्यापन और धर्म के प्रचार-प्रसार की

है। इसमें वह ध्यान की प्रकृष्ट साधना और कुछ लम्बे उपवास करता है।

तीसरी भूमिका शरीर-त्याग की है। जब मुनि आत्महित के साथ-साथ सघहित कर चुकता है, तब वह समाधिमरण के लिए शरीर-त्याग की तैयारी में लग जाता है। उस समय वह दीर्घकालीन ध्यान और दीर्घकालीन तप (पाक्षिक, मासिक आदि) की साधना करता है।

ध्यान और तप की साधना के औचित्य और क्षमता के अनुपात में ही स्थूल शरीर के आपीडन, प्रपीडन और निष्पीडन का निर्देश दिया गया है। कर्म शरीर का आपीडन, प्रपीडन और निष्पीडन इसी के अनुरूप होगा। शरीर से चेतना के भेदकरण की भी ये तीन भूमिकाएँ हैं।”

उल्लिखित विश्लेषण के आलोक में महावीर का तपोयोग सम्बन्धी दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। इसमें हमें तप के प्रति महावीर के एकान्तिक आग्रह की झलक भी नहीं मिलती। स्वरूपोपलब्धि के लिए उन्होंने ध्यान, स्वाध्याय और तपोयोग को बराबर महत्त्व दिया है।

वस्तुतः मज्जिम निक्कय में, पथ विभिन्न। पथिक किसी भी पथ से उसे पा सकता है। भगवान् महावीर की दृष्टि आग्रह-शून्य थी। वे किसी कार्य के लिए दबाव नहीं डालते, किन्तु स्वयं साधक की क्षमता और रुचि पर उसे छोड़ देते थे।

यह था उनका विवेक-दर्शन। उन्होंने उक्त विभिन्न अपेक्षाओं को दृष्टि से ओझल कर चलने वाले तपस्वी को बाल तपस्वी और अविवेकपूर्ण तपस्या को बाल तप कहकर उसका खण्डन किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मात्र तपस्या के पक्षपाती नहीं थे।

आवीलए... इस सूत्र से हमें भगवान् महावीर की तपोयोग सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण दृष्टियों की सूचना प्राप्त होती है। पहली तो यह कि वे साधना के क्षेत्र में तपस्या से भी अधिक महत्त्व देते थे श्रुताध्ययन को, क्योंकि वही उसके तिमिर-पूरित पथ में आलोक-कण बिखेरता है, जिसके अभाव में उत्कृष्ट कोटि का तप भी मात्र 'ताप' बनकर रह जाता है।

दूसरी बात यह है कि लक्ष्य-प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध की तरह, वे तपस्या को अनुपयोगी ही नहीं, प्रत्युत् उपयोगी मानते थे।

बुद्ध की तरह मात्र ध्यान ही उनकी साधना का पहलू नहीं था अपितु ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप—ये चारो ही उनकी साधना के पहलू थे। यद्यपि ज्ञान, श्रद्धा और आचरण—ये ही आत्म-विकास के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, फिर भी तपस्या की अपनी विशिष्ट प्रयोजनीयता है।

साधना की अनिवार्य अपेक्षा है तितिक्षा। वह देहाध्यास के रहते प्राप्त हो नहीं सकती। तपस्या देहाध्यास को मिटाने की सुन्दर प्रक्रिया है।

भगवान् महावीर द्वारा निर्दिष्ट साधनाक्रम मे तप, श्रुत और ध्यान आदि अन्यान्य पहलुओं का सुन्दर समन्वय है। यह क्रम न केवल कष्ट-सहन है और न ही कष्टों से पलायन कर मात्र चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न।

उपवासादि तपस्या का महत्त्व तो चिकित्साशास्त्र ने भी स्वीकार किया है। 'प्राकृत चिकित्सा' और 'मानवमूल चिकित्सा' मे इसका स्थान सर्वोपरि है। विना दीर्घकालीन उपवास के ये चिकित्सा विधियाँ ईप्सित फल नहीं लाती।

आयुर्वेदिक दृष्टि मे दीर्घकालीन उपवास से शरीर मे रासायनिक परिवर्तन होता है। शारीरिक दोषों का शोधन होता है। वहा बताया गया है कि अग्नि आहार को पचाती है और उपवास वात, पित्त और कफ जनित दोषों को। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तपस्या के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य का साधना के साथ गहरा सम्बन्ध है। साधना स्वास्थ्य-सापेक्ष है। तपस्या स्वास्थ्य-प्राप्ति और सुरक्षा का अप्रतिहत उपाय है।

दूसरी दृष्टि से भी तपोयोग की उपयोगिता निर्विवाद है। जैन साधना के मुख्य दो पहलू हैं—सवर और निर्जरा। इन्हे ही समय और तप की अभिधा से अभिहित किया गया है। इन्हे निरोध और शोधन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इन दोनों का समन्वित रूप ही स्वास्थ्यप्रद है। शोधन-विहीन निरोध अन्दर सङ्घान्ध पैदा कर देता है तो विना निरोध का शोधन भी अर्थहीन है, क्योंकि विजातीय तत्त्वों का आगमन वहाँ निर्वाध है। तपस्या विजातीय तत्त्वों का रचन कर वृत्तियों का शोधन

## ३२ महावीर व्यक्तित्व और विचार

करती है।

अस्तु, इन विविध दृष्टियों से अध्ययन करने पर विश्वास के साथ हम मान सकते हैं कि भगवान् महावीर द्वारा निर्दिष्ट तपोयोग की साधना पूर्ण वैज्ञानिक है। वह आध्यात्मिक और आधिदैहिक दोनों पक्षों में परमोपयोगी और स्वीकार्य है।

### सन्दर्भ

- १ आचारो ४।३।३२
- २ आचारो ४।३।३९
- ३ आचारो ४।४।४३
- ४ आचारो ४।४।४०
- ५ आचारो सूत्र ४० की टिप्पणी, पृ० १७१।



## मानवीय एकता के उद्गाता : महावीर

एक मुनि थे। वड़े तपस्वी थे। उनकी घोर तपसाघना की महक से परिपाश्र्वं महक उठा था। हर कहीं उनकी प्रशंसा की गूँज थी। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, एक देव भी उनकी साधना से अभिभूत हो उठा। वह प्रतिक्षण तपस्वी मुनि की सेवा में रहने लगा। प्रतिदिन विनम्र प्रार्थना करता—‘मुझे भी कोई सेवा-कार्य दीजिए।’ मुनि थे निस्पृह, आत्म-निर्भर और साधनाशील। उन्हें क्या अपेक्षा थी ‘किसी की सेवा और सहयोग की ? लेकिन देव की प्रार्थना का क्रम टूटा नहीं।

एक बार मुनि कहीं जा रहे थे। किसी चाण्डाल से टकरा गए। दुर्बल तो थे ही, भूमि पर गिर पड़े। तपस्या से शरीर क्षीण हो चुका था, पर आवेग पर विजय अभी तक नहीं पा सके थे। वे तिलमिला उठे। सारी शक्ति बटोरकर उठे और लगे चाण्डाल पर गरजने और वरसने—‘अधे कहीं के ! कैसे चलते हो ? कुछ दिखता नहीं ?’

सामने वाला तो चाण्डाल था ही। उसने कहा—‘मैं अधा हूँ तो तुम तो देखते हो। बचकर निकलते, क्यों टकराए मेरे से ?’ दोनों एक-दूसरे को कोसने लगे। चाण्डाल तमतमा उठा और एक ही धक्के से मुनि को फिर धराशायी बना दिया।

एक चाण्डाल से इस प्रकार पछाड़ा जाना मुनि के अह पर गहरी चोट थी। पर विवश थे। शारीरिक क्षमता इतनी नहीं थी कि उससे अपमान का बदला ले सकें। किसी प्रकार अपने स्थान पर पहुँचे। वह

अप्रिय घटना हृदय को कचोट रही थी। प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। इतने में ही देव उपस्थित हुआ और कहने लगा—‘मुनिश्रेष्ठ ! मुझे भी निर्देश दें किसी सेवा-कार्य का ।’ सुनते ही मुनि उबल पड़े—‘सेवा का दम भरते हो, देखी तुम्हारी सेवा । वह बातों से नहीं होती। सदा सेवा-सेवा का गीत गाते हो और सेवा के समय न जाने कहा भटकते रहते हो?’

देव ने कहा—‘क्षमा कीजिए, मुनिवर । उस समय मैं पहचान नहीं सका था कि कौन मुनि है और कौन चाण्डाल ? ऐसी स्थिति में मैं किसकी सहायता करता ?’

मुनि समझ गए कि वस्तुतः मैं भी उस समय चाण्डाल बन गया था। क्रोध चाण्डाल होता है। मैं क्रोधाविष्ट बन गया, अतः उस चाण्डाल में और मुझ में विभेद ही क्या रहा ?

इस प्रकार हमने जाना कि एक परम तपस्वी मुनि भी अनियंत्रित वृत्तियों के कारण चाण्डाल बन जाता है। ठीक इसी प्रकार अपनी दूषित वृत्तियों और वासनाओं पर नियन्त्रण स्थापित करने वाला एक चाण्डाल भी ऋषि बन सकता है। महाभारत में लिखा है—

‘तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माज्जातिकारणम्।’

—निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी तपस्या के द्वारा ब्राह्मण बन जाता है। अतः जाति व्यक्ति की उच्चता और नीचता का कारण नहीं बन सकती।

“सर्व-जातिषु चाण्डाला , सर्व जातिषु ब्राह्मणा ।

ब्राह्मणेष्वपि चाण्डालाश्चाण्डालेष्वपि ब्राह्मणा ॥’

—सब जातियों में चाण्डाल मिल सकते हैं और सब जातियों में ब्राह्मण। ब्राह्मण भी यदि आचार-भ्रष्ट है तो वह हीन है और हीन कहा जाने वाला भी शील और सदाचार सम्पन्न है तो वह ब्राह्मण है, महान् है।

फिर भी एक ऐसा युग आया, जब उक्त उदार दृष्टिकोण की भरसक उपेक्षा हुई। भारतीय समाज में व्यक्ति का अकन उसके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और चरित्र के आधार पर नहीं अपितु जाति के आधार पर होने लगा।

भारतीय इतिहास के पृष्ठ ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं, जहाँ जातीयता के नाम पर दानवता को खुलकर खेलने का अवसर मिला।

मानवता के साथ खिलवाह हुआ। जातीयता के आधार पर इन्सान के साथ जो क्रूरता और निर्दयता का व्यवहार हुआ वह इतिहास की बहुत बड़ी दुर्घटना कही जा सकती है।

‘स्त्रीशूद्रौ नाधीयताम्’ कहकर शूद्रो को विकास के हर अवसर से वंचित रखा गया। अनेक-अनेक उदीयमान प्रतिभाओ को जलने से पहले ही बुझा दिया गया। वेद-वाक्यो का उच्चारण करने वाले शूद्रो की जीभ काट दी गयी। वेद-वाक्यो का श्रवण करने वालो के कानो मे गर्म शीशा डाल दिया गया और न जाने क्या-क्या घटित हुआ जातीयता के आधार पर।

द्रोणाचार्य जैसे महान् विद्वान् गुरु भी कर्ण को शस्त्र-विद्या देने को राजी नहीं हुए, क्योंकि उनकी दृष्टि मे वह सूतपुत्र था। अर्जुन आदि राजकुमारो के साथ लक्ष्य-वेध की प्रतियोगिता मे सम्मिलित होने का अधिकार उसे नहीं मिला, क्योंकि वह सूतपुत्र कहलाता था। विनय-भक्ति और श्रद्धापूर्वक उसने परशुराम से वह विद्या प्राप्त भी कर ली, लेकिन जातीय अभिशाप उसके भाग्य के साथ अठखेलिया कर रहा था। गुरु को उसके क्षत्रिय होने का भ्रम हुआ। कर्ण को अभिशाप मिला कि ‘कठिन परिश्रम और अतीव निष्ठा से प्राप्त सर्वशक्तिमान आयुध अन्तिम समय मे उसके काम नहीं आएगा। उस समय वीर कर्ण के कोमल मानस पर क्या बीती थी, इसका अकन परशुराम क्या कर सकते थे ? उनके मानस मे तो जातीय विद्रोह और प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। क्षत्रियो और ब्राह्मणो का प्रलयकारी युद्ध जातीय उन्माद का ही एक उदाहरण था।

एकलव्य जातीय अभिशाप से प्रताडित था। द्रोणाचार्य के सान्निध्य मे अध्ययन करने का वह अधिकारी नहीं था। उनकी प्रतिमा पर अपनी अगाध श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को केन्द्रित कर वह धनुर्विद्या मे निष्णात बन गया। लेकिन भेद खुलने पर अपने दाहिने कर का अगुष्ठ गुरु-दक्षिणा मे देना पडा। उसका कला-कौशल बेकार हो गया। अपना कौशल प्रदर्शित करने का अवसर उसे नहीं मिला।

जातीय अभिशाप से प्रताडित, दलित और शोषित न जाने कितने और एकलव्य अपने भाग्य को कोस रहे होंगे कि—

‘कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात।

छोटे कुल पर हाथ ! यहा होते रहते कितने आघात !’

उनका यह करारा व्यय एक गहरा प्रश्नचिह्न उपस्थित कर देता है और तथाकथित कुलीन व्यक्तियों को चिन्तन के लिए विवश करता है

‘हाथ ! जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे !

जाति बड़ी तो बड़े बने, फिर लाख रहें चाहे छोटे !’

जातिवाद का प्रश्न नया नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। महावीर और बुद्ध के समय में इसकी चर्चा ने अत्यन्त ही उग्र रूप धारण कर लिया था। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हो चुके थे। इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराएँ रही हैं—एक ब्राह्मण-परम्परा की, दूसरी श्रमण-परम्परा की। ब्राह्मण-परम्परा ने जाति को तात्त्विक माना और ‘जन्मना जाति’ का सिद्धान्त स्थापित किया। श्रमण-परम्परा ने जाति को अतात्त्विक माना और ‘कर्मणा जाति’ का पक्ष प्रस्तुत किया। ब्राह्मण-परम्परा ने कहा—ब्रह्म के मुख से जन्मने वाले ब्राह्मण, भुजा से जन्मने वाले क्षत्रिय, उरु से जन्मने वाले वैश्य और पैरों से जन्मने वाले अन्त्यज हैं। श्रमण-परम्परा ने इस मान्यता का विरोध किया और यह पक्ष स्थापित किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म (आचरण) से होते हैं। अतः जाति के आधार पर किसी को हीन मानना महान् अपराध है और मानवता का अपमान है। जातिवाद के विरुद्ध इस महान् क्रांति के सूत्रधार थे भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध। उन्होंने जातिवाद की तात्त्विकता का घोर विरोध किया।

वस्तुतः प्रारम्भ में मनुष्य जाति एक ही थी। सामाजिक अपेक्षाओं ने उसे विभक्त कर दिया। समाज की मुख्य चार अपेक्षाएँ होती हैं—विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार और शिल्प। समाजशास्त्रियों की सूझ-बूझ ने मानव-समाज को योग्यतानुरूप चार-भागों में विभक्त कर दिया—विद्यायुक्त सदाचार-प्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसाय-प्रधान वैश्य और शिल्प तथा सेवा-प्रधान शूद्र कहलाए।

जैन परम्परा के अनुसार भी पहले मनुष्य जाति एक ही थी। भगवान्

ऋषभ राजा बने, तब वह दो भागो में विभक्त हो गई—जो व्यक्ति राज्याश्रित बने, वे क्षत्रिय कहलाए और शेष सब शूद्र। अग्नि की उत्पत्ति ने शिल्पकला को जन्म दिया। विनिमय की दिशा खुली। व्यवसाय करने वाले वैश्य कहलाए। भगवान् प्रव्रजित हुए। भरत चक्रवर्ती बने। उन्होंने एक स्वाध्याय मण्डल की स्थापना की। उसके सदस्य ब्राह्मण कहलाए। मनुष्य-जाति चार भागो में बंट गई।

गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि वैदिक वर्ण-व्यवस्था के मूल में भी ऐसी ही सामाजिक अपेक्षाएँ रही हैं। उसके अनुसार भी प्रारम्भिक आर्य लोग सभी एक ही वर्ग के थे। प्रत्येक व्यक्ति पुरोहित और योद्धा, व्यवसायी और किसान था। किन्तु जीवन की जटिलता ने वर्ण-भेद को जन्म दिया।

कतिपय विशिष्ट परिवार, जो शिक्षा, कला और बुद्धिमत्ता में प्रख्यात थे, वे पुरोहित कहलाए। पुरोहित का अर्थ है—महत्त्वपूर्ण कार्यों में जिसे सबसे आगे रखा जाए। पुरोहित वर्ग आत्म-सम्बन्धी चिन्तन में निमग्न रहता और जन-साधारण के उच्चतम निर्माण के पवित्र कर्तव्य को जागरूकता से निभाता था। जो ब्राह्मण विद्वानो के आश्रयदाता थे तथा जिनके कन्धो पर शासन-संचालन और रक्षा-व्यवस्था का कार्य था वे राजा क्षत्रिय कहलाए। इनके अतिरिक्त सभी व्यक्ति एक ही श्रेणी के थे, जो कि वैश्य कहलाए। कहते हैं, आर्यों ने जिन आदिम जातियों को मत परिवर्तन कराकर, अपने में मिला लिया, वे शूद्र कहलाए। पर उस समय किसी में भी जाति को लेकर उच्चता और हीनता के भाव नहीं पनपे थे। सभी अपने-अपने दायित्वो का सजगता से पालन करते थे। एक-दूसरे के हित-साधन को अपना परम कर्तव्य मानते थे। लेकिन जब एक वर्ग में अहं भाव जागृत होने लगा तो दूसरे का स्वाभिमान भी सजग हो उठा। यही से मानवीय एकता के लिए खतरा पैदा हो गया। सघर्षों के ज्वालामुखी फूटने लगे।

इस स्थिति में समता के महान सगायक भगवान् महावीर ने जातिवाद के नाम पर पनपने वाले अहं, सामाजिक विभाजन और जातीयता के आधार पर होने वाले अत्याचारों पर गहरी चोट की।

मानवीय धरातल पर एकता, समता और सह-अस्तित्व के मिद्वान्तो को पुन प्रतिष्ठित कर जातिवाद की मजबूत जड़ों को झकझोर दिया । सामाजिक स्तर पर उन्होंने मानवीय एकता का आदर्श प्रस्तुत किया ।

उन्होंने कहा—

“से असइ उच्चागोए, असइ णीयागोए ।

नो हीणे णो अइरित्ते, नो पीहए ।”

यह पुरुष अनेक बार उच्च-गोत्र और अनेक बार नीच-गोत्र का अनुभव कर चुका है, अतः न कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त, इसलिए वह उच्च-गोत्र की स्पृहा न करे ।

उन्होंने कहा—मनुष्य-मनुष्य समान है । आचरण की पवित्रता और अपवित्रता ही उसकी उच्चता और हीनता की प्रतीक है, न कि जाति । उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध तीव्र क्रान्ति की । उसके लिए जन-मानस को जागृत किया । फलतः इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह उच्चकोटि के विद्वान् ब्राह्मण अपने वृहत् शिष्य परिवार के साथ महावीर के शिष्य बने । यह लम्बे समय से चले आ रहे क्षत्रियो और ब्राह्मणों के विरोधी भाव को समाप्त करने का प्रयास कदम था । उन्होंने अपने घर्म-सघ में हरिजनो को भी सम्मिलित किया और उन्हें भी साधना और आत्म-विकास का समान अधिकार प्रदान किया । महावीर की इस क्रान्ति के फलस्वरूप समाज की जाति-विषयक बद्धमूल धारणाएँ उखडने लगी । जातिवाद की शृंखलाएँ शिथिल हुईं और वैदिक परम्परा पर भी इसकी गहरी छाप पड़ी ।

आज जबकि भारतीय समाज का रथ जातीयता एवं अस्पृश्यता के कीचड़ में फसा जा रहा है, अन्य देशों में भी रंग, जाति व उपजातियों के आधार पर भेदभाव व सघर्ष चालू है, महावीर का मानवीय एकता का सन्देश समग्र मनुष्य-जाति के लिए समानता, सहअस्तित्व और सौहार्दपूर्ण सामाजिक संरचना का पावन उपक्रम प्रस्तुत करता है ।

सन्दर्भ

## महावीर की वैज्ञानिक देन : स्याद्वाद

आदीप माव्योम समस्वभाव, स्याद्वाद मुद्रानति भेदिवस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्य मन्यदिति त्वदाज्ञा-द्विषता प्रलापा ॥

आचार्यश्री हेमचन्द्र ने अर्हत्-स्तुति करते हुए कहा—प्रभो, दीपक से लेकर आकाश-पर्यन्त सर्व पदार्थ समान हैं, क्योंकि वे स्याद्वाद की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते। स्याद्वाद वह सक्षम शासक है, जिसकी सार्वभौम प्रभुसत्ता के स्वीकरण में ही वस्तु का 'स्वत्व' सुरक्षित रह सकता है। इस स्थिति में आकाश को नित्य ही मानना तथा दीपक को अनित्य ही मानना आपके प्रतिपक्षियों का प्रलाप मात्र है।

इस लघुतम पद्य में स्याद्वाद का गूढतम रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक वस्तु अनन्त-घर्मात्मक है, यह जैन दर्शन का चित्तन-पक्ष है। उसके अनुसार हर वस्तु एक क्षण में, एक साथ, सत्-असत्, नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, अभिलाष्य-अभिलाष्य आदि अनन्त विरोधी तथा अविरोधी स्वभावों को अपने में समेटे हुए है। एक-एक घर्म अखण्ड वस्तु नहीं, उनका वर्गीकृत रूप ही अखण्ड वस्तु है। उन अनन्त वस्तु-स्वभावों को जानने के लिए अनन्त दृष्टियों की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक दृष्टि वस्तु के एक पहलू को ही अभिव्यक्त करती है। इसलिए हमारा यह ज्ञान सम्पूर्ण सत्य नहीं, सत्यांश है। सम्पूर्ण दृष्टियों का वर्गीकरण ही सम्पूर्ण सत्य होता है। चिन्तन की इस पद्धति का नाम 'अनेकान्त' है। एकान्त दृष्टि हमें सत्य से भटका देती है। चार व्यक्तियों ने एक भकान के विभिन्न दिशाओं से

फोटो लिये। चारो ही फोटो चार प्रकार के थे। चारो व्यक्तियों में विवाद छिड़ गया। सभी ने अपने फोटो को सही और दूसरे को गलत ठहराया। लेकिन सच यह था कि उनमें से गलत किसी का भी फोटो नहीं था। विरोधी दिशाएँ उनके विवाद का कारण बन गयीं। एक दिशा से लिये गए फोटो में मकान का एक भाग ही अभिव्यक्त हो सकता है। चारो को मिलाकर देखने से विरोध स्वतः विलीन हो गया। वैसे ही हमारी एक दृष्टि वस्तु के एक कोने का ही सस्पर्श कर पाती है, फलतः वस्तु का सम्यक् बोध नहीं हो पाता। इस स्थिति में अनेक उलझनों सामने आती हैं। पर उन दृष्टियों के समन्वय से स्वतः समाधान मिल जाता है।

दीपक, जिसमें सामान्यतः अनित्यता प्रतिभासित होती है, नित्य भी है। वह पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, पर द्रव्य की दृष्टि से नित्य भी है। क्योंकि उसमें कार्यशील पुद्गल परमाणु संपूर्णतः नष्ट नहीं होते। दीपक में तेल और वाती जलते हैं, वे धूम तथा गैस में परिणत हो जाते हैं, अतः उनका स्वरूप-परिवर्तन अवश्य होता है, पर विलयन नहीं।

आकाश, जो साधारणतया नित्य प्रतीत होता है, वह भी कथञ्चित् अनित्य भी है। उन्मुक्त आकाश जब घेरे में बन्द हो जाता है तो उसकी अवस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन ही अनित्यता का सूचक है। यह निश्चित है कि स्थायित्व के बिना परिवर्तन आधारशून्य है और परिवर्तन के बिना स्थायित्व मूल्यहीन। कोई भी पदार्थ स्थायित्व और परिवर्तन की रेखा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आम को निचोड़कर रस बना लिया गया। हमारी आँखों के सामने अब वह आम का फल नहीं है। रस, जो पहले दृष्टिगोचर नहीं था, हमारे सामने है, पर उममें आम्रत्व वही है। उसे हम नारंगी का रस नहीं कहेंगे।

जहाँ तक चिंतन और मान्यता का प्रश्न है, यह अनेकान्त दृष्टि हमारा पथ प्रशस्त कर देती है। लेकिन उलझन यहाँ होती है कि पदार्थ अनन्त है और उन्हें जानने के लिए दृष्टियाँ भी अनन्त हैं। पर अभिव्यक्ति का साधन तो एक भाषा ही है। वह भी इतनी लचीली और दुर्बल कि उसके द्वारा हम एक क्षण में वस्तु के एक धर्म का ही प्रतिपादन कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है—एक वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए



अनन्त शब्द चाहिए, और वैसे अनन्त-अनन्त पदार्थों के लिए अनन्त-अनन्त शब्द चाहिए। उनके लिए हमारा जीवन भी अनन्त चाहिए, पर यह कदापि मभव नहीं। अतः हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि भाषा के सहारे हम न तो वस्तु का सम्पूर्ण परिज्ञान ही कर सकते हैं और न ही अभिव्यक्ति। लेकिन जैन तीर्थंकरों ने भाषा के भण्डार को एक ऐसा रत्न प्रदान किया, जिसके प्रभा-मडल से समूचा भाषा-भण्डार जगमगा उठा। वह शब्द-रत्न है 'स्यात्'। यह इतना सक्षम है कि जिस वस्तु के साथ इसे जोड़ दिया जाए, उस वस्तु के समग्र रूप को अभिव्यक्त करने का अपना दायित्व वह बहुत ही जागरूकता से निभाता है। यह भाषा-जगत् का प्राण है। इसके अभाव में भाषा अपने दायित्व का निर्वाह कर ही नहीं पाती। यह अखण्ड सत्य के प्रतिपादन का माध्यम है। यह एक ऐसा दर्पण है, जिसमें वस्तु के सभी रूप एक साथ प्रतिबिम्बित हो सकते हैं। यह वस्तु के किसी एक धर्म का मुख्यतया प्रतिपादन करता हुआ भी उसके शेष अनन्त धर्मों को आँखों से ओझल नहीं करता।

आचार्यश्री तुलसी ने श्री भिक्षु न्यायकर्णिका में स्याद्वाद की सरल और सुगम परिभाषा देते हुए लिखा है—

‘अर्पणानर्पणाभ्यामनेकान्तात्मकार्थप्रतिपादनपद्धति स्याद्वाद ।’

—अनेक-धर्मात्मक वस्तु का, एक समय में, एक धर्म की प्रधानता— विवक्षा और शेष धर्मों की अप्रधानता—अविवक्षा से प्रतिपादन करने की पद्धति अनेकान्तवाद है। 'स्यात्' शब्द के प्रयोग से हम इस प्रयत्न में सफल हो सकते हैं, अतः इसे स्याद्वाद भी कहते हैं।

स्यात् का अर्थ सशय या सभव नहीं। सशय अनिर्णयिकता की स्थिति में होता है। वह अज्ञान है। उसकी भाषा बनती है—‘यह अच्छा है या बुरा, कुछ नहीं कह सकते।’ इसके विपरीत स्याद्वाद निर्णयिक ज्ञान है। उसकी भाषा है—‘यह अमुक दृष्टि से अच्छा ही है और अमुक दृष्टि से बुरा ही है। वस्तु सत् भी है और असत् भी है। अर्थात् वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से सत् है और पर-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से असत् है। एक फूल है। उसमें 'अस्ति' धर्म जितना सावकाश है, उतना ही नास्ति धर्म भी है। इसलिए प्रत्यक्ष देखने वाले

फूल के विषय में भी हम निश्चित कह सकते हैं—यह फूल है भी और नहीं भी। सम्भवत एक बार यह हमें अटपटा-सा लगे, पर तभी तक जब तक कि हम उसे विविध अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ लेते।

दृष्टिया	है	नहीं
द्रव्य-दृष्टि	यह गुलाब का फूल है	कमल का फूल नहीं है
क्षेत्र-दृष्टि	यह जयपुर का है	उदयपुर का नहीं है
काल-दृष्टि	यह वसन्त ऋतु का है	ग्रीष्म का नहीं है
भाव-दृष्टि	यह विकसित है	अविकसित नहीं है

इस प्रकार एक ही वस्तु में दार्शनिक दृष्टि से नित्य-अनित्य आदि तथा व्यावहारिक दृष्टि से छोटा-बड़ा, दूर-समीप, अच्छा-बुरा, खट्टा-मीठा, शीतल-उष्ण आदि अनन्त धर्मों की अवस्थिति निर्वाध है। यह स्यात् शब्द परस्पर-विरुद्ध धर्मों का प्रतिपादन नहीं करता, अपितु हमें जो विरोध लगता है, उसका यह अपेक्षा-भेद से निरसन करता है।

प्रत्येक पदार्थ विविध-रूप है। उसे एक-रूप मानना चिंतन की जड़ता का प्रतीक है। भोजन की उपयोगिता को कौन नकार सकता है? वह भूखे व्यक्ति के लिए परम रसायन, औषध तथा अमृत है। लेकिन वही अजीर्णग्रस्त व्यक्ति के लिए क्या जहर नहीं बन जाएगा?

व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, परन्तु किन्हीं परिस्थितियों में वह महान् घातक भी हो सकता है।

दो व्यक्तियों ने एक ही घड़े का पानी ड्रिपिया। एक ने शीतल पानी पीकर तृप्ति का अनुभव किया। एक की प्यास नहीं बुझी। उसे वह गर्म लगा। दोनों अपनी-अपनी वात सिद्ध करने के लिए झगड़ने लगे। रहस्य खुलने पर विवाद स्वतः शान्त हो गया। वह यह था कि पहले नल का गर्म पानी पीने वाले को कोरे घट का पानी अतीव शीतल लगा और बर्फ खाकर आने वाले को वही जल गर्म लगा। एक की प्यास बुझ गयी, दूसरे की नहीं बुझी।

एक फूल है। एक व्यक्ति उसके रूप पर मुग्ध है। दूसरा मादकता भरी महक से उन्मत्त। उसकी मधुर मुसकान से प्रेरणा ले चिन्ताओं में डूबा किसी का मन पुलक उठता है। उसे देख किसी की वासना उभर

जाती है तो कोई जागतिक तत्वों की अनित्यता का दर्शन कर परम सवेग को प्राप्त करता है। यदि वस्तु एक-धर्मात्मक ही होती तो भिन्न परिस्थिति में उसमें भिन्न धर्म का उदय कैसे होता ?

मैं देखती हूँ, प्रत्येक घर में विजली के तार हैं, उनसे पखा चलता है। बल्ब जलता है। स्टोव पर भोजन पकता है। रेडियो वजता है। टेलीफोन पर बातचीत होती है। एयर-कूलर और एयर-कंडीशनर मनुष्य को भरसक सुविधा प्रदान करते हैं। और भी न जाने कितने रूपों में मानव विद्युत् का उपयोग करता है। सभी तारों में एक ही विद्युत् प्रवाहमान है। फिर भी पखे में उसका चालक गुण, बल्ब में प्रकाशक गुण, स्टोव में दाहक गुण, रेडियो तथा टेलीफोन में उसका ध्वनि-प्रसारक और ग्राहक गुण क्रियाशील है। अतः यह सुस्पष्ट है कि अग्नि केवल दहन-धर्मा ही नहीं, और भी अनेक-धर्मात्मक है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि उसके अन्यान्य गुण विभिन्न निमित्त पाकर ही उभरते हैं। बल्ब में उसका प्रकाशक गुण ही कार्य करता है, न कि दाहक गुण। पर इतने पान्न से हम उसके दाहक गुण को नकार नहीं सकते। हाँ, प्रकाशक गुण के उभरते ही शेष धर्म अप्रधान बनकर उसका अनुगमन करने लग जाते हैं। गति के लिए यह अनिवार्य भी है। एक पैर जब आगे बढ़ता है तो दूसरे को अपने आप पीछे हट जाना चाहिए। यह गति में बाधा नहीं, प्रेरणा है। यदि एक पैर पीछे हटने से इनकार कर दे तो बड़ी मुश्किल हो जाए।

इस प्रकार अनेकान्त और स्याद्वाद के माध्यम से हम पदार्थ का सम्यक्-बोध और सम्यक्-प्रतिपादन कर सकते हैं। इसकी उपादेयता केवल वस्तु-जगत् तक ही परिमिता नहीं है। हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू इससे सस्पष्ट तथा उजागर है।

हमारा जीवन एकता और विविधता का विचित्र योग है। मनुष्य-मनुष्य एक है, यह समानता की अनुभूति समूची मानव जाति को एकत्व के सूत्र में पिरोए रखती है। सबकी रुचियाँ, अपेक्षाएँ, जीने की पद्धतियाँ और अपेक्षा-पूर्ति के स्रोत भिन्न हैं, अतः वह विविध रूपों में विभक्त हो जाती है।

व्यक्ति का जिसके साथ अधिक लगाव या ममत्व होता है, उसे वह

महत्त्व देता है। फलत विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, सम्प्रदाय आदि की रेखाएँ उभर आती हैं। महत्त्व देना बुरा नहीं, यदि उससे दूसरो का महत्त्व और हित खण्डित न हो। समस्या यही प्रसूत होती है कि व्यक्ति 'स्व' को जितना महत्त्व देता है, 'पर' को उतना ही नकारने लग जाता है। यही से मानवीय एकता को खतरा पैदा हो जाता है। सघर्ष के ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं।

एक परिवार में अनेक सदस्य होते हैं। उन सबके हित, स्वार्थ, रुचियाँ और योग्यताएँ भिन्न होती हैं। इस स्थिति में किसी एक के हितों, योग्यताओं आदि को महत्त्व व सम्मान देने पर परस्पर टकराव होता है और अलगाव की दीवारें खिंच जाती हैं। धीरे-धीरे वैमनस्य, घृणा और प्रतिहिंसा की भावनाएँ बलवती होती जाती हैं। सरस पारिवारिक जीवन में विरसता का विष घुलने लग जाता है। इसके विपरीत यदि प्रत्येक सदस्य अपने हितों और भावनाओं को गौण कर दूसरे की भावनाओं और हितों को प्राथमिकता दे तो स्वयं का हित विघटित कभी नहीं होता, वह अधिक सघता है और पारिवारिक जीवन मधुमय बन जाता है। निरपेक्ष व्यवहार जहाँ एकत्व में बिखराव पैदा करता है, वहाँ सापेक्ष व्यवहार बिखरी हुई मणियों को सुन्दर माला का आकार प्रदान करता है। सापेक्ष दृष्टिकोण शान्त, सरस और सुखी जीवन का मूल मंत्र है। दृष्टि की एकाग्रता आग्रह को जन्म देती है। आग्रह हिंसा है, जिसकी भूमिका में वैमनस्य और दुर्भावनाओं के बीज अकुरित होते हैं, जो एक दिन महान विष-वृक्ष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं।

अस्तु, वर्तमान के सन्दर्भ में भी स्याद्वाद की अहंता निर्विवाद है। इसमें वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी समस्याओं का सुन्दर समाधान सन्निहित है।

शोषणहीन समाज की संरचना, निःशस्त्रीकरण, विश्वमैत्री, सह-अस्तित्व आदि दृष्टियों और सिद्धांतों का पल्लवन और उन्नयन म्याद्वाद के प्रतिष्ठान से ही सम्भव है।

जैन-दर्शन की यह सुलझी हुई मान्यता समूचे विश्व के लिए एक वैज्ञानिक देन है।

## गांधी का सत्याग्रह · महावीर का अनाग्रह

कहते हैं, एक बार गर्मी की दोपहरी में चन्दन और कीचड़ के बीच झगडा हो गया। चन्दन का कहना था—दुनिया में कोई भी पदार्थ शीतलता में मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तन झूलसाने वाले, आग उगलते मौसम में, मैं कितनों को शान्ति देता हूँ। दाह-ज्वर की पीडा को मैं क्षणों में भगा देता हूँ। मेरे सेवन से मनुष्य का रोआ-रोआ शीतलता से भर जाता है। मुहमागा मूल्य देकर भी हर व्यक्ति अपने घर में मुझे सजोए रखता है। मेरी मोहकता भरी महक अनायास ही न जाने कितनों को अपनी ओर खीच लेती है।

कीचड़ ने दढता से इसका प्रतिवाद किया और अपनी प्रशसा के पुल वाधने लगा। बात तन गयी। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। आखिर दोनों ने किसी निर्णायक के सामने वहस करना उचित समझा। इस कार्य के लिए चुना गया—कीचड़ में टरं-टरं करता हुआ एक मेढक।

दोनों पक्षों की समग्र युक्तियों को सुन लेने के पश्चात् मेढक ने टरति हुए अपना निर्णय सुनाया—“चन्दन चाहे अपनी कितनी ही प्रशसा करे, पर वह कभी भी कीचड़ की बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे शीतल पदार्थ कीचड़ ही है।” आखिर मेढक से अन्य निर्णय की आशा भी क्या की जा सकती थी। रात-दिन कीचड़ में रहने वाला मेढक चन्दन का मूल्य भी क्या समझे !

उपरोक्त घटना काल्पनिक है, नितान्त काल्पनिक। किन्तु यह एक बहुत बड़े यथार्थ का उद्घाटन कर रही है। मेढक ने ऐसा हास्यास्पद निर्णय दिया होगा या नहीं, लेकिन मानव-समाज में ऐसी घटनाएँ आये दिन घटती ही रहती हैं, क्योंकि वह अपने ही परिवेश में सोचता है। अपने ही आईने में देखता है। हर तत्त्व को अपनी बुद्धि से ही परखता है। उसके अपने आदर्श हैं, अपने ही सिद्धान्त, अपने ही मूल्य होते हैं, अपने ही प्रतिमान। अपनी ही कसौटी होता है, अपनी ही छेनी। अपने ही पैमाने होते हैं, अपने ही बटखरे। और इन सब पर मुहर होती है सत्य की, सत्याग्रह की।

किसी व्यक्ति से पूछा गया—“उत्तम जल कौन-सा है ? सर्वश्रेष्ठ फल कौन-सा है ? आदर्श महिला कौन है और आदर्श पुरुष कौन ?”

उसने तपाक से उत्तर दिया—“पानी अच्छा होता है कुएँ का, फल अच्छा होता है जामुन का, आदर्श महिला है मेरी पत्नी और आदर्श पुरुष हूँ मैं।” यह उसने इसलिए कहा होगा कि उसके खेत में, बाग में और घर में कुएँ खुदे हुए थे, घर में ही जामुन का पेड़ था, जिसके फल पूरे परिवार को प्रिय थे, अपनी पत्नी को और अपने आपको वह अधिक ‘अक्लमद’ मानता ही था।

ये ही प्रश्न जब एक निष्पक्ष व्यक्ति के सामने दुहराए गए तो उत्तर मिला—“पानी वर्षा का अच्छा होता है, फलों में आम सर्वश्रेष्ठ है, महिलाओं में आदर्श महिला है महासती सीता और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष हैं मर्यादा-पुरुषोत्तम राम।”

यह चिन्तन वही दे सकता है जिसका मन किसी पूर्वाग्रह में प्रतिबद्ध न हो, जो अनाग्रही हो और सत्यान्वेषी हो।

सोलहवीं शती के महान् विद्वान् उपाध्याय यशोविजयजी ने इसी तथ्य को सुस्पष्ट करते हुए लिखा है—

“मनोवत्सो युक्तिगर्वा, मध्यस्थस्यानुधावति ।

तामाकर्षति पुच्छेन, तुच्छाग्रह मन कपि ॥”

निष्पक्ष व्यक्ति का मन एक बछड़े के समान होता है, जो युक्ति-रूप गौ के पीछे-पीछे चलता है। आग्रही मानस बन्दर के समान होता है, जो

गों की पूछ पकडकर अपनी ओर खींचता रहता है।

यह स्पष्ट है कि अनाग्रही व्यक्ति का चिन्तन स्वस्थ होता है। उसके मन में सत्य के प्रति आदर और विनम्रता के भाव होते हैं। उसकी दृष्टि सत्याग्रही होती है, अतः जहाँ कहीं भी उसे सत्य उपलब्ध हो, वह विनम्रता से उसे स्वीकारता चला जाता है।

इसके विपरीत आग्रही व्यक्ति भी सत्य को टानता है, उसकी पकड बहुत गहरी होती है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके मन में सत्य के प्रति कोई बहुत बड़ा स्थान या आदर के भाव हैं, बल्कि इसलिए कि तब वह उसके अहं के साथ जुड़ जाता है। उसे ढीला छोड़ने से अहं के खडित होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है। अतः स्वीकृत पक्ष को छोड़ देने की क्षमता वह जुटा नहीं पाता। उसे प्रतिष्ठा और सम्मान के हनन की आशका घेरे रहती है।

इस सन्दर्भ में जब मैं 'सत्याग्रह' के सम्बन्ध में सोचती हूँ तो अपने आपको असमजस में पाती हूँ। सत्य—फिर भी आग्रह? अथवा सत्य के लिए भी आग्रह?

हमारा सत्य से प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, उसके प्रति झुकाव हो सकता है, सत्य की तीव्र अभीप्सा हो सकती है, लेकिन सत्य के प्रति आग्रही बनकर क्या हम सत्य के साथ अन्याय नहीं करते? उस पर आवरण नहीं डालते? उसे घुघला नहीं बनाते?

वैसे तो विश्व-रगमच पर वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर सत्याग्रह के विभिन्न प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन गांधीजी ने विदेशी सत्ता के विरुद्ध शक्तिशाली अहिंसात्मक प्रतिकार के रूप में जिस सत्याग्रह का व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयोग किया, उसने विदेशी शासन की मजबूत जड़ों को उखाड़कर फेंक दिया। तब से 'सत्याग्रह' ने एक राजनैतिक आन्दोलन का रूप ले लिया।

सत्याग्रह शब्द की भावनात्मक समीक्षा करने से विदित होता है कि गांधीजी ने अपनी विणुद्ध नीति से अहिंसा और अध्यात्म को नये परिधान में राजनैतिक प्राण में उतारा था। वह एक युगीन अपेक्षा थी जिसकी सम्पूर्ति उन्होंने की।

लेकिन सत्याग्रह की प्रस्तुति के वर्तमान तरीके—अनशन, हड़ताल, घेराव, बन्द आदि अहिंसा और गांधीजी के उद्देश्यों एवं भावनाओं के कितने निकट हैं, कहा नहीं जा सकता। और सत्याग्रह की छाया में जो कुछ पल रहा है, उसके आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सत्याग्रह है या दुराग्रह? निश्चित ही इन प्रक्रियाओं से तनावपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है, उत्तेजना बढ़ती है और हिंसा भड़कती है। हिंसा सत्य की हत्या करने में भी नहीं सकुचाती। भगवान् महावीर ने इन सब समस्याओं के समाधान हेतु 'अनेकान्त' का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसका फलित है अनाग्रह। उन्होंने कहा—

'पुरिसा । सच्चमेव समभिजाणाहि'

—पुरुष । तू सत्य का ही अनुशीलन कर। सत्य का अनुशीलन व्यक्ति को मिथ्याभिनिवेश में बचाता है। जहां अभिनिवेश होता है, वहां अनुशीलन नहीं होता और अनुशीलन के बिना सत्य की सम्यक् उपलब्धि नहीं हो सकती।

वस्तुतः अपूर्ण व्यक्ति जिसे सत्य मानता है, वह विविध अपेक्षाओं से जुड़कर ही सत्य होता है, अपेक्षाओं से निरपेक्ष होकर नहीं। सत्य अमीम होता है। व्यक्ति की बुद्धि सीमित होती है और ज्ञान परिमित। इन सीमित साधनों से सत्य के कुछेक पहलू ही उजागर हो सकते हैं, सम्पूर्ण सत्य नहीं। अपूर्ण को पूर्ण मानने की मनोवृत्ति दुराग्रह को जन्म देती है। इससे बुद्धि भ्रान्त होती है। मन तनावग्रस्त होता है। हृदय टूट जाता है। जीवन की समरसता और सरसता समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया से सत्य को प्राप्त करना तो दूर, अपितु वह और अधिक दूर होता चला जाता है। इसलिए वह सत्याग्रह भी दुराग्रह बन जाता है। ऐसी स्थिति में सत्याग्रह की अपेक्षा महावीर का 'अनाग्रह-सिद्धान्त' जागतिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में अधिक सक्षम सिद्ध हो सकता है। अनाग्रही व्यक्ति बिना किसी व्यामोह और विद्रोह के तटस्थ-भाव से वस्तु-सत्य का आकलन करता है। यह सत्य-प्राप्ति का ऋजु दृष्टिकोण है।

महावीर ने व्यक्ति की आग्रही वृत्ति पर चोट करते हुए कहा—

'उवेहमाणो, अणुवेहमाण दूया उवेहाहि समियाए'



मध्यस्थ भाव रखने वाला व्यक्ति, मध्यस्थ भाव न रखने वाले से कहे—“तुम सम्यक् सत्य के लिए मध्यस्थ भाव का अवलम्बन करो। क्योंकि—“इच्छेव तथ्य सधी क्षोसितो भवति<sup>१</sup>।” पूर्वोक्त पद्धति से हर प्रकार की समस्या को सुलझाया जा सकता है।

अस्तु, महावीर की दृष्टि में सत्य के उद्घाटन और अनुगमन का एकमात्र उपाय है अनाग्रह-वृत्ति का विकास। वैचारिक प्रतिबद्धता जहां हमें सत्य से बहुत दूर धकेल देती है, वहां अनाग्रह से किमी भी समस्या का नमाघान स्वतः नितर आता है। भले ही वह समस्या वैयक्तिक हो या पारिवारिक, राष्ट्रीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक हो या सामाजिक, धार्मिक हो या साम्प्रदायिक। इससे मानवीय शक्ति का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ की विध्वसात्मक प्रवृत्तियों में क्षीण न होकर नव-सृजन की दिशा में प्रवहमान हो सकता है।

### सन्दर्भ

१ आचार्य ५।५।६७।

२ आचार्य ५।५।६८।

## अपनी छाया : अपना दर्पण

अणुभ्रत-अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी जब राजस्थान के सीमान्त प्रदेश श्रीगगानगर की पदयात्रा पर थे तो उन्होंने मार्ग में देखा—सीमान्त प्रदेश पर कुछ हिन्दुस्तानी जवान दूरवीक्षण यंत्र में आखे गडाए एक ऊची-सी दीवार पर खड़े हैं, और उधर पाकिस्तान की सीमा पर भी जवान वैसे ही खड़े हैं। वे न हिलते हैं और न डुलते हैं। मात्र एक-दूसरे की सीमा पर दृष्टि केन्द्रित किए खड़े हैं—एक सघे हुए योगी की तरह, निष्प्रकम्प।

आचार्यश्री की वेधक दृष्टि उन पर टिकी और उन्होंने अधिकारियों से पूछा—“ये जवान इस प्रकार निश्चल क्यों खड़े हैं ?”

“आचार्यश्री ! ये हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमा-मुरक्षा दल के जवान हैं। शत्रु की सीमा में होने वाली गतिविधियों और हलचलो को ये पूरी मतर्कता में देख रहे हैं, यह इनकी ड्यूटी है।” अधिकारियों ने बताया।

तब्य की गहराई में जाते हुए आचार्यश्री ने कहा—“यही तो अध्यात्म-नीति और राजनीति का अन्तर है। राजनीति जहां बाहरी घटनाओं के प्रति मतर्कता बरतने पर बल देती है, वहां अध्यात्म-नीति भीतर की गतिविधियों और हलचलो के प्रति सावधान रहने की प्रेरणा देती है।”

इस छोटे-से मृदु सम्मरण में एक महान् जीवन-दर्शन सन्निहित है। वस्तुतः बाहर के शत्रु हमारे बाहरी वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं न कि अन्तर्-जगत को। अन्तर्-जगत को यदि कहीं से खतरा हो सकता है

तो वह भीतर से ही हो सकता है। अतः अपेक्षा है हम भीतर में होने वाली गतिविधियों और हलचलो के प्रति पूर्ण जागरूक रहे।

विकास के चरम बिन्दु पर स्थित मनुष्य जाति आज इतना सतही और चहिर्मुखी जीवन जी रही है कि उसकी समग्र चेतना का बहाव उस बजर रेगिस्तान की ओर हो रहा है, जहाँ मानवीय हितों का अकुरण और पल्लवन प्रश्नचिह्न बनकर ही रह जाता है।

उसके विखरे हुए ऊर्जाकिण जन्म देते हैं—ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, असन्तोष, असहिष्णुता और स्वार्थपरता के विपाक्त अकुरों को। उनके दुष्प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है चेतना का केन्द्रीकरण। उसका प्रथम सोपान है—अन्तर्दर्शन।

वस्तुतः चेतना का केन्द्रीकरण और अन्तर्दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विखरी हुई चेतना स्वप्रतिष्ठित नहीं हो सकती और स्वप्रतिष्ठा के बिना उसके विखराव को रोकना भी नहीं जा सकता। अतः अपेक्षा है कि हम अपनी समग्र वृत्तियों और प्रवृत्तियों को स्वयं में समेटकर भीतर की गहराई में उतरें। आत्म-केन्द्रित बनें। 'स्वदर्शन के द्वार' उद्घाटित करें।

बहुत ही लम्बी और कठिनाइयों से भरी यात्रा है स्वदर्शन की। उसका प्रारम्भ होता है—स्वयं के विकारों, वृत्तियों और प्रवृत्तियों के दर्शन से।

इन स्वदर्शन की प्रक्रिया को हम सरलता से समझ सकते हैं—अंग्रेजी शब्द watch के सर्वांगीण विश्लेषण से। 'वाच' का पूरा अर्थ है वारीकी से देखना—निरीक्षण करना। पर किसका निरीक्षण करें—यह दिशा-बोध मिलता है इसी शब्द के एक-एक अक्षर से, जैसे कि—

Watch your words

Watch your actions

Watch your thoughts

Watch your character

Watch your habits

—अपने शब्दों को देखो। अपने कार्यों को देखो। अपने विचारों को देखो। अपने चरित्र को देखो। अपनी आदतों को देखो।

वस्तुतः शब्द, प्रवृत्तियाँ, चिन्तन, चरित्र और आदतें—इन्हीं से

व्यक्ति की पहचान होती है और व्यक्तित्व का मूल्यांकन। व्यक्तित्व-निर्माण के मौलिक आधार भी ये ही विन्दु बनते हैं।

विवेकपूर्ण शब्द प्रयोग, शालीन प्रवृत्तियाँ, ऊर्ध्वमुखी चिन्तन, सुलझे हुए विचार, पवित्र आचार, प्रेम-पूरित व्यवहार तथा अच्छी आदतें—एक शक्ति-सम्पन्न और तेजस्वी व्यक्तित्व को जन्म देती हैं। इसने व्यक्ति स्वयं तो समाज में सम्मानित व प्रतिष्ठित होता ही है, परिपार्श्व में भी एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकता है। उसके विपरीत उक्त दुर्बलताओं से आक्रान्त व्यक्ति स्वयं अशान्त रहता है और दूसरों को अशान्त ही बाटता है। वह स्वयं दुःखी रहता है और चारों तरफ दुःख ही दुःख के बीज बिखेरता है। फलतः ममग्र मानवीय चेतना अनेक-अनेक जीवन घाती समस्याओं से घिर जाती है। इसका मूल कारण है स्वयं के भीतर क्षाकने की मनोवृत्ति का अभाव। इसी से व्यक्ति 'आरोपण' की वृत्ति का शिकार हो रहा है। अपनी दुर्बलताओं को औरों पर आरोपित करता रहता है, लेकिन यह वृत्ति उसके सरम, शान्त और सुखी जीवन के मधुमय क्षणों में विपद् घोल देती है। इस स्थिति में उसे सर्वत्र एक रिक्तता, शुष्कता, असुरक्षा और परायेपन की अनुभूति होने लगती है। अपनी पर से भी उसका विश्वास उठ जाता है। अतः वह हर व्यक्ति की हर प्रवृत्ति को सन्देह की आँखों से देखने लगता है। यही से एक अन्तहीन शिकायत की वृत्ति का जन्म होता है।

मा-बेटी, माम-बहू, बाप-बेटा, भाई-भाई, मित्र-मित्र, छात्र-अध्यापक, मालिक-मजदूर, अधिकारी-कर्मचारी, जनता-सरकार—सब एक-दूसरे के प्रति सशय और शिकायत के भावों से भरे रहते हैं। इससे आत्मीय सम्बन्धों में गहरी दरार पड़ जाती है। प्रेम और स्नेह का स्रोत सूख जाता है। जीवन की समरसता लुप्त हो जाती है और समग्रता खण्ड-खण्ड। परिणाम-स्वरूप मनुष्य कटी-कटी और पेवन्द लगी जिन्दगी जीने लगता है।

इन सब समस्याओं का स्थायी समाधान है—अन्तर्मुखी दृष्टिकोण। इससे स्वयं की दुर्बलताओं की जड़ उखड़ती है, वृत्तियाँ परिमार्जित होती हैं और जीवन में मानवीय मूल्य प्रतिष्ठित होते हैं।

यद्यपि आज मनुष्य को समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि ऐसे-

ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से उसका अधिकांश समय विश्व-दर्शन में ही बीत जाता है और रहा-सहा समय चला जाता है आलोचना, प्रत्यालोचना और व्यर्थ की बहसबाजी में। उसे भीतर झाकने का अवसर ही नहीं मिलता।

लेकिन अध्यात्मयोगी महावीर ने कहा—मनुष्य को चाहिए कि वह विश्व-दर्शन के व्यस्त क्षणों में भी कुछ समय स्वयं को देखने के लिए निकाले।

उन्होंने बताया—

“जो पुष्वस्तावरस्तकाले सपिबुद्धि अप्पगमप्पण्ण।

किं मे कड किं च मे किच्च सेस, किं सक्कणिज्ज न समायरामि।।”

—“पूर्व रात्रि में या पश्चिम रात्रि में, अथवा रात को सोते समय और सुबह उठते समय, वह कुछ क्षण के लिए आत्मदर्शन करे। स्वयं के द्वारा स्वयं को देखे और सोचे कि आज तक मैंने क्या-क्या कार्य किए हैं? जो किए हैं वे कार्य कैसे हैं? मेरे कार्य से किसी दूसरे के स्वार्थों और हितों का विघटन तो नहीं हो रहा है? मेरे लिए क्या करणीय है? क्या ऐसा भी कोई कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ पर कर नहीं रहा हूँ?

यह चिन्तन एक ऐसा दर्पण है जो हर व्यक्ति का एक अपना दर्पण है और वह इतना स्वस्थ है कि उसमें व्यक्ति अपनी छाया का यथार्थ प्रतिबिम्ब देख सकता है।

यह एक मानवीय दुर्बलता है कि व्यक्ति या तो अपने चिन्तन-दर्पण में दूसरों के विम्ब देखने में व्यस्त रहता है या दूसरों के भाव-दर्पण में स्वयं की छवि देखने की कोशिश करता है। इन दोनों ही उपक्रमों से यथार्थ की अवगति नहीं हो सकती। यथार्थता के बोध के लिए अपेक्षित है—बह अपने ही दर्पण में अपनी छाया को देखे।

यह स्वदर्शन की यात्रा ध्वास-दर्शन और शरीरतन्त्र में अभिव्यक्त होने वाली स्थूल या सूक्ष्म सवेदनाओं के अवलोकन से और भी सुगम हो जाती है। इस प्रक्रिया को बौद्ध-परम्परा में आनापानसती और विपश्यना कहा जाता है। जैन आगम ग्रन्थों में भी अनुप्रेक्षा के रूप में इसके बीज यज्ञ-तन्त्र विकीर्ण मिलते हैं।

इस क्रम से पुरातन सस्कार क्षीण होते हैं। राग-द्वेष की ग्रन्थिया शिथिल होती हैं। वृत्तिया शान्त होती हैं। बुरी आदतो से छुटकारा मिलता है। जीवन मे रूपान्तरण घटित होता है। भीतर की सोयी हुई शक्तिया जाग उठती हैं, जिन्दगी की दुर्गम घाटियों से आनन्द का स्रोत फूट पडता है। बाहर-भीतर तैरने लगती है—शक्ति, स्फूर्ति और शान्ति की नन्ही-नन्ही नौकाए, जिन पर आरूढ होकर व्यक्ति उफनती हुई जीवन-सरिता के उस पार पहुच जाता है, जहा न समस्याओ की घटाए हैं, न शिकायतो की वौछारें। न आलोचना की विजलिया हैं, न सघर्षों की कडकडाहट। न व्यथाओ की काली कजरारी रात है और न आतक का गहरा तम।

वहा रहता है सदा उजला प्रभात, कल-कल वहता शान्ति का शीतल शुभ्र प्रपात, जिसमे वह जाती है मन की व्यथा और हृदय का समग्र सन्ताप।

## मन का अधेरा . रोशनी का पहरा

प्रायः देखा जाता है, हर व्यक्ति अपने आवास के बाहरी भाग को साफ-सुथरा और सजा सवरा रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है—भीतर चाहे कितना ही कूड़ा-करकट भरा रहे, दुर्गन्ध उठती रहे और टूटी-फूटी वस्तुएँ इधर-उधर बिखरी रहे। अधिकांश यह भी होता है जो वस्तुएँ टूट-फूट जाती हैं या एकदम बेकार हो जाती हैं, उन्हें भी फेंक देने की अपेक्षा व्यक्ति भीतर ठूसते रहते हैं, घर के किसी अंधेरे कोण में जमा करते रहते हैं और मात्र यही सतर्कता बरती जाती है कि बाहरी लोगों को हमारी गरीबी और फूहड़पन का परिचय न मिले। उनकी दृष्टि में हमारी सभ्यता और शालीनता बरकरार बनी रहे।

जरा गहराई में उतरने से पता चलता है कि मनुष्य की वृत्ति अन्तर्जगत् में भी उतनी ही प्रखरता लिये हुए है।

मनुष्य के भीतर दैवी और आसुरी, दोनों ही वृत्तियों के बीज विद्यमान रहते हैं। दोनों में गहरा टकराव रहता है। दोनों ही एक-दूसरी को उखाड़ना और पछाड़ना चाहती हैं। जब दैवी वृत्तियाँ विजयी होती हैं तो मनुष्य का दिव्यत्व जाग उठता है। जब आसुरी वृत्तियाँ बल पकड़ लेती हैं तो वह राक्षस से भी अधिक भयावह हो जाता है। तब वह या तो पशुता की ओर जाता है या पैशाचिकता की ओर। कितनी मार्मिक हैं ये पंक्तियाँ—

आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है,

भस्म करने विश्व को वह आज दुर्वासा बना है।

क्या जरूरत राक्षसों की चूसने इन्सान को, जब  
आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बना है।

क्षमा, सहिष्णुता, ऋजुता, मृदुता, मधुरता—ये दैवी वृत्तियाँ हैं और  
उत्तेजना, क्षुद्रता, कुटिलता, कलुपता आदि आसुरी वृत्तियाँ।

लेकिन मनुष्य छिपाने में बहुत दक्ष होता है। वह न जाने कितने-कितने  
मुखाँटे रखता है, कितने-कितने अभिनय करता है और कितनी-कितनी  
चालें चलता है। वह भीतर आग जगलता है और ऊपर से मीठी मुसकान  
विखेरता है। भीतर किसी को धोखा देने तथा अपमानित करने के लिए  
षड्यत्न रचता है और बाहर से मैत्री का हाथ बढ़ाता है। भीतर-प्रतिशोध  
की ज्वालाएँ भभकती हैं और ऊपर के मधुर व्यवहार दूसरों को पानी-पानी  
कर देते हैं।

यह चातुरी भले ही उसे समाज में प्रतिष्ठा प्रदान कर दे, भले ही पूरा  
परिवेश उससे प्रभावित हो जाए पर उसके अन्तर्मन में निरंतर एक अज्ञात-  
सी पीडा और क्षुब्धता बनी रहती है।

वे दबी हुई वृत्तियाँ और आकाक्षाएँ जीवन के मधुमय क्षणों में जहर  
घोलती रहती हैं। काटे की तरह क्षण-क्षण खटकती रहती हैं। जैन आगम-  
ग्रन्थों में इस वृत्ति को शल्य कहा गया है, जिसको बाहर निकाले बिना  
व्यक्ति कभी भी स्वस्थता की अनुभूति नहीं कर सकता।

मानस-शास्त्रियों ने इस तथ्य को एक बहुत ही सुन्दर और मरल रूपक  
के माध्यम से समझाया है।

कल्पना करें, किसी अमीर परिवार का एक बहुत ही सुन्दर भवन है।  
उसका एक कक्ष अत्यन्त करीने से सजा है। हर प्रकार की वैज्ञानिक सुख-  
सुविधाएँ जुटाई गयी हैं। विजली की जगमगाहट, पखों की घरघराहट,  
रेडियो और ग्रामोफोन की मधुर स्वर-लहरी, टेलीविजन के नयनाभिराम  
दृश्य, मोहक कालीनें, मखमली गद्दे, मेज-कुर्सियाँ, सोफानेट तथा विविध  
प्रकार के झाड-फानूस इतनी कलात्मकता से सजाए गए हैं कि कक्ष की  
भव्यता और निखर गयी है। उसमें रहते हैं सभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति।  
वे उस विशाल सामग्री का मनचाहा उपयोग करते हैं।

उसी कक्ष के भीतर एक सीलन-भरी कोठरी है, जिमका द्वार उसी



भव्य कक्ष में खुलता है। न उसमें हवा का प्रवेश है, न धूप का प्रवेश है और न प्रकाश का प्रवेश। रह-रहकर उठती है मन में घुटन और ऊब पैदा कर देने वाली अजीब-सी बदबू। उसमें रहते हैं कुछ अनपढ़, असभ्य आदिवासी मानव।

मुन्दर कक्ष की साज-सज्जा और चमक दमक उनके भोले-भाले मानस को भी अपनी ओर खींच रही है। वे भी ललचाते हैं उस नयी दुनिया से सम्पर्क स्थापित करने के लिए और आनन्द लूटने के लिए। पर विवश हैं, बाहर आ नहीं सकते। बीच में पहरेदार बैठा है। उसकी कही निगरानी है। जब भी वे बाहर आने का प्रयत्न करते हैं, पहरेदार गरजता है, बरसता है, लाठी पीटता है। बेचारे दबे पाव भाग जाते हैं।

जब कभी पहरेदार को झपकी आ जाती है तो वे धीरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ बाहर आकर अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। कोई विजली का स्विच दबाता है तो कोई पखा स्टार्ट करता है। कोई रेडियो चलाने के लिए अटकलें लगता है तो कोई आराम से गद्दे पर लेट जाता है। लेकिन मन ही मन सब डर रहे हैं—कही पहरेदार जग न जाए। पहरेदार भी आख खुलते ही घमकाता है उन्हें—‘खबरदार ! जल्दी घुसो भीतर।’ बेचारे हडबडाते हुए घुस जाते हैं उस अघेरी-घुप्पे कोठरी में।

जब तक कुतूहल शान्त न हो जाए, उनका यह क्रम चालू रहता है। ठीक इसी प्रकार मानव-मानस के भी दो स्तर हैं—चेतन मन और अचेतन मन। इन दोनों के बीच में विवेक प्रतिष्ठित रहता है, जो पहरेदार का काम करता है। जब-जब मन में अच्छी भावनाएँ, आकाशाएँ एवं पवित्र विचार उठते हैं, तो विवेक उन्हें चेतन मन के चित्रपट पर अभिव्यक्त होने का अवसर दे देता है। लेकिन कभी ऐसे विचार या इच्छाएँ भी मन में पैदा हो जाती हैं जो व्यक्ति या समाज की दृष्टि में हीन मानी जाती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति से बदनामी होती है, समाज में व्यक्ति का मूल्य घटता है, व्यक्तित्व में ठेस पहुँचती है या जो कार्य करने में आलोचना-प्रत्यालोचना का भय रहता है। ऐसे विचारों को, आकाशाओं को विवेक तत्काल बही दबा देता है। मन की अघेरी कोठरी में छिपा लेता है। वे दमित भावनाएँ जब-तब अवसर पाकर प्रकट होना चाहती हैं पर विवेक उन्हें पुन-पुन लौट

जाने को विवश करता रहता है।

इस क्रम से अतृप्त इच्छाएं अन्तर्मन की गहराई में उतरती जाती हैं। फलतः मन में अनगिन गांठें घुलती जाती हैं, कुठाएँ पनपने लगती हैं और व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विक्रम अवरुद्ध हो जाता है।

वे दमित भावनाएँ अपनी अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं त्यागती। समुचित अवकाश न मिलने पर वे हमरे-दूसरे रूपों में प्रकट होती हैं। शारीरिक या मानसिक रोगों के रूप में उभार लेने लगती हैं।

मनोरोग आधुनिक युग की जटिल पहेली है। पूरा मानव-समाज इससे आक्रान्त है। वह स्नायविक तनाव और चेतना के विखराव से क्षत-विक्षत और जर्जर हो रहा है। फलतः निस्तेज, निर्बल और बीमार पीढ़ी जन्म ले रही है। अपेक्षा है इसके समुचित उपचार की।

सर्वप्रथम अन्तर्मन की गहराई में जमी हुई वृत्तियों और वाननाओं की परतों को कुरेद-कुरेदकर बाहर निकालना आवश्यक है।

फोड़े पर यदि ऊपर-ऊपर मरहम करते रहे और भीतर मवाद भरा रहे तो वह पूरे शरीर के लिए घातक बन जाता है।

पेट के भीतर विकृति भरी रहे और ऊपर से औषध उपचार करते रहे तो क्या स्वास्थ्य की आशा की जा सकती है? इसी प्रकार अपनी अमनु-प्रवृत्तियों के रेचन, शोधन और परिमार्जन के बिना चैतन्य विकास तथा आन्तरिक ऊर्जाओं के परिस्फुरण की कल्पना भी कल्पनामाल ही रह जाती है। अन्तर के अन्धकार को मिटाएँ बिना बाहरी रोशनी के सौ-सौ पहेँ भी मूल्यहीन हो जाते हैं।

अन्तर में छिपी अमत् वृत्तियों को उखाड़ने के उपाय हैं—ध्यान, कायोत्सर्ग, प्राणायाम, जपसाधना आदि। इनके प्रयोग से कुछ उलझने भी आ सकती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, इतने बुरे विचार और कल्प भावनाएँ उसको बुरी तरह घेर लेते हैं, जिनका उसने कभी भी अनुभव नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपने आपको सभाल पाना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। किन्तु इस स्थिति में घबराने वाले व्यक्ति की यात्रा अधूरी ही रह जाती है। उसके विक्रम के द्वार कभी भी खुल नहीं सकते। मन की गांठों को खोलने के लिए आवश्यक है, जब भी जैसे भी विचार आए

हम द्रष्टा बनकर उन्हें देखते जाए। न तो उनसे घबराए और न उन्हें बुरा मानकर पुन अवचेतन के गह्वर में घुसेडने का प्रयत्न करें। जमे हुए कूडे के ढेर को उखाडने से एक बार वदबू तो फूटती ही है, पर बिना उखाडे वह गन्दगी दूर भी तो कैसे हो सकती है। वदबू से डरने या लडने से वह दूर नहीं हो सकती अपितु उसके केन्द्र को जरा-सा हिला दें या उखाड दें तो वह स्वत उखड जाएगी और धीरे-धीरे वहा से मरक जाएगी।

वैसे ही हम वृत्तियो और सस्कारो के केन्द्र, सूक्ष्म मन को झकझोर दें, उसमे हलचल पैदा कर दें। जो वृत्तिया उखडें, जो अच्छे या बुरे विचार धाए, मात्र द्रष्टा भाव से, साक्षी भाव से उन्हें देखते रहे, वे अपने आप बाहर निकल जाएंगे। गृहस्वामी के जागते हुए क्या चोर भीतर घुसने का साहस कर सकता है ?

मनोभूमि की विशुद्धि के पश्चात् आवश्यकता है, उसमे नये सिरे से कूडा करकट न जमने पाए। सस्कारो की गाठें न खुलने पाए और कूठाए न पनपने पाए। इसके लिए मन को सदा सत्सकल्पो, भगल-विचारो और पवित्र भावनाओ से भरा-पूरा रखना अपेक्षित है। जिसका मन सदा मैत्री, स्नेह, करुणा और प्रसन्नता से भरा रहता है, उसमे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध की भावना आदि को स्थान ही कहा मिल पाता है।

अस्तु, मन को तनाव, विखराव और कुंठाओ से मुक्त रखने के लिए पूर्व ग्रन्थियो का विमोचन, कुंठाओ का रेचन और मानसिक परिष्करण जितना अपेक्षित है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि उसको सभावित ग्रन्थिपात से सजगता पूर्वक बचाए रखें।

भगवान् महावीर की दृष्टि में इसका एकमात्र उपाय है—

“जहा अतो, तहा वार्हि, जहावार्हि, तहा अतो”

—साधक जैसा अन्तस् में, वैसा बाहर में, जैसा बाहर में, वैसा अन्तस् में रहे।” अन्तस् और बाहर—इन दोनो अवस्थितियो का सूक्ष्म पर्यवेक्षण कर, महावीर ने दोनो के शोधन को अनिवार्य समझा। उन्होने कहा—केवल अन्तस् का शोधन ही पर्याप्त नहीं है। बाहरी व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। वह अन्तस् का प्रतिबिम्ब है। केवल बाहरी व्यवहार का शोधन भी पर्याप्त नहीं है। अन्तस् के शोधन के बिना वह मात्र दिखावा है,

## ६० महावीर व्यक्तित्व और विचार

और है वृत्तियों का केवल दमन । इसलिए अन्तस् का शोधन भी अनिवार्य है । अन्तस् और बाहर दोनों की शुद्धि ही साधना की परिपूर्णता है । साधना की इस प्रोन्नत भूमिका पर पहुँच जाने के बाद मन के बाहरी और भीतरी कक्षों की भेद-रेखा समाप्त हो जाती है । वहाँ मन के विशाल कक्ष के खुले वातायन, हर पवन-लहरी का, हर आलोक-किरण का अभिवादन करते रहते हैं ।

सदर्भ

१ आचार्य २।५।१२६

## आनन्द की राह

“जितना सोयें उतना पाए, क्यो कोई आ हमे जगाए ?

हम हैं स्वय-स्वय मे लीन, क्यो हो गवित क्यो हो दीन ?”

ये पक्तिया हैं युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी की, जिन्होंने कई वर्ष पूर्व स्वर्गीया माधवीप्रमुखा महासती श्री लाडाजी के नाम दिए गए एक पत्र मे लिखी थी ।

मुझे ये पक्तिया बहुत प्रिय लगती हैं । जब भी ये स्मृति-पट पर उभरती हैं, मैं एक मस्ती-भरी गुनगुनाहट मे खो जाती हू ।

इस पथ के माध्यम से आचार्य-प्रवर ने उन सुख-शय्याओ मे सुख की नीद सोने की प्रेरणा दी है जो व्यक्ति को असत् से सत्, अविद्या से विद्या और तम से ज्योति की ओर ले जाती है । वह सोना भी जागरण का पर्याय बन जाता है । वहा सारी वेदनाए धुल जाती हैं, चिन्ताए गल जाती हैं और आकाक्षाए सिमट जाती हैं । वहा सोकर व्यक्ति अन्तर्जगत् मे प्रवेश पा लेता है । उससे विकास के द्वार खुल जाते हैं और आनन्द के स्रोत फूट पडते हैं । यह स्थिति आश्चर्यजनक लगती है कि कही सोना भी उपलब्धि का हेतु बन सकता है ? लेकिन महापुरुषो की वाणी रहस्यमयी होती है । उसकी गहराई मे उतरकर ही हम यथाथ से अवगत हो सकते हैं ।

मेरे सामने से अनेक आकृतिया गुजर रही हैं और सदा गुजरती ही रहती हैं । कभी कभी अनचाहे ही मन उस ओर खिच जाता है, तो मैं उन्हें पढने लगती हू, बहुत गहराई से पढती हू । हसी-खुशी के वातावरण मे भी

उन पर विषाद और व्यथा की छाया दृष्टिगत होती है।

जिनके सम्बन्ध में मैं महान् सुखी होने की कल्पना करती हूँ वही मुझे मिलती है—मन को ऊँचा देने वाली घुटन, गहराती हुई वेदना और निराशा का कुहासा।

लगता है, भव्य इमारतों, कारों की चमक-दमक, करोड़ों की पूजी, शाही ठाट-वाट और हर भौतिक सुख-सुविधा की उपलब्धि—इन सबको पाने वाला व्यक्ति भी आनन्द की अनचुड़ी प्यास से तड़पता रहता है। वह यद्यपि वातानुकूलित कमरे और फूलों की शय्या में सोता है, फिर भी मन वैचैन चिन्ताओं का जाल—सकल्प-विकल्पो की भीड़—एक अज्ञात पीड़ा—एक कसक न जाने नींद भी क्यों कतराती है उससे ?

इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे शरीर और बुद्धि से परे भी एक ऐसी भूख, एक ऐसी प्यास और एक अभीप्सा विद्यमान है, जिसे बाहर से सब-कुछ पाकर भी शान्त नहीं किया जा सकता।

वस्तुतः हम अपने आप में इतने परिपूर्ण और सक्षम हैं कि बाहर से कुछ पाने की अपेक्षा ही नहीं रहती। लेकिन कृत्रिम अपेक्षाओं के जाल में हम इस कदर फसे रहते हैं कि भीतर झांकने का अवकाश भी नहीं मिलता।

अध्यात्म-योगी महावीर ने कहा—‘पुढोछदा इह माणवा’—मानव-मानस विविध अपेक्षाओं से जुड़ा रहता है। यह अपेक्षाओं का विस्तार उसे आनन्द की राह से भटका देता है। चेतना की ऊँचाई से फिसला देता है।

अपने ही भीतर छिपे हुए आनन्द के अक्षय कोष से अनजान व्यक्ति अपने को बाहर से भरना चाहता है। पर जितना वह बाहर से अपने को भरता है उतना ही भीतर से रीतता जाता है।

व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाए, यह नितान्त असंभव है। ऐसी स्थिति में उसके मानस में निरंतर एक चुभन-सी बनी रहती है जो उसे कभी भी शान्ति से नहीं सोने देती।

अपेक्षाओं के जगत् से मुडकर ही व्यक्ति उस रमातीत रस का अनुभव कर सकता है जिसके सामने स्वादु-से स्वादु पकवान भी नीरस और फीके प्रतीत होने लगते हैं। उस बाह्य निरपेक्ष सुखद स्थिति को प्राप्त करने के

लिए भगवान् महावीर ने चार उपाय सुझाए हैं, जो 'सुख-शय्या' के नाम से पुकारे जाते हैं और आचार्यश्री ने अपने पद्य में उसी ओर संकेत किया है। उनमें पहला सूत्र है—सत्य के प्रति अटूट विश्वास।

सत्यनिष्ठ होने के लिए स्वयं में विश्वास होना अत्यन्त अपेक्षित है। स्वयं के प्रति विश्वस्त व्यक्ति ही दूसरों के प्रति विश्वस्त रह सकता है। सबके प्रति विश्वस्त रहने वाला सत्य के प्रति अविश्वस्त हो ही नहीं सकता।

अपने लक्ष्य, प्रवृत्ति और प्रगति के प्रति भी विश्वास होना जरूरी है। सदेहशील व्यक्ति व्यावहारिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो सकता। वह नीरस और कटा हुआ जीवन जीता है। उसे न अपने अस्तित्व, कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर भरोसा होता है और न दूसरों पर। सन्देह मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। उससे पारस्परिक स्नेह और सोहार्द का स्रोत सूख जाता है। मन मदा भय और आशंका में भरा रहता है। दबे हुए भय और आशंका कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय—अनेक ममम्याओं के भूल में यह सन्देहवृत्ति ही कार्य करती है।

दूसरा सूत्र है—स्वलाभ में सन्तुष्टि और परलाभ में अनाशंसा।

यह बहुत कठिन साधना है। सामान्यतः व्यक्ति को दूसरे का सुख और समृद्धि अधिक दीखती है और अपनी कम। व्यक्ति को इस मनोवृत्ति का मजबूत चित्रण देखिए कवि की इन पक्तियों में—

छोड़कर निश्वाम कहता है नदी का यह किनारा,  
उम किनारे पर जमा है जगत भर का हर्ष सारा,  
वह किनारा किन्तु लम्बी गाम लेकर कह रहा है—  
हाय रे ! हर एक मुख उम पार ही क्यों वह रहा है ?

इस प्रकार अपनी उपलब्धि में असन्तुष्ट रहने वाला व्यक्ति परकीय उपलब्धि से जनता है या उम पर हस्तक्षेप करता है। इसमें अनेक उलझनों सामने आती हैं। दूसरे की प्रगति के प्रति असहिष्णुता महान् मानवीय दुर्बलता है। पारिवारिक, जातीय, सामाजिक, धार्मिक और भाषायी विवादों की जड़ यह असहिष्णु वृत्ति ही है। इसी वृत्ति ने न जाने कितनी

वार मानव-जाति को युद्धों की लपटों में झोका है। काश ! बाज के विकासशील और विकसित राष्ट्र अपने अधिकारों की सुरक्षा करते हुए अपनी प्रगति में सन्तुष्ट रहते। तब विस्तारवादी मनोवृत्ति और आक्रामक नीति को पनपने का अवसर ही नहीं मिलता।

तीसरा सूत्र है—कामभोगों से गहरी विरक्ति।

व्यक्ति का चैतन्य-जागरण जितना स्वल्प होता है, मन और इन्द्रिया उतने ही बाहर दौड़ते हैं। ऊर्जा और चेतना का बहाव भीतर न होकर बाहर की ओर होने लगता है। बहिर्मुख व्यक्ति बाह्य के प्रति आनन्द रहता है लेकिन उसे कभी अन्तस्तोप नहीं मिलता। असन्तुष्ट मानन की वगिया में आनन्द के फूल खिल नहीं सकते। इसीलिए महावीर ने मुझाया—‘दिट्ठेहि निव्वेय गच्छेज्जा’—दृष्ट पदार्थों से उदासीन रहो। यह विरक्ति ही अन्तर्दर्शन का मूल और आनन्द का स्रोत है।

चौथा सूत्र है—समुद्भूत वेदना में तितिक्षाभाव।

वेदना दो प्रकार की होती है—शारीरिक और मानसिक। शारीरिक वेदना प्रगति में बाधक बन सकती है पर घातक नहीं। घातक बनती है मानसिक वेदना। अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियाँ, उतार-चढ़ाव और घुमाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन-पथ में आते हैं। दुर्बल मानस उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। वह जरा-सी अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में विपण्ण हो उठता है। दोनों स्थितियों में मानसिक सन्तुलन बनाए रखना अत्यन्त अपेक्षित है। परिस्थिति-विजय का सुन्दर उपक्रम है—उनसे ऊपर उठ जाना। यदि हम ऊपर उठ जाएँगे तो परिस्थितियों का प्रवाह नीचे से बह जाएगा। हमारा किञ्चित् भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा। और यदि हम उस प्रवाह में बैठ जाएँगे तो वह हमें बहा ले जाएगा।

परिस्थिति से ऊपर उठ जाने का अर्थ है—उसका अस्वीकार।

जो तटस्थ होकर प्रिय-अप्रिय स्थितियों को सहना जानता है, वह सचमुच जीना जानता है, हसते-हसते प्रसन्नता से जीना जानता है और कुछ कर गुजरना भी जानता है।

इन सुख-शय्याओं में सोने वाला व्यक्ति काल्पनिक या अतृप्त वासनाओं के कारण उभरने वाले सपनों में नहीं, अपितु दिव्य आनन्दलोक में खोया



रहता है। वह अपने आप में इतना लीन रहता है कि उसे कोई भी स्थिति प्रसन्न या विषण्ण नहीं बना सकती।

इन सुख-शय्याओं में सोने का अर्थ है, अपने आपको इन साधना-सूत्रों से भावित करना। जिसका मन इनसे भावित हो जाता है उसे सुख-प्राप्ति के लिए किसी का द्वार खटखटाना नहीं पड़ता। किसी से दया की भीख मागनी नहीं पड़ती। किसी को खुश रखने के लिए वह न आतुर होता है और न किसी की नाराजगी से चिन्तित। वह अपने में ही लीन, अनवरत बढ़ता चला जाता है—अपने लक्ष्य की ओर, जहाँ मात्र सुख और शान्ति का साम्राज्य है।

## साम्ययोग की निष्पत्ति

मन्नाट् पाइथागोरस के हृदय में पराक्रम हिलोरें ले रहा था। द्विविजय की महत्त्वाकांक्षा उनको चैन से मोने नहीं देती थी। अपनी विशाल नैना के माथ उन्होंने इटली की ओर प्रयाण कर दिया। युद्ध की भेरी बज उठी। तभी उनके एक विद्वान् मित्र माइनेम ने पूछा—“आप यह यात्रा किनलिए कर रहे हैं ?”

“रोम-विजय के लिए।” सर्व मन्नाट् ने उत्तर दिया—“मैं यूरो की इस नगरी को पददलित करूंगा, और अपने अदम्य पराक्रम का कीर्तिमान स्थापित करूंगा।”

“इस विजय के पश्चात् आप क्या करेंगे ?” मन्द मुनकान विखरते हुए मित्र ने पूछा।

“इसके पश्चात् मैं इटली को अपने आश्वारोहियों के पावों तले रौंद डालूंगा।”

“और उसके बाद ?” एक करुण हंसी हमते हुए उनमें फिर पूछा।

“उसके बाद... ? उनके बाद मैं मैसीडोनिया, अफ्रीका, ग्रीन और सीरिया को जीतूंगा।”

“फिर क्या करेंगे ?”

“फिर मैं शान्तिपूर्वक प्रजा-पालन करूंगा। चैन से जीऊंगा।’ वड़े ही इतमीनान के साथ मन्नाट् ने कहा।

“यह तो आप आज ही कर सकते हैं, इसी क्षण कर सकते हैं। शान्ति और सुख से जीने के लिए क्या अपेक्षा है इस रक्तपात की, वर्बरता की और पैशाचिकता की ?” दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए मित्र ने कहा।

यह मार्मिक घटना-प्रसंग एक बहुत बड़े यथार्थ का उद्घाटन कर रहा है।

वस्तुतः सुख, शान्ति और आनन्द को पाने के लिए कही भी जाने की अपेक्षा नहीं। शान्ति किसी बाहरी साम्राज्य को जीतने से नहीं, अपितु आत्म-साम्राज्य को पाने से उपलब्ध होती है।

सच तो यह है कि सुख और दुःख का मूल कारण व्यक्ति स्वयं ही होता है। उसकी नियन्त्रित वृत्तियाँ जहाँ उसकी राहों में फूल बिछाती हैं, वहाँ अनियन्त्रित वृत्तियाँ ही शूलें बनकर उसके मन और प्राणों में प्रतिक्षण चुभन पैदा करती रहती हैं। कितनी यथार्थ हैं ये पक्तियाँ—

“हम खुद अपने ही हाथों से,  
गुल करते हैं खुशियों की रोशनी को। -  
कारण बाहर की हवा नहीं होती।  
मन के उपजाए लम्बे-चौड़े दुःख की,  
दोस्त, कर ले कुछ भी  
असल में कोई दवा नहीं होती।”

हा, भगवान् महावीर ने एक आध्यात्मिक औषध अवश्य बताई है, जिसके सेवन से व्यक्ति एक क्षण में अनगिनत मनोव्याधियों से छुटकारा पा सकता है। उस दिव्य औषध का नाम है—समता।

विषम मन के घरातल पर ही दुःखों का अकुरण होता है। उन अकुरों से विक्रोभ, व्याकुलता, निराशा, अनुत्साह, आत्मग्लानि आदि की कोपलें फूटती हैं। घृणा, वैमनस्य, दुराग्रह, प्रतिशोध आदि के फूल खिलते हैं और पुनः फलते हैं अनेक प्रकार की समस्याओं के विपरीत फल।

समता एक ऐमा रसायन है, जिसके छिड़काव से उन विपरीत पौधों का समूल उन्मूलन हो सकता है।

परम साम्ययोगी महावीर ने कहा—

“अरइ आजुटे से मेहावी”

—मेधावी व्यक्ति वह होता है जो उस रसायन से मानसिक विस्रोभ या लक्ष्य के प्रति होने वाले अनास्थाभाव के अकुरो को पनपने से पहले ही समाप्त कर देता है। उनका प्रत्यावर्तन कर देता है। और ऐमा करने वाला —‘उणासि मुक्के’—तत्क्षण विपमता-जनित दुःखो से, उलझनों में छूट जाता है। अनिर्वचनीय मन प्रसक्ति की निर्मल धाराओं में उसकी वेदनाएँ, व्यथाएँ एव कल्पिताएँ धुल जाती हैं।

कोई भी व्यक्ति यदि अशान्त होता है तो वह अपने ही चिन्तन और गलत कार्यों से होता है। इसके विपरीत जिसके मन में समत्व-प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके पाव कभी गलत दिशा में नहीं उठते। उसके हाथ कभी गलत कार्यों में व्यापृत नहीं होते।

‘समत्तदसी न करेइ पाव’—जिसकी दृष्टि समता में परिपूर्ण हो जाती है, वह कभी पाप नहीं करता।

ऋरता की प्रतिकृति कालसीकरिक कसाई के पुत्र ‘मुलम’ से जब कहा गया कि अपने कुलश्रमागत धर्म को निभाने के लिए भैसे की हत्या करनी होगी, उसकी गर्दन पर तलवार चलानी होगी, तो उसने कहा—“यह काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन समत्व में प्रतिष्ठित हो चुका है। मुझे अपने और इस भैसे के शरीर में एक ही प्राण-धारा, एक ही चैतन्य-धारा प्रवाहित होती हुई नजर आती है।”

जिसके भीतर अनवरत समता और करुणा के प्रपात प्रवाहित होते रहते हैं उससे ऋर कार्य की आशा कैसे की जा सकती है।

विपमताओं के तूफान से जब-जब जीवन-नौका विपदाओं के अन्तहीन सागर में डूबने लगे तब-तब यदि हम उस नौका के मस्तूल पर प्रसन्नता की पताकाएँ फहरा दें और समता की लगर डाल दें तो निश्चित ही हमारी जहाज सुरक्षित रह जाएगा और हमारा जीवन समाप्त होने से उबर जाएगा।

‘एक कुशल नाविक ने किसी नौसिखिये मल्लाह से पूछा—“नौका-यात्रा करते हुए यदि तूफान आ जाएगा तो तुम क्या करोगे ?”

“मैं लगर डाल दूंगा।” उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा।

“यदि फिर तूफान आ जाएगा तो क्या करोगे ?”

“मैं फिर लगर डाल दूंगा।”

“और फिर तीसरी बार तूफान आ जाएगा तो ?”

“मैं फिर लगर डाल दूंगा।”

“भले आदमी, आखिर तुम्हारे पास इतने लगर आएंगे कहा से ?”

“महाशय, जिघर से आपके तूफान आएंगे उधर से मेरे लगर भी आ जाएंगे ?”

कितना विवेकपूर्ण उत्तर था उसका ! सचमुच समता एक ऐसा लगर है जो हर परिस्थिति में हमारे जीवन-जहाज को सन्तुलित और नियन्त्रित रख सकता है। उसका प्रयोग हम चाहे जितनी बार करें, वह समाप्त नहीं होगा।

वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि किसी भी समस्या को लें, उसका उत्स विपमता ही है। उसके स्थान पर यदि हम समता को प्रतिष्ठित कर दें तो हमारे बाहर-भीतर सुख, शान्ति और प्रसन्नता का सागर हिलोरें लेता प्रतीत होगा। उसके लिए अपेक्षा है अन्तर्यात्मा की और आत्म-विजय की। बाहरी विजय को अर्थहीन बताते हुए महावीर ने कहा—

“जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जेण जिणे।

एण जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ।”

—मग्राम में हजारो-हजारो दुर्जेय शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा, एक अपनी आत्मा को जीतने वाला महान् विजेता होता है। आत्म-विजय का अर्थ है अपने आपको सम्योग में प्रतिष्ठित करना। साम्ययोगी कभी विक्षुब्ध या अशान्त नहीं होता। वह हर स्थिति में परम प्रसन्न रहता है।

महावीर की भाषा में—

‘ममय तत्थुवेहाए, अप्पाण विप्पसायए’<sup>२</sup>

—पुरुष जीवन में समता का आचरण कर आत्मा को प्रसन्न करें।

ऐसा करने पर व्यक्ति अपने जीवन के विशाल साम्राज्य को उपलब्ध

## रूपान्तरण : बाहर और भीतर का

प्रातः कालीन आचाराग सूत्र की वाचना के प्रसंग में युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी ने हम साध्वियों को एक श्लोक सिखाया, जो मुझे अत्यन्त ही मार्मिक प्रतीत हुआ। वह यह था—

“अग्ने व्याघ्र करधृतशर पाशर्वतो जालमाला,  
पृष्ठे वह्निर्दंहति नितरा वामत सारमेया ।  
एणी गर्भदिलसगमना वालकं रुद्धपादा,  
चिन्ता विष्टा वदति हरिण किं करोमिष्व यामि ॥”

एक हरिणी हरिण और अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने देखा, हाथ में बाण लिये एक शिकारी उसके सामने खड़ा है। दाहिनी ओर घूमकर देखा तो लगा वहाँ पहले से ही जाल बिछे हुए हैं। वह घबरा गयी। पीछे भागना चाहा तो देखा, आग की लपटें आकाश को छू रही हैं और बायीं ओर का पथ भी निरापद नहीं है। उधर शिकारी कुत्ते उस पर टूट पड़ने को आतुर हैं। गर्भवती होने के कारण वैसे ही उसकी गति मन्थर थी और नन्हे नन्हे भयभीत बच्चे सिकुड़-सिकुड़कर उसकी ओट में छिपाने की चेष्टा में उसके पावों को वार-वार रोक रहे थे।

चारों ओर खतरों से घिरी हरिणी ने अपनी अन्तर्वेदना को व्यक्त करते हुए हरिण से कहा—प्राणेश ! अब बचाव का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा है। आप ही बताएँ मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ?

दिन भर यह पथ भेरे कानों से गूँजता रहा और मस्तिष्क में घूमता

रहा।

जागतिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जब मैंने इस पथ पर चिन्तन किया तो लगा, आज समूचा विश्व-मानव ही इसी दुविधा की स्थिति में जी रहा है।

### समस्याएँ और समस्या

अभाव, बेकारी और महंगाई की समस्या के अतिरिक्त उत्पादन की समस्या, औद्योगिक और व्यावसायिक समस्या, सावैधानिक समस्या, प्रशासनिक समस्या, अर्थ के अर्जन की, उसके सम्यक् नियोजन की और संरक्षण की समस्या, स्वास्थ्य की चिन्ता, पारिवारिक जटिलता, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न—ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ समस्या, समस्या-समस्या।

जाने कितनी कितनी समस्याओं से वह एक साथ पिसा जा रहा है। उनसे जूझते-जूझते उसकी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, चरण उलथ हो चुके हैं। अपनी बची-खुची आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति को बटोरकर उनको निरस्त करना चाहता भी है तो सामाजिक मूल्य, अर्थहीन परम्पराएँ और राजनैतिक परिस्थितियाँ उसे वही रुक जाने को विवश कर देती हैं।

ऐसी स्थिति में वह कुछ सोच भी तो नहीं पाता कि वह क्या करे और कहा जाए ?

प्रतिक्षण अन्तर्वेदनाओं में घुलते रहना, चिन्ताओं में जलते रहना, व्यथाओं के आसू पीते रहना और मजबूरी के नाम पर चाहे जैसे धिनीने कृत्य करते रहना आज के तथ्याकथित सभ्य और शिष्ट समाज का जीवन-क्रम बन गया है।

अपेक्षा है इन समस्याओं के मूल को पकड़कर उस पर प्रहार किया जाए और बहुमुखी प्रहार किया जाए।

देखा जाता है और अनुभव भी किया है कि कहीं साधारण अग्निकांड हो जाता है तो तत्काल अग्निशामक दल (फायर ब्रिगेड) उसको बुझाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, घटनास्थल पर अनेक-अनेक दमकले चारों ओर से पूरे वेग के साथ जलधाराएँ छोड़ती हैं, परिणामतः वे तत्काल आग

बुझाने में सफल हो जाती हैं। उनका थोड़ा-सा भी प्रमाद, श्लथता और चौमुखी प्रयत्न का अभाव कितना प्रलयकर हो सकता है, यह किससे बसात है ?

काश, अन्तर्जगत् में सुलगने वाली अनगिन समस्याओं की आग को बुझाने के लिए भी सतर्कता बरती जाए और चौमुखी प्रयत्न किया जाए।

आचाराग सूत्र भगवान् महावीर की वाणी का प्रतिनिधि सूत्र है। वह महावीर की अध्यात्म-अनुभूतियों से भरा-पूरा है। उसमें दुःख-मुक्ति के ऐसे पाच उपाय निर्दिष्ट हैं, जिनकी गहराई में हर प्रकार की समस्या का समाधान सन्निहित है। वे सूत्र हैं—(१) ऋजुता, (२) असगता, (३) सहिष्णुता, (४) जागरूकता और (५) मित्रता।

वस्तुतः हर समस्या का अकुरण और पलनवन मनुष्य के भीतर होता है। वह अपनी वृत्तियों से ही उसे गढ़ता है, लेकिन समाधान उसका बाहर खोजता है।

अपनी कुटिया में खोयी सुई को बाहर बिजली के प्रकाश में ढूँढने वाली बुढ़िया का हम मखौल उड़ा सकते हैं, पर क्या आज समूची मनुष्य-जाति उसी भूल की पुनरावृत्ति नहीं कर रही है ?

### समाधान भीतर

महावीर ने कहा—समस्याएँ भीतर जनमती हैं तो उनका प्रतिकार भी भीतर से ही प्रारम्भ होना चाहिए। अन्तर्जगत् यदि बदलेगा तो बहिर्जगत् तो अपने आप उससे प्रभावित हो जाएगा।

उल्लिखित पाचों सूत्रों का अनुशीलन व्यक्ति को सहज ही अनेक उलझनों से मुक्त कर देता है।

### ऋजुता

आज मनुष्य इतने कृत्रिम ढंग से जिए जा रहा है कि उसकी असलियत का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। उसकी साँसें बनावटी हैं, भाषा बनावटी है, हँसी बनावटी है, खुशी बनावटी है। एक अभिनेता की तरह न जाने वह कितने-कितने अभिनय करता रहता है दूसरों को छलने के लिए,



पर होता इससे विपरीत ही है। दूसरो को छलने के भ्रम मे वह स्वयं न जाने कितना परेशान होता है। वह कभी भी शान्त और प्रसन्न नहीं रह सकता। पल-पल आशकाए घेरे रहती हैं उसे, कि वही ये मुखौटे गिर न जाए और मेरी असलियत सामने न आ जाए। इन दुहरी चालो से न कोई उसका भरोसा कर सकता है और न वह दूसरो का। कितनी सचाई है इन पक्तियो मे...

“हर मुर्दादिली मे मैं श्वास भर सकता हू,  
हर जिन्दादिली का मैं एहसास कर सकता हू,  
विश्वास का जहा तक सवाल है, वहा इतना ही कहूंगा  
कि सिर्फ आदमी के सिवाय, मैं सबका विश्वास कर सकता हू।”

सचमुच आदमी दुनिया का सबसे अधिक खतरनाक प्राणी है। इसीलिए आदमी से आदमी जितना भयभीत है, उतना और किसी से नहीं है। महावीर ने कहा—‘धम्म विउत्ति अजु—जिसने अध्यात्म को जान लिया, धर्म को पा लिया, उसका अन्त करण ऋजु होता है, सहज होता है। सरल मानस सदा अकुतोभय होता है। भय सदा अन्धकार मे होता है, प्रकाश मे नहीं। ऋजु व्यक्ति सदा स्पष्ट रहता है।

### असगता

महावीर की दृष्टि मे दुख का प्रबलतम हेतु है—सग-आसक्ति। उन्होने कहा—“आवट्टसोए सग मभिजाणह” —आसक्ति चक्राकार स्रोत है। केवल स्रोत मे वह जाने वाला व्यक्ति बहते-बहते कभी तट को पा भी सकता है, पर जहा प्रवाह मे भवर-चक्र पडते हैं, वे बहुत भयकर होते हैं। उसमे गिर जाने के पश्चात् मनुष्य की तो वात ही क्या, विशालकाय हाथी भी चूर-चूर हो जाते हैं। बडे से बडे जगी जहाज भी टुकडे-टुकडे हो जाते हैं।

ठीक इसी प्रकार आसक्ति के भवर मे फस जाने के पश्चात् उससे निकल पाना वश की वात नहीं रहती।

आसक्ति का अर्थ है बाह्य पदार्थों के प्रति आन्तरिक लगाव, गहरा चिपकाव। उसका विश्वास बाह्य पर इतना केन्द्रित हो जाता है कि वह

अपने आन्तरिक ऐश्वर्य और सामर्थ्य को पहचान भी नहीं सकता। इसी-लिए वह वैपयिक जगत् को सब कुछ मानकर उसी के व्यामोह में फस जाता है और पाता है पीडाए, वेदनाए और यातनाए।

अनासक्त व्यक्ति ब्राह्म से निरपेक्ष होता है। उसे स्वयं पर, स्वयं की क्षमताओं पर और अन्तर्जगत् पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वह अपने मन, इन्द्रियो और वृत्तियो का स्वामी होता है। उसे न कभी कोई आकाक्षा सताती है, न भय। अपने पर प्रभुत्व स्थापित करने वाला ही जगत् का प्रभु, शासक और सम्राट् बन सकता है। यह स्थिति अनासक्त साधक ही प्राप्त कर सकता है

चाह गयी चिन्ता मिटी, मनुवा वेपरवाह।

जिसको कछु न चाहिए, सो ही शाहशाह ॥

### सहिष्णुता

जीवन-यात्रा में उतार-चढ़ाव और घुमाव अवश्यभावी हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता अपरिहार्य तत्त्व हैं। लेकिन दुर्बल मानस जहां अनुकूलताओं में आत्म-विस्मृत हो जाता है वहां प्रतिकूलताएँ उसे एकदम विचलित, क्षुब्ध और निराश कर देती हैं। वह अपने मन, मस्तिष्क और वृत्तियो पर नियन्त्रण स्थापित नहीं कर सकता। असन्तुलित मानस कभी भी सुखी और सन्तुष्ट नहीं रह पाता। उसे थोड़ी भी प्रतिकूलता भारी लगने लगती है। इसीलिए महावीर ने कहा—“यदि सुखी रहना है तो सहिष्णु रहना सीखो।”

“सीरसिणच्चाई से निगगन्थे, अरइ-रइ-सहे फारुसिय णो वेदेति।”

—जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों को समता से सह लेता है, उसके मन में कभी गांठे नहीं धुलती। वह न प्रियता के लिए अकुलाता है और न अप्रियता से कतराता है। सच तो यह है कि उसे जीवन की कठिन से कठिन घडियाँ भी कठिन प्रतीत नहीं होती। वह सहजता से उन्हें पार कर देता है, मात्र इसी प्रशस्त चिन्तन से कि

“न मे चिर दुःख मिण भविस्सई।”

“—यह कष्ट चिरकाल तक ठहरने वाला नहीं है।

### जागरूकता

आचार्य भिक्षु प्रवचन कर रहे थे। एक श्रोता ऊध रहा था। भिक्षु ने टोका—“सो रहे हो ?” “नहीं, महाराज !” कहकर वह फिर सोने लगा। स्वामीजी ने कई वार सचेष्ट किया। वह मिर हिलाते हुए नकारता ही रहा। आखिर में आचार्य भिक्षु ने कहा—“श्रावकजी ! जी रहे हो ?” उमने अपना वही जमा-जमाया उत्तर दिया—“नहीं, महाराज !” श्रोता-वर्ग खिलखिला उठा।

लेकिन वस्तुतः उत्तर में कितनी सच्चाई थी। सोया हुआ व्यक्ति कब जीना है ? इसीलिए महावीर ने कहा—“मती मरण सपेहाए”—जागृति शान्ति है और सुषुप्ति मृत्यु, यह जानकर समझदार व्यक्ति जागृति का अभ्यास करे। भगवान् ने सुषुप्ति और जागृति के अर्थ में प्रमाद और अप्रमाद शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देखा—“मच्चतो परमत्तन्ममेव, मच्चतो अप्पमत्तस्स नत्थि भय ।”

प्रमत्त को नव ओर से भय रहता है और अप्रमत्त को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं मताता। इसलिए प्रतिक्षण जागरूक रहो। अपनी वृत्तियों के प्रति जागरूक रहो, प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहो। प्रतिक्रिया जागृत रहने वाला व्यक्ति अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं उलझता। वह वर्तमान में जीता है और आनन्दपूरित जीवन जीता है। वह हर कठिन घड़ी में गुनगुनाता रहता है—

कल का दिन किसने देखा है,  
आज का दिन खोए क्यों ?  
जिन घड़ियों में हन सकते हैं,  
उन घड़ियों में रोए क्यों ?”

### मित्रता

ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध आदि के भावों से भरा हुआ व्यक्ति पद-पद पर अनगित शत्रुओं में घिरा रहता है और आए दिन नये नये शत्रुओं को पैदा करता रहता है। फिर उनसे अपनी सुरक्षा के लिए कितने प्रयोग

करने पढ़ते हैं और कितने पढ़े रखने पढ़ते हैं। आश्चर्य तो यह है कि अनेक सशक्त पढ़ो में भी वह अपने को असुरक्षित पाता है और पल-पल भय से कापता रहता है।

महावीर ने कहा—“बेरोबरए”—तुम स्वयं के भीतर छिपे जहर को समाप्त कर दो, किसी के प्रति शत्रुता का चिन्तन ही मत करो। अपने अन्तःकरण को मैत्री, करुणा और स्नेह से भरे रखो। कण-कण से मैत्री और प्रेम की धाराएँ प्रवाहित करते रहो, फिर दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। विष अमृत में बदल जाएगा, खार प्यार में बदल जाएगा और आनन्द ही आनन्द का क्षरता बहने लगेगा।

उल्लिखित पाचो सूत्रों की साधना निश्चित ही हमारे बाहर और भीतर को बदलने में सफल सिद्ध हो सकेगी। फिर किसी भी विपद्ग्रस्त हरिणी को यह पुकार करने की अपेक्षा नहीं रहेगी कि “किं करोमि वच यामि ?”

## विज्ञान की उड़ान : अध्यात्म का नियंत्रण

एक खगोलशास्त्री की धुन हर क्षण अन्तरिक्ष में लगी रहती थी। उसकी दृष्टि टिकी रहती मात्र सौरमण्डल तथा अन्यान्य ग्रहों—उपग्रहों पर। एक बार रात्रि के समय वह ऊपर आकाश की ओर देखता, ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के बारे में सोचता-विचारता चल रहा था। चलता-चलता एक गड़ढे में गिर पड़ा। एक बुढ़िया ने उसे निकाला। कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए उसने कहा—“मा, कभी कोई काम हो तो मुझे याद करना। शायद आप मुझे नहीं जानती। मैं जर्मनी का सुप्रसिद्ध और सुपरिचित खगोलशास्त्री हूँ। हर नक्षत्र के भले-बुरे प्रभाव का अधिकृत ज्ञान मेरे पास है।”

बुढ़िया ने नफरत-भरी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा—‘अरे भले आदमी, वह नक्षत्र विद्या किस काम की, जो पैरो तले का गड़ढा भी न दिखाए’।

अन्तरिक्ष-युग में जीने और चाद पर बार-बार सफल उड़ाने भरने वाले मनुष्य-समाज की क्या आज यही स्थिति नहीं है ?

वात यह है कि युग का रथ सदा आगे से आगे बढ़ता ही रहता है—कभी मन्थरता से तो कभी तीव्रता से। लेकिन प्रगति की छटपटाहट युग-चेतना को सदा बैचैन किए रहती है। और बीसवीं सदी के शुरु होते-होते

वह वेचैनी अधीरता में बदल गयी। युग का रथ प्राचीन मान्यताओं, धारणाओं और परम्पराओं की वज्रमयी रेखाओं को तोड़कर अत्यन्त द्रुत गति से आगे बढ़ गया।

सचमुच इस शताब्दी में मनुष्य ने जितनी प्रगति और विकास किया है, सभवतः पिछली सहस्राब्दी में भी नहीं किया होगा।

उमने अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति, धर्मनीति आदि हर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित किया है। यह सब चमत्कार है मनुष्य की निःसीम बौद्धिक शक्ति का। उसने ज्ञान-विज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को खोलकर रख दिया। पापण युग से एटम-युग की यात्रा उसने तय कर ली। बैलगाड़ी से धरती पर रेंगने वाला मनुष्य आज उपग्रहों पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गया है। वह दैत्याकार जलपोतों से सागर के वक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है और सुदूर अन्तरिक्ष की अगणित कक्षाओं को पार कर चाद और सूरज की पौराणिक गरिमा को ध्वस्त करने में तुला है।

इधर वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रयोगों ने मनुष्य को इतनी सुविधाएँ प्रदान की हैं कि वह मात्र एक यत्न बनकर रह गया है।

यह धरती भी एक ग्रह है, यह उसने विज्ञान के बल पर प्रत्यक्ष दिखा दिया है। आज मनुष्य के लिए समूची पृथ्वी सिमटकर छोटी हो गयी है, मानो एक छोटी-सी गेंद हो। योजनों का विस्तार मानो उसकी मुट्ठी में कैद हो गया है। धरती के इस छोर पर बैठा मनुष्य दुनिया के उस छोर से ऐसे वार्ते करता है, मानो आमने-सामने बैठे हो। हज़ारों मील की दूरी पर घटने वाली घटनाएँ इतनी स्पष्टता से देखी और सुनी जा सकती हैं, मानो वे घटनाएँ सामने ही घट रही हो। वस्तुतः आज मनुष्य के लिए कोई दूरी-दूरी नहीं रही है और अन्तर अन्तर नहीं रहा है। परिणामतः आज का युग अन्तर्राष्ट्रीय युग में परिणत हो गया है।

साम्प्रदायिकता, जातीयता एवं राष्ट्रीयता की खाइयाँ पट रही हैं। एक देश की पीड़ा, अभाव और सत्तास तत्काल दूसरे देश को प्रभावित करते हैं। पारस्परिक सहयोग भी एक-दूसरे को सुलभ हो गया है।

मानव-जाति की अखण्डता आज कल्पना की नहीं, अपितु प्रत्यक्ष

अनुभूति का विषय बन गयी है। परन्तु सृजन के इस नव-प्रभाव में जो विध्वंस के बादल मडरा रहे हैं, उन्हें भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों ने विश्व-मानव को जितना निकट लाकर खड़ा कर दिया है, मानव हृदयों की दूरी उतनी ही अधिक बढ़ गयी है। पारस्परिक संघर्षों में विखराव, मानसिक अलगाव, रुचियों का टकराव, स्नायविक तनाव, स्वार्थों का फैलाव—इन सबमें मनुष्य जाति बुरी तरह आक्रान्त हो रही है। सहानुभूति, मीजन्य, स्नेह और सहयोग के सोते सूख रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक संघर्षों में विष घुलता जा रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को जितनी ऊँचाई प्रदान की है, वह उतना ही अधिक वीना होता जा रहा है। फलतः निस्तेज और बीमार पीढ़ी जन्म ले रही है। वर्तमान पीढ़ी के स्नायविक तनाव और मानसिक कुण्ठाओं की प्रतिक्रिया है—मानसिक विक्षिप्तता और आत्म-हत्याओं के बढ़ते हुए आंकड़े।

लगता है कि समूची मानवीय सभ्यता और संस्कृति विलुप्त होती जा रही है।

एक ओर समानता, सहयोग, समन्वय, सह-अस्तित्व और निःशस्त्रीकरण की बातें की जाती हैं और दूसरी ओर भयकर अणु-आयुधों और प्रक्षेपक शस्त्रों का निर्माण कर मनुष्यता को विनाश के गर्त में धकेला जा रहा है। अहिंसा और विश्व-शान्ति के आदर्शों की दुहाई देने वाले शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र स्वयं को और अधिक विध्वंसक और प्रलयकर शस्त्रास्त्रों से भरपूर करने में जुटे हुए हैं।

कहते हैं कि रूस और अमेरिका का शस्त्रागार इतना भरपूर है कि वे एक-दूसरे को कई बार विनष्ट कर सकते हैं तथा सभी परमाणु शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों के पास इतनी शक्ति है कि वे चौदह बार मानवीय सभ्यता और समस्त मानव जाति को नष्ट कर सकते हैं।

विनाश के विभिन्न उपकरणों के भार से लदा विश्व कराह रहा है एवं पेचीदा राजनैतिक स्थितियाँ उसे और भी उलझा रही हैं।

मत्ता का व्यामोह, विस्तारवादी मनोवृत्ति और अस्मिता का पोषण—इनसे आक्रान्त होकर विश्व-चेतना उस चौराहे पर खड़ी है, जिसकी कोई भी राह निरापद नहीं है। ऐसी स्थिति में असहाय और निरुपाय मानवता

को कौन महा-विनाश से उबार सकता है ?

भगवान् महावीर की दृष्टि में इन सब समस्याओं का मूल कारण है अध्यात्म का अभाव । उन्होंने कहा—

“पासह एगेवसीयमाणे, अणत्तपण्णे ?”

—तुम देखो—जो आत्म-प्रज्ञाशून्य है, वे अवसाद को प्राप्त होते हैं ।

वास्तव में बौद्धिक विकास एवं ज्ञान-विज्ञान की नाना विधाओं का पारगामी बन जाना एक बात है, आत्म-प्रज्ञा की उपलब्धि दूसरी बात । क्योंकि बुद्धि अस्थिर है और प्रज्ञा स्थिर । एक ही बुद्धि विविध रंगों से रजित होने पर नाना रूप बन जाती है, जैसे द्वेष-बुद्धि, दया-बुद्धि आदि । इसलिए बुद्धि निर्णायक नहीं होती, वह भटकाने वाली होती है । ऐसी हज़ार बुद्धियाँ मिलकर भी मार्गदर्शक नहीं बन सकती । इसके विपरीत प्रज्ञा तटस्थ होती है, निर्णायक होती है ।

अध्यात्म के क्षेत्र में बुद्धि की अल्पता या अधिकता का महत्त्व नहीं, महत्त्व है स्वच्छता का, निर्विकारता का । असीमित बौद्धिक विकास भले ही मसार में उथल-पुथल मचा दे, पर व्यक्ति का सही पथ-दर्शन और उसकी ऊर्जा का उचित नियोजन करने की सामर्थ्य तो प्रज्ञा की एक चिनगारी में ही है । इसलिए यदि आत्म-प्रज्ञा जागृत नहीं है तो बुद्धि का असीमित विस्तार भी व्यर्थ है और यदि प्रज्ञा जागृत हो गयी है तो, भले ही व्यक्ति ज्ञान-विज्ञान की अन्यान्य विधाओं से अनजान है, वह अपने गन्तव्य को पा सकता है । श्रीमद् रायचन्द्र की भाषा में—”

“जव जान्यो निज रूप को, तव जान्यो सब लोक ।

नहीं जान्यो निज रूप को, तव सब जान्यो फोक ॥”

यही बात भगवान् महावीर ने कही थी कि “जे एग जाणइ, से सव्व जाणइ”—जो एक आत्म-तत्त्व को पहचान लेता है, वह समग्र विधाओं को जान लेता है । आत्म-ज्ञान के अभाव में विज्ञान भी अज्ञान बन जाता है । महावीर ने कहा—अज्ञान के हाथों में कोई भी ज्ञान सृजनात्मक नहीं बन सकता, और ज्ञान के हाथों में अज्ञान भी सृजनात्मक बन जाता है ।

आत्म-तत्त्व को पहचान लेने का अर्थ है—आत्म-प्रतिष्ठित हो जाना,



अपने आप पर नियन्त्रण स्थापित कर लेना ।

यही समग्र समस्याओं का सुन्दर समाधान है । महावीर ने कहा—  
“पुरिसा, अत्ताण मेव अभिणिगिज्झ एव दुक्खा पमोक्खसि ।”

—पुरुष ! तू अपने आप पर नियन्त्रण स्थापित कर । इस प्रकार तू दुःखों से मुक्त हो जाएगा ।

इन सबका फलित यह है कि मनुष्य जाति के बौद्धिक विकास और निरकुश वैज्ञानिक प्रगति पर अध्यात्म का नियन्त्रण अनिवार्य है ।

एक पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है—अध्यात्म-भावना से रहित बौद्धिक-संस्कृति, सभ्य वर्चस्व और छद्म-पशुवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं ।

इसलिए विज्ञान का यदि कोई सक्षम नियामक तत्त्व है, तो वह है अध्यात्म । अध्यात्म-नियन्त्रित विज्ञान ही विश्व-चेतना को विकास के उस शिखर पर प्रतिष्ठित कर सकता है जहाँ से अविरल विश्वमैत्री, समता, सहिष्णुता और सौजन्य की धाराएँ बहती रहती हैं । जिनमें अभिस्नात होकर सम्पूर्ण मनुष्य-जाति एक नये युग का प्रारंभ कर सकती है ।

## धर्म का प्रतिष्ठान

सुप्रसिद्ध लेखक लार्ड मोसे ने एक स्थान पर लिखा है—“आज तक धर्म की लगभग दस हज़ार परिभाषाएँ हो चुकी हैं, फिर भी उनमें सब धर्मों का समावेश नहीं हो पाया है। जैन, बौद्ध आदि कितने ही धर्म उन व्याख्याओं से बाहर ही रह जाते हैं।” पर चिन्तन की गहराई में उतरने से पता चलता है कि उक्त परिभाषाएँ धर्म की नहीं, अपितु धर्म सम्प्रदायों की हैं। वस्तुतः धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है, उन्हें एक समझ लेने का ही परिणाम है, कि आज धर्म जैसा स्पष्टतम तथा निर्विवाद विषय भी विवादास्पद बन गया है। और धर्म की सही परिभाषा समझने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अधिकांश—धर्म—की परिभाषाएँ साम्प्रदायिक मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए गलत कर दी गयी हैं। सामान्यतया सर्व-धर्म-सम्प्रदायों पर दृष्टिपात करें तो उनमें कहीं-कहीं इतनी विविधताओं और विचित्रताओं के दर्शन होते हैं कि कम से कम बौद्धिक व्यक्तियों के अन्तःकरण में तो धर्म के प्रति अनास्था के भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते।

अनुभव और विवेक के प्रकाश में, यथार्थ धर्म का अन्वेषण किया जाए तो, विदित होगा कि आत्मा की सहजता, स्वभाव अथवा प्रकृति का नाम ही धर्म है।

जिससे आत्मा के सहज गुणों को तिरोहित करने वाली विकृति की परतें दूर होती हैं, तथा आत्मरूप में निखार आता है, उस कार्य-प्रणाली

को भी उपचार से धर्म कहा जाता है।

क्योंकि नैश्चयिक धर्म तो है—आध्यात्मिक उत्कर्ष, जिनके द्वारा व्यक्ति वहिर्मुखता को त्याग, वासनाओं के पास से उन्मुक्त हो, शुद्ध चिद्रूप या आत्म-स्वरूप की ओर अग्रसर होता है।

यदि ऐसा धर्म मनुष्य जीवन में प्रकट हो रहा हो, तो बाह्य माधन भी, भले ही वे उपनास ध्यान, स्वाध्याय, मौन, उपासना आदि किसी भी प्रकार की क्यों न हो, धर्म की परिधि में आ सकते हैं, पर यदि वासना से मुक्ति न हो और न ही उसका प्रयत्न हो तो बाह्य माधन कैसे भी क्यों न हो, वे धर्म की कोटि में कभी नहीं आ सकते, वल्कि अधर्म ही बन जाते हैं अतः धर्म का मही अर्थ है—आध्यात्मिक विक्रम। फिर उसके लिए चाहे हम कौसी ही भाषा या शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि—दार्शनिकों ने गाया—आत्मा की विशुद्धि ही धर्म है। साहित्यकारों ने कहा—जो ज्ञान, आनन्द और शान्ति की उपलब्धि तथा विकास का हेतु है, वह धर्म है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में, समता की उपायना तथा उसका उदय ही धर्म है। उक्त परिभाषाओं से धर्म को विविध-रूप मानना भ्रम से परे नहीं होगा। क्योंकि ये एक ही धर्म तत्त्व की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। जैसे कि विना समत्व के आत्म-पवित्रता या विशुद्धि की उपलब्धि नहीं होती और विना पवित्रता के आनन्द-प्राप्ति की कल्पना का भी कल्पना के अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं रह जाता। निष्कर्ष की भाषा में, नमता से पवित्रता और पवित्रता से आनन्द का उदय होता है। इस दृष्टि से यह मानने में कोई आपत्ति नहीं आती कि “नमता ही धर्म का मूल है।” मूल में जन मीचने से ही वृक्ष हरा-भरा रह सकता है। धर्म-पादप की सुरक्षा और विक्रम के लिए भी, साम्य मूल को मीचना अत्यन्त अपेक्षित है।

पर आज की स्थिति देखते हुए मानना पड़ता है कि धर्म वृक्ष की टहनियों पत्तों और फूलों को मीचने का जितना ही अधिक प्रयत्न हो रहा है, उतनी ही अधिक मूल के प्रति उपेक्षा बरती जा रही है। नमता धर्म का मूल है तो सकल उपानना विधियाँ उसकी टहनियाँ, फूल तथा पत्ते हैं।

हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते कि, आत्मा में, विना नमत्व की ज्योति जगें, केवल बाह्य उपासना, क्रियाकाण्ड, जीवन को हल्का नहीं,

अपितु और अधिक बोझिल बनाने वाले हैं, सरम नहीं किन्तु विरस बनाने वाले हैं ।

यह तथ्य भी झुठलाया नहीं जा सकता कि उपासना में भी एक गम्भीर तथा महान्तम तत्त्व छिपा हुआ है, वह भी धर्म का एक अंग है । यह दूसरी बात है कि किन्ही कारणों से वह रोगग्रस्त बन गया है, पर अन्तर्विशुद्धि-विहीन कोरी उपासना को कोई भी प्रबुद्ध मानस क्रियाकाण्ड से अधिक महत्त्व नहीं दे सकता ।

उपासना वह पार्श्वमणि है जो जीवन-रूप लोहे को स्वर्ण बना सकती है, पर तभी कि उस लोहे पर मालिन्य रूप काट न हो । मलिन आत्मा में धर्म जैसी पवित्रतम वस्तु टिक नहीं सकती । भगवान् महावीर ने इसीलिए कहा कि "धम्मो मुद्धस्म चिट्ठई" । विशुद्धि के लिए अपेक्षा है कपाय-मुक्ति की । जो व्यक्ति कपायो से जितना मुक्त है, वह उतने ही अशो में धार्मिक है । क्रोध, लोभ, दम्भ, गर्व ईर्ष्या, भय, घृणा आदि अधर्म हैं ।

यद्यपि धर्म का रूप इतना विशाल है कि जड़ शब्दों के द्वारा उमकी अभिव्यक्ति का प्रयास प्रयास मात्र ही रह जाता है, पर बूद-बूद से परिचित होते हुए हम एक दिन उस अतल सागर की गहराई को भी पा सकते हैं, अत यदि हम थोड़े में समझें तो अभय धर्म है, ममता धर्म है, सहिष्णुता और तितिक्षा धर्म है, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना और मक्की आध्यात्मिक उन्नति की कामना करना धर्म है । मैत्री भावना का विकाम करना धर्म है । मरलता और सहजता धर्म है । सन्तोष धर्म है । किसी भी परिस्थिति में शान्त रहना, क्रोध न करना धर्म है ।

समार में कौन ऐसा सम्प्रदाय होगा, जो धर्म के इस स्वरूप से महमत न हो । यहा तक कि धर्म के नाम-मात्र से चिढ़ने वाले, उसे अफीम की गोली और जहर का प्याला कहने वाले कम्युनिस्ट भी ऐसे धर्म से नफरत तो दूर, अपितु उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं ।

उपामना-विधि प्रत्येक सम्प्रदाय की विभिन्न हो सकती है जैसे एक वैदिक 'गायत्री' का पाठ करता है, तो जैन नमस्कार महामन्त्र का, एक मुस्लिम कुरान का पाठ करता है तो ईसाई बाइबिल का, पर उल्लिखित तथ्यों में कोई दो मत नहीं हो सकते ।

## ८६ महावीर व्यक्तित्व और विचार

इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि सम्प्रदाय धर्म का प्रतिष्ठान हो सकता है, पर वह स्वयं धर्म नहीं है। धर्म एक है। वह सम्प्रदाय से अतीत है। लेकिन विभिन्न सम्प्रदायों के चश्मे लगाकर देखने से वह हमें विविध रूपों में प्रतीत होता है। यही कारण है कि हर एक समस्या का सुन्दर समाधान प्रस्तुत करने वाला धर्म स्वयं अनगिनत समस्याओं की जड़ बन गया।

अतः अपेक्षा है उन उपनेत्रों को उतारकर हम यथार्थ का दर्शन करें और अनिर्वचनीय आनन्द व ज्योति का वरण करें।

## आचाराग और गीता का अनासक्ति योग

जैन दर्शन में चेतन और जड—दोनों की सत्ता स्वीकार्य है। उसकी दृष्टि में चेतन सत्-चित् आनन्दमय और अमूर्त है। जड मूर्त और अमूर्त उभय रूप है। मूर्त-जड-पुद्गल कहलाता है। चेतना अपनी हर प्रवृत्ति से प्रतिक्षण पुद्गल-परमाणुओं को आकर्षित करती रहती है और स्वयं उनकी घनी परतो में आवृत होती चली जाती है। यही जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा की वद्धावस्था है। यह स्थिति ससारी आत्मा की है। वह पुद्गल पराधीन है। इन्द्रिया और मन उसकी प्रवृत्ति के निमित्त हैं। स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और शब्द इन्द्रियों के विषय-ग्राह्य हैं। वहिर्मुखी मन इन्द्रियों को विषयों के प्रति प्रेरित करता है। मनोज्ञ विषयों में वह अनुरक्त होता है और अमनोज्ञ से विद्विष्ट। इन्हीं राग-द्वेष की चञ्चल लहरियों से प्रशान्त चेतना सागर चञ्चल और पकिल हो जाता है। चेतना-शक्ति बुझी-बुझी और आनन्द का स्रोत सूखा-सूखा प्रतीत होने-लगता है। वैसे हर प्रवृत्ति वधन का कारण है, पर राग द्वेष में श्लेष होता है, अतः तदात्मक प्रवृत्ति से होने वाला वधन निविड और दुर्भेद्य होता है।

विषय स्वयं में न अच्छे हैं और न बुरे। अतः वे हेय तथा उपादेय भी कुछ नहीं। हेय है उनके प्रति होने वाली आत्मा की राग-द्वेषमय परिणति।

अध्यात्म-योगी महावीर ने अनुभूति के स्वर में कहा—

“एविन्दियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउ मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोव पि कयाइ दुक्ख, न वीयरगस्स करेति किञ्चि ॥”

इन्द्रिय और मन के विषय सराग व्यक्ति के दुःख-हेतु हैं। वीतराग को वे कदापि किञ्चित् भी दुःखी नहीं बना सकते। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि अन्तर् में छिपी अनृप्त वासना और तीव्र असक्ति ही व्यक्ति को अशान्त बनाती है। इसलिए भारतीय अध्यात्म परम्पराओं ने अनासक्ति की साधना पर बहुत बल दिया, क्योंकि आसक्ति आत्मोदय का बाधक तत्त्व है।

जब तक देह है, प्रवृत्ति छूट नहीं सकती। इस स्थिति में गीता ने निष्काम-कर्म या अनासक्ति योग का उपदेश देकर अनेक-अनेक साधकों का पथ-दर्शन किया। गीता के अनासक्ति योग ने जनमानस को इतना प्रभावित किया, कि उसकी यह धारणा बन गयी कि भारतीय साधना पद्धति में ‘अनासक्ति योग’ गीता की देन है और वही विभिन्न सम्प्रदायों में सन्नान्त हुई है। पर जैनागमों में आसक्ति की जितनी सूक्ष्म व्याख्या हुई है उससे पता चलता है कि जैन दर्शन केवल साधकों को निवृत्ति का पथ ही नहीं सुझाता, अपितु वह सत्-क्रिया करते हुए अनासक्ति को ‘आत्मोदय’ का मुख्य अंग मानता है। यह अनासक्ति की भावना उमकी गृहीत नहीं, अपितु जैन-साधना पद्धति का केन्द्र-बिन्दु है।

आचाराग सूत्र में अनासक्ति की साधना पर जितना बल दिया गया है उससे लगता है, यह ग्रन्थ जैनदर्शन की ‘गीता’ ही है। आचाराग और गीता में उभरे हुए अनासक्ति-विषयक समान तथ्य यह प्रकट करते हैं कि एक ही गतव्य तक पहुँचाने वाले पथ विभिन्न हो सकते हैं पर उनकी दिशाएँ भिन्न नहीं होती।

प्रस्तुत दोनों ही ग्रंथों ने उस विषय-त्याग को महत्त्व नहीं दिया जहाँ आसक्ति की लौ प्रज्वलित रहती है।

गीता ने कहा—

“विषयाविनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिन ।

रसवर्जं रमोप्यस्य पर दृष्ट्वानिवर्तते ॥”

निराहार रहने से इन्द्रियो के विषय तो छूट जाते हैं, पर उनके प्रति जो रस-आतरिक लगाव है, वह नहीं छूटता। रस तब छूटता है जब रसातीत-परमतत्त्व-आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसी सत्य को भगवान् महावीर ने 'अचाराग' में बहुत ही सुन्दर अभिव्यक्ति दी है—

“नेत्तेहि पलिच्छिन्नेहि, आयाण-सोय गडिण्ण वाले ।

अव्वोच्छिन्न वधणे अणभिवक्त सजोए ॥”<sup>१</sup>

एक व्यक्ति इन्द्रियो को विषयो की ओर जाने ही नहीं देता, विषयो से उनका सम्बन्ध काट देता है। जिह्वा को रस चखने ही नहीं देता। नयनाभिराम दृश्यो के उपस्थित होते ही आँखें मूढ़ लेता है। मोहक शब्दो के उभरते ही कानों में अगुली डाल लेता है। फूँवों की महक फूँटते ही नाक चन्द कर लेता है, और किसी का स्पर्श तो करता ही नहीं, उस व्यक्ति की विषयो से निष्कृत इन्द्रिया भी यदि अपरितृप्त हैं, स्व विषयो की प्राप्ति के लिए छटपटाती हैं तो वह व्यक्ति बन्धन-मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसने वस्तुतः सयोगो का अतिक्रमण नहीं किया है।

इमसे स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्रियो को रोक लेना उनकी बहिर्मुखता का समाधान नहीं। वे दबी हुई वासनाएँ और अतृप्त भावनाएँ न जाने कब भयकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लें ? अत आसक्ति के विसर्जन से फलित होने वाला त्याग ही वस्तुतः चैतन्य-जागरण का प्रतीक है। सच तो यह है कि आसक्ति छूट जाए तो विषयो को त्यागना नहीं पड़ता, वे स्वतः छूट जाते हैं।

गीता की भाषा में आसक्ति तब छूटती है, जब हमारी दृष्टि रसातीत परम-चैतन्य में केन्द्रित हो जाती है। 'रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।' और आचाराग की भाषा में आत्म-केन्द्रित वही बन सकता है, जिसके शब्द, रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श अभिममन्वागत—सर्वथा ज्ञात तथा प्राप्त हो जाते हैं—'जस्सिमे सद्दा य स्वा य गघा य रसा य फसा अभिसमन्नागया भवति, से आयव ।'<sup>२</sup> तात्पर्य की भाषा में जिसकी इन्द्रिया 'पर' से तृप्त हो चुकी है—सुस्वादु भोजन जिसकी रसना को आतुर नहीं बनाते, सुरम्य दृश्य देखने को जिसकी आँखें ललचाती नहीं, कान मुमधुर संगीत सुनने को आतुर नहीं रहते, इसी प्रकार कोई भी बाह्य



## ६० महावीर व्यक्तित्व और विचार

पदार्थ जिसकी इन्द्रियो को अपनी ओर खीच नहीं सके, जिसकी इन्द्रिया व मानस समाहित-आत्मलीन बन चुके हैं, वही व्यक्ति आत्मवान् है। यह स्थिति उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो सर्वथा आत्मकेन्द्रित बन जाता है। कितना साम्य है दोनों ग्रन्थों की भावना में !

अस्तु, दोनों ही ग्रन्थों के अध्ययन से यह तथ्य अनावृत हो जाता है कि आत्मोपलब्धि या बन्धन-मुक्ति के लिए आसक्ति का विसर्जन अत्यन्त अपेक्षित है। आसक्ति छूट जाने पर इन्द्रियो द्वारा विजातीय तत्त्व का संग्रहण स्वतः समाप्त हो जाता और साधक चेतना को आवृत्त करने वाली एक-एक परत को चीरता हुआ आनन्दमय, ज्योतिर्मय, परमसत्ता आत्मा का सतत सान्निध्य प्राप्त कर लेता है।

### सन्दर्भ

- १ उत्तरज्ज्ञयणाणि ३२।१००
- २ आयारो ४।४।४५
- ३ आयारो ३।१।४

## हिंसा की प्रेरक शक्ति : आतुरता

आचाराग सूत्र भगवान् महावीर की अध्यात्म-अनुभूतियों से भरा-पूरा वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान देने वाला, अपनी कोटि का अप्रतिम ग्रन्थ है। उसमें महावीर के अहिंसा-दर्शन की अनेक महत्त्वपूर्ण और व्यापक दृष्टियाँ उपलब्ध होती हैं।

हिंसा ने आज विश्व को सर्वनाश के उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि समय रहते यदि अहिंसा की प्रबल शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ तो इस वर्बरता और पैशाचिकता की घघकती लपटों में मानव सभ्यता व संस्कृति को क्षुलसने से बचाने वाला कोई नहीं है।

हिंसा का उद्गम है व्यक्ति की अन्तर्वृत्तियाँ और बाह्य-जगत् को भुगतना पड़ता है उसका दुःसह परिणाम।

व्यक्ति की मनोवृत्ति को हिंसा के प्रति उभारने के अनेक निमित्त हैं, उनमें एक है आतुरता।

भगवान् महावीर ने कहा—“तथ्य तथ्य पुढो पास, आतुरा परितावैति”—तू देख, आतुर मनुष्य स्थान-स्थान पर हिंसा करते हैं। आतुर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे—आसक्त, लिप्सु, आकुल, व्याकुल त्वरायमाण और बीमार।

अतः हिंसा का कारण एक शब्द में है—आतुरता। आसक्ति, लिप्सा, आकुलता, त्वरता और बीमारी उसी के रूप हैं।

आतुरता हिंसा का प्रबल कारण है। हर व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है, पर केवल भूख और प्यास उसे सताती नहीं। वह सताती तब है, जबकि वह बुभुक्षायु और पिपामायु बन जाता है। उस आतुरता से ही जैसे-तैसे वह भूख और प्यास का निवारण करता है।

काम, क्रोध आदि वृत्तियाँ मनोविज्ञान की भाषा में प्राणी की मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जो व्यक्ति इन वृत्तियों पर नियंत्रण करना जानता है, वह सामान्यतः अपना व पराया अहित नहीं कर सकता। वह अहित तब कर बैठता है, जबकि कामायु और क्रोधातु बन जाता है। उम्र स्थिति में उसका विवेक लुप्त हो जाता है। चिन्मग्न बन जाता है। प्रतिभा निम्तेज हो जाती है।

जन-माधारण की दृष्टि यह है कि गरीबी या अभावजन्य परिस्थितियाँ व्यक्ति को अकृत्य की ओर प्रेरित करती हैं। पर महावीर की दृष्टि में हिंसा का मूल परिस्थितियाँ नहीं, मानव की मनोवृत्तियाँ हैं। यही कारण है कि आर्थिक पर्याप्तता और साधनों की प्रचुरता में भी व्यक्ति अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के वशीभूत होकर हिंसा की ओर अग्रसर हो जाता है।

“अट्टावि सता अदुवा पमत्ता”

आर्त-अभाव से पीड़ित और प्रमत्त-अतिभाव से उन्मत्त, ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हिंसक बन सकते हैं।

अमेरिका आदि सम्पन्न देशों में मानसिक अमन्तुलन, विकृष्टता आदि अतिभाव जन्य उन्मत्तता की ही तो प्रतिक्रियाएँ हैं।

## लिप्सा

आज के अन्तर्राष्ट्रीय संकट की जनयित्री है लिप्सा। साम्राज्यवाद की लिप्सा से ही एक देश दूसरे देश पर हस्तक्षेप और आक्रमण करता है, अन्यथा हर राष्ट्र अपनी-अपनी सीमा और स्थिति में निर्भय और सन्तुष्ट रहता।

## आकुलता और त्वरता

बहुत सारी हिंसाएँ मानसिक व्याकुलता-विकृष्टता से भी हो जाती

है। अत्यधिक जल्दबाजी में व्यक्ति न चाहने पर भी हिंसक बन जाता है।

## त्वरता

जल्दबाजी भी मानसिक व्याकुलता और विक्षिप्तता का ही परिणाम है। राजस्थानी भाषा में भी प्रयोग होता है—“उतावलो सो बावलो”। विक्षिप्तता को मिटाने के लिए मानसिक स्थिरता या एकाग्रता अपेक्षित है। वह ध्यान, आसन आदि योगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त हो सकती है।

## बीमारी

संस्कृत शब्दकोश में रोगी का एक नाम आतुर है। रोगी केवल शारीरिक ही नहीं होते, मानसिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। वल्कि आज के मानस शास्त्रियों तथा होम्योपैथिक चिकित्सा विधि ने तो यह सिद्ध भी कर दिया है कि शारीरिक रोग भी ६०% मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलताओं की ही उपज है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी अमुक-अमुक दूषित मनोवृत्तियों से अमुक-अमुक रोगों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अतः रोगी वस्तुतः वह होता है जो अपनी वासनाओं, लिप्साओं, आवेगों और सवेगों पर नियन्त्रण करना नहीं जानता या जो अपनी ही दुर्बलताओं से पराजित हो जाता है। स्वस्थ की समग्र परिभाषा देते हुए प्राचीन आचार्यों ने लिखा है—

“समदोष समाग्निश्च, समघातुमलक्रिय ।

प्रमन्नात्मेन्द्रियमना, स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥”

जिसके त्रिदोष—वात, पित्त और कफ, जठराग्नि सप्तघातु का निर्माण और मलोत्सर्ग सम मात्रा में हो तथा जिसकी आत्मा, इन्द्रिया और मन प्रसन्न हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। इस श्लोक के पूर्वार्द्ध में शारीरिक स्वास्थ्य और उत्तरार्द्ध में आन्तरिक स्वास्थ्य के लक्षण उल्लिखित हैं।

प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति से होने वाली हर्ष और विषादपूर्ण मन स्थिति नहीं, अपितु इन दोनों स्थितियों से अतीत—समता की अवस्था प्रमन्नता और विषमता की अवस्था अप्रसन्नता है। इस दृष्टि से जिस व्यक्ति की आत्मा, इन्द्रिया

और मन प्रसन्न हैं, समाहित हैं, वहिर्गामी नहीं अपितु अन्तर्गामी हैं, वह व्यक्ति वस्तुतः स्वस्थ है। इन्द्रिय, मन और आत्मा की इस प्रोन्नत भूमिका तक पहुँच जाने पर व्यक्ति हिंसा की ओर आकर्षित नहीं हो सकता, भले ही वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो ?

जिस व्यक्ति की इन्द्रिया, मन और आत्मा वहिर्गामी हैं, वह व्यक्ति उतना ही अस्वस्थ है, और जितना अस्वस्थ है, उतना ही हिंसक है। और, वे जितने-जितने अन्तर्मुखी बनते हैं, व्यक्ति उतना-उतना स्वस्थ होता चला जाता है। वह जितना स्वस्थ है, उतना ही अहिंसक है। इस दृष्टि से आसक्ति, लिप्सा, विक्षिप्तता और त्वरा—ये सब मानसिक और आत्मिक व्याधियाँ हैं और हिंसा के निमित्त हैं।

वस्तुतः इन्द्रियो की वाह्य के प्रति दौड़-धूप मन को व्यग्र बनाती है, और व्यग्रता आत्मा को मलिन। तब व्यक्ति वाह्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का खुलकर प्रयोग करता है। वह हिंसा में इतना आसक्त बन जाता है कि उसके उपरत होने की कल्पना भी नहीं कर सकता।

अस्तु, अहिंसा की साधना के लिए तथा हिंसा की सहारक शक्ति को उपहृत करने के लिए आवश्यक है आतुरता का विसर्जन, भले ही वह लिप्सा, व्याकुलता, अस्वास्थ्य आदि किसी भी रूप में क्यों न हो ? पर है वाह्य के प्रति तीव्र आसक्ति का परिणाम। अतः आतुरता के विसर्जन के लिए अनासक्ति की साधना अत्यन्त अपेक्षित है।

## महावीर की संघ-व्यवस्था : प्रारूप और विकास

धर्म वैयक्तिक तत्त्व है क्योंकि उसकी साधना व्यक्तिगत हाती है। लेकिन उससे जब समूह-चेतना प्रभावित होती है तो वह सामुदायिक बन जाता है।

भगवान् श्री महावीर ने साढ़े बारह वर्ष तक अहिंसा और समता की साधना की। साधनाकाल में वे अकेले रहे। विजन में रहे। उनकी साधना फली। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हुए।

उन्होंने अनुभूति के स्वर में अहिंसा, समता, सयम और सह-अस्तित्व का प्रतिपादन किया। आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर उनकी मूल्य प्रतिष्ठा की। उनके उद्बोधन से लोक-चेतना प्रभावित हुई। वैदिक परम्परा की यज्ञ सस्था के सुदृढ आधार स्तम्भ वेद-वेदागो के धुरीण विद्वान् इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह ब्राह्मण पंडित अपनी-अपनी टोलियों के साथ भगवान् के शिष्य बन गए। राजकुमारी चन्दना हज्जारो कन्याओं और महिलाओं के साथ भगवान् की शरण में आयी। हज्जारो पुरुष और महिलाएँ उपासक धर्म में दीक्षित हुए। पहले ही दिन हज्जारो साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविकाओं का सघ बन गया। आगे चलकर यह सख्या लाखों तक पहुँच गयी। उक्त चतुर्विध-सघ तीर्थ कहलाया और भगवान् उसके सस्थापक-तीर्थंकर कहलाए।

एक विशाल धार्मिक संगठन का जन्म हुआ। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से अध्यात्म-साधना का सघीयकरण भगवान् पार्श्व के समय से से ही हो चुका था, फिर भी भगवान् महावीर ने युगीन अपेक्षाओं के परिवेश में उसका जिस पद्धति से पल्लवन किया वह धार्मिक संगठन की दृष्टि से अप्रतिम कहा जा सकता है।

उन्होंने अपने धर्मसंघ को आत्मानुशामन की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा—“कुमले पुण नो वद्धे नो मुक्के”—प्राज्ञ व्यक्ति को बाहरी बन्धनों से जकड़ने की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वह आत्मानुशामन से मुक्त नहीं होता।

किन्तु जहां समाज होना है, वहां सबके सस्कार, रुचि और अपेक्षाएँ समान नहीं होती एव अनुशामन भी सबका ममान विकसित नहीं होता। अतः धार्मिक संगठन में भी व्यवस्थाओं और संचालन की प्रविधियों का निर्धारण अपेक्षित समझा गया।

भगवान् महावीर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के उद्गाता थे और नाथ ही सामुदायिक मूल्यों के सम्यापक भी। उन्होंने अपने संघ में आत्म-नियन्त्रण, अनुशासन और व्यवस्था—इन तीनों को समान महत्त्व दिया, जिसमें न व्यक्ति की स्वतन्त्र-चेतना कुण्ठित हो और न सामुदायिक मूल्यों का लोप।

प्रश्न उठता है—महावीर की सघीय व्यवस्था क्या थी और वह किस तन्त्र से संचालित थी ?

महावीर गणतन्त्र के वातावरण में पले-पुसे थे, वर्तमान में वे अहिंसा की परिपूर्णता में जी रहे थे। अतः अर्थ और सत्ता का केन्द्रीकरण उनकी दृष्टि में सामाजिक अपराध और उनके समतावादी दर्शन के विपरीत था। नेतृत्व के केन्द्रीकरण में भी उनका विश्वास नहीं था। अतः अपने समूचे श्रमण-संघ को उन्होंने नौ गणों (विभागों) में विभक्त कर उसकी व्यवस्था को विकेन्द्रित कर दिया। अपने प्रथम शिष्य इन्द्रभूति आदि ग्यारह विद्वान् ब्राह्मण मुनियों को गणधर पद पर नियुक्त कर संघ का नेतृत्व उनको सौंप दिया। विशाल श्रमणी संघ का दायित्व उन्होंने अपनी प्रथम शिष्या महासती चन्दनवाला को सौंपा।

उनके सक्षम नेतृत्व में श्रमण-श्रमणी संघ उत्तरोत्तर विकास पाता

रहा और भगवान् महावीर के समय में ही वह विभिन्न धर्मसघों में सर्वोपरि माना जाने लगा ।

जहाँ अन्य सुविशाल धर्म-सघ उदय के पश्चात् कुछ ही समय में अस्तगत हो गए, वहाँ जैन श्रमण-सघ की धारा नाना अवरोहो-आरोहो को पार करती हुई सहस्राब्दियों के पश्चात् भी अक्षुण्ण बनी रही । यह श्रेय उनकी सगठन-प्रियता और अद्भुत व्यवस्थाओं को ही है ।

वस्तुतः जैन-सघ का सक्षम नेतृत्व, सुगठित एवं सर्वांग परिपूर्ण सविधान, अनुशासन, सघ—संचालन की प्रविधियाँ और व्यवस्थाएँ अपने युग की अप्रतिम उपलब्धि थी । इसी के आधार पर अनगिन प्रतिकूलताओं में भी जैन धर्म सुदूर अचलो तक पहुँचा, फला-फूला और लोक-जीवन को वर्षों तक प्रभावित करता रहा ।

जब जैन श्रमण सघ के नेतृत्व और व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी करने का प्रयास करते हैं तो उसके परिपेक्ष्य में नाना प्रश्न उभर आते हैं चिन्तन के दर्पण में, जैसे कि—

- १ भगवान् महावीर की सघीय व्यवस्था का प्रारूप क्या था ?
- २ व्यवस्थाओं के संचालक स्वयं गणधर ही होते थे अथवा अन्य आचार्यादि ?
- ३ श्रमण-सघ के नेतृत्व की दिशाएँ महावीर की वर्तमानता में ही विकसित हो चुकी थी अथवा उनका कोई क्रमिक इतिहास है ?
- ४ जैन परम्परा में जो संचालन वर्ग के सात पदों का उल्लेख है, वह महावीरकालीन है या उत्तरकालीन ?
- ५ सातों पदों के कार्यक्षेत्र क्या थे ?
- ६ क्या श्रमण-सघ में सातों पदों की नियुक्तियाँ अनिवार्य थी ?
- ७ क्या वर्तमान में भी पद-परम्परा सुरक्षित है ?

प्रस्तुत प्रवन्ध में इन्हीं प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है । इनका समाधान हमें आगम साहित्य और उनके व्याख्या ग्रन्थों के आलोक में बहुत-ही स्पष्टता के साथ उपलब्ध हो सकता है ।



### प्रारूप

धर्मसंघ के सदस्यों के वर्गीकरण के मुख्य आधार रहे हैं साधना और व्यवस्था ।

साधना के दो अंग हैं—चारित्ताराधना और ज्ञानाराधना । चरित्र की विशिष्ट आराधना और उपलब्धि की दृष्टि से जैन वाङ्मय में तीर्थंकर, अर्हत केवली तथा अन्य लब्धिधर मुनियों का उल्लेख है । ज्ञानाराधना की दृष्टि से अर्वाधिज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, एकादशागधारी आदि श्रमणों का उल्लेख है । महावीर के युग में इन सबका बहुत बड़ा समूह था ।

संघटन का मुख्य आधार है व्यवस्था । उसके सम्यक् संचालन के लिए भगवान् के समय में एक ही पद निश्चित था—गणधर पद, उस पर भगवान् ने अपने ग्यारह प्रमुख शिष्यों को नियुक्त किया । कल्पसूत्र (जिसमें भगवान् का जीवनवृत्त गुम्फित है) में भगवान् की शिष्य-सम्पदा का पूरा विवरण प्राप्त है । वहाँ व्यवस्था की दृष्टि से गणधर पद के अतिरिक्त कोई पद उल्लिखित नहीं है । व्यवस्था की दृष्टि से मात्र इतनी ही जानकारी मिलती है कि भगवान् के शासन में श्रमणों के नौ गण थे, ग्यारह गणधर थे । अन्तिम दो गणों का दो-दो गणधर सयुक्त नेतृत्व करते थे । गौतम के अतिरिक्त नौ गणधरों ने भगवान् की विद्यमानता में ही अपने-अपने गण सुधर्मा को समर्पित कर दिए थे ।<sup>१</sup>

अत स्पष्ट है उस समय तक 'गणधर' के अतिरिक्त किसी पद-मर्यादा का सूत्रपात नहीं हुआ था । साध्वी-संघ के नेतृत्व के लिए प्रवर्तिनी पद की परिकल्पना भी आगमिक आधार पर नहीं होती । हा, नेतृत्व-भार अवश्य चन्दना को सौंपा गया था । पर उसके लिए आर्या चन्दना के अतिरिक्त किसी भी उपाधिसूचक शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है ।

अत भगवान् के समय में संघ-संचालन के सूत्रधार तो गणधर ही थे, पर कार्य-सौकर्य की दृष्टि से अन्य श्रमणों को भी विभिन्न विभाग सौंपे हो, तो भी असम्भव नहीं लगता, पर उस कार्य-प्रणाली का कोई व्यवस्थित क्रम उपलब्ध नहीं होता ।

अग साहित्य में आचार्य और उपाध्याय इन दो पदों की संसूचा अवश्य उपलब्ध होती है।<sup>१</sup> श्रुत परम्परा को अविच्छिन्न रखने के लिए उनकी सेवाएँ बहुमूल्य समझी जाती थीं और उनकी उपस्थिति अनिवार्य। वे गण के अन्यान्यदायित्वों से मुक्त रहते थे। उनका कार्यक्षेत्र आगम-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित था।

जैन परम्परा में आचार्य और उपाध्याय का स्थान सर्वोपरि रहा है। परम्परा एक प्रवाह है। उसका उत्स है सूत्र। सूत्र की आत्मा है—अर्थ। अर्थ और सूत्र के अधिकारी आचार्य और उपाध्याय होते थे।<sup>१</sup> वैदिक परम्परा में भी अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से आचार्य और उपाध्याय पदों की प्रतिष्ठा थी।<sup>५</sup>

स्थानाग समवायाग उत्तराध्ययन, दशवैकालिक औपपातिक आदि ग्रन्थों में आचार्य-उपाध्याय की गौरव गाथाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

वैदिक परम्परा में भी महाभारत, प्रश्नोपनिषद्, धर्मसूत्र आदि ग्रन्थ आचार्य की महिमा स्वीकार करते हैं।

महावीर के युग में आचार्य-उपाध्याय की विधिवत् नियुक्ति होती थी या नहीं, पर अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से उनका अस्तित्व उभर चुका था, क्योंकि अपने-अपने गणों के हज़ारों श्रमण-श्रमणियों को अकेले एक एक गणधर वाचना देते हो, यह सम्भव नहीं लगता।

भगवान् के निर्माणोत्तर काल में जब श्रमण सघ विस्तार पाने लगा, धर्माचार्यों का झुकाव लोक-संग्रह की ओर हुआ, कार्यक्षेत्र और सघीय प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगी, तब आचार्य-उपाध्यायों को उन प्रवृत्तियों में संलग्न होना पड़ा। फलतः आगम परम्परा में शैथिल्य की संभावना प्रतीत होने लगी। इस दृष्टि से आचार्यों का कार्यक्षेत्र विभक्त हुआ। कुछ आचार्य श्रुतवाचना का दायित्व निभाते, कुछ गण की सार-संभाल का और कुछ धर्म-प्रचार और धर्मोपदेश का।<sup>५</sup> आचार्य पट्टावली गत वाचक वंश और गणधर वंश की परम्परा इसका पुष्ट प्रमाण है।

इन विविध अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सघ की सुव्यवस्था के लिए नेतृत्व के क्षेत्र में परिवर्तन और परिवर्द्धन हुआ। विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन के लिए आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर,

गणी, गणघर, गणाद्रच्छेदक—इन नात पदों का निर्धारण हुआ। इनका उल्लेख छेद सूत्रों में मिलता है, जिनके रचयिता हैं—चतुर्दशपूर्वी आचार्य भद्रबाहु। उनका समय था वीर निर्वाण की दूसरी सदी। अतः यह निश्चित है, उस समय तक उक्त व्यवस्थाओं का पल्लवन हो चुका था।

उक्त मातो पदों और पदाधिकारियों के कार्य-विभाजन और क्षमताओं का उल्लेख छेद-सूत्रों तथा उनके व्याख्या ग्रन्थों-निर्युक्तियों, भाष्यों, चूणियों और टीकाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वह संक्षेप में इस प्रकार है—

### आचार्य

आचार्य सूत्र, अर्थ और तदुभय-वेत्ता, लक्षण-सम्पन्न, गण की ममत्र प्रवृत्तियों के केन्द्रभूत हाते थे। वे शिष्यों को मात्र अर्थ की वाचना देते थे तथा गण की अन्यान्य चिन्ताओं से मुक्त रहते थे।<sup>१</sup> इसका हेतु यह दिया गया है कि आचार्य तीर्थंकर की प्रतिकृति होते हैं, तीर्थंकर अर्थ का प्रवर्णन करते हैं और मध्व व्यवस्था सम्बन्धी चिन्ता नहीं करते। वैसे ही आचार्य भी अर्थ की वाचना देते हैं और गणतन्त्र से मुक्त रहते हैं।<sup>२</sup>

उत्तरवर्ती-काल में आचार्य के दायित्व बहुत कुछ परिवर्तित हो गये।

### उपाध्याय

श्रमणों को सूत्र की वाचना देते थे। उन्हें श्रुत-सम्पन्न बनाने थे।

### प्रवर्तक

प्रवर्तक श्रमणों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार माध्या के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित करते थे।

### स्थविर

प्रवर्तक द्वारा नियोजित कार्य में यदि कोई श्रमण निरुत्साहित होता है तो स्थविर उसे पुनः प्रेरित और लक्ष्य में स्थिर करते थे।

## गणी

गणी आचार्यों को श्रुत का अध्ययन कराने के लिए नियुक्त विशिष्ट श्रमण होते थे। मुनिश्री नथमल ने छोटे-छोटे श्रमण-समूहों के नेतृत्व करना गणी का कार्य माना है। 'स्थानागवृत्ति' में भी गणी का यही अर्थ सम्मत है पर कल्पसूत्र वृत्ति के अनुसार यह कार्य गणावच्छेदक का था।

## गणधर

गणधर का सामान्य अर्थ होता है गणको धारण करने वाला—आचार्य। तीर्थंकरों के प्रमुख शिष्यों के अर्थ में यह शब्द मुख्यतः प्रयुक्त हुआ है। पर पद व्यवस्था क्रम में इसका अर्थ होता है—श्रमणों की दिनचर्या का ध्यान रखने वाला विशिष्ट श्रमण। स्थानाग-वृत्ति में इसका अर्थ किया गया है—आर्या प्रति जागरूक, अर्थात् साध्वियों को प्रति-जागृत करने वाले। लेकिन इस मान्यता का आधार क्या रहा है, यह चिन्तनीय है। क्योंकि छेद सूत्रों के अनुसार श्रमणी समूह का दायित्व प्रवर्तिनी पर होता है। प्रवर्तिनी का साध्वी-समाज में बही स्थान था जो श्रमणसघ में प्रवर्तक का होता था। उत्तरवर्ती काल में भी प्रवर्तिनी—स्थविरा, महत्तरा आदि की परम्परा का उल्लेख मिलता है। पर साध्वियों की व्यवस्था के लिए किसी वरिष्ठ श्रमण की अतिरिक्त नियुक्ति होती थी—ऐसा उल्लेख तो अन्यत्र नहीं मिलता।

## गणावच्छेदक

सघ की आन्तरिक व्यवस्थाओं का दायित्व मुख्यतया गणावच्छेदक पर होता था। वे सेवाभावी और गणवत्सल होते थे। गण की हर अपेक्षा का ध्यान रखना, उसको पूरा करना तथा आचार्य के विहार क्षेत्र का परिप्रेक्षण करने के लिए सघ के आगे-आगे कुछ श्रमणों के साथ चलना इनका मुख्य कार्य था।<sup>1</sup>

यह पद-व्यवस्था जैन सघ की अपनी मौलिक सूत्र है। इसको विकास एक साथ नहीं अपितु कालक्रम से हुआ था। आचार्य भद्रबाहु तक यह

व्यवस्था पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इन पदों की कोई चुनाव प्रणाली नहीं थी, अपितु आचार्य यथावश्यक इनका स्वयं मनोनयन और नियोजन करते थे।

सातो ही पदों की नियुक्तियाँ अनिवार्य नहीं थी। एक आचार्य के लिए भावी आचार्य की नियुक्ति अनिवार्य थी। शेष पदों की नियुक्तियाँ आचार्य की इच्छा पर निर्भर थी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से आचार्य यदि चाहते तो सातो पदों का कार्य-भार स्वयं सम्भालते, चाहते तो कुछ का स्वयं सम्भालते और कुछ पर अधिकारी वर्ग को नियुक्त करते तथा चाहते तो सातो पदों की नियुक्तियाँ भी करते।

छेद-सूत्रों में जहाँ श्रमण-संघ की व्यवस्था और व्यवस्थापकों का विस्तृत वर्णन मिलता है, वहाँ सातो पदों का एक साथ वर्णन तो यत्न कुत्रचित् ही मिलता है, अधिकतर पाँच, तीन और दो का ही उल्लेख आता है, जिनका नेतृत्व साधु-साध्वियों को अनिवार्यतः स्वीकार करना होता था। साधु के लिए आचार्य और उपाध्याय के नेतृत्व की अनिवार्यता थी और साध्वी के लिए आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तिनी के नेतृत्व की।<sup>13</sup> उनके अभाव में यह भी विधान था कि वे किसी भी योग्य श्रमण के नेतृत्व में रह सकते हैं। जहाँ सातो पदों का एकत्र उल्लेख है, वहाँ भी उनमें से किसी एक के आदेश-निर्देश के स्वीकरण का विकल्प है।<sup>14</sup>

पद-संख्या की न्यूनताधिकता का एक कारण यह भी हो सकता है कि अनेक बार एक ही व्यक्ति अनेक पदों के दायित्व का निर्वहन करता था। जैसे उत्तराध्ययन में आचार्य मार्ग के विषय में लिखा गया है—

“थोरे गणहरे गग्गे, मुणी आसी निसारए।”

आइण्णे गणि-भावम्भि, समार्हि पडिसघए ॥” आगे लिखा है—“आयरियाण तुवयण।”

इससे पता चलता है, गर्ग एक गीतार्थ मुनि थे। कालान्तर में वे आचार्य बने और स्थविर, गणी तथा गणधर—इन तीनों का कार्यभार स्वयं सम्भाले हुए थे। कहीं-कहीं आचार्य के स्थान पर गणी और गणावच्छेदक शब्द का प्रयोग भी हुआ है। भाष्य तथा चूणियों में जहाँ एकत्र कई पदों का उल्लेख है वहाँ गणी और गणधर का उल्लेख बहुत ही

कम हुआ है। इससे लगता है इन पदों का दायित्व अधिकतर आचार्य या गणावच्छेदक ही सभाल लेते थे।

जैन श्रमण सघ के विस्तार, स्थिरीकरण और अभ्युदय की दृष्टि से यह पद-व्यवस्था बहुत ही मूल्यवान सिद्ध हुई। वीर निर्वाण की एक सहस्राब्दि तक यह परम्परा लगभग व्यवस्थित रूप से चलती रही। कालान्तर में यह स्वस्थ परम्परा भी अनेक दोषों से आक्रान्त हो गयी। फलतः सातों पदों के अधिकार और मर्यादाएँ बहुत कुछ सिमट गयी या एकमात्र आचार्य-केन्द्रित हो गयीं।

वर्तमान में जैन परम्परा के किसी भी सम्प्रदाय में पद-व्यवस्था का व्यवस्थित क्रम उपलब्ध नहीं होता। दिगम्बर, श्वेताम्बर, मूर्तिपूजक तथा स्थानकवासी परम्परा में आचार्य के अतिरिक्त उपाध्याय, गणी, प्रवर्तक आदि पदों के अधिकारों का यदा-कदा उपयोग होता है। तेरापथ सघ के उदय-काल से अब तक आगभोक्त सातों पदों के अधिकार और दायित्व एकमात्र आचार्य-केन्द्रित ही रहे हैं। युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी ने तेरापथ सघ में निकाय व्यवस्था का अस्थायी प्रयोग किया था, लेकिन उसे स्थायी मान्यता प्रदान नहीं की।

यह है भगवान् महावीर की सघीय व्यवस्था के प्रारूप और विकास की संक्षिप्त कहानी।

### सन्दर्भ ग्रन्थ

- १ कल्पसूत्र २०१
- २ रथानाग ३-३
- ३ ओष निर्मुक्ति—ओष निर्मुक्ति की दृष्टि अर्थवद् वाए आमरियो, सुत्त वाएइ उवज्जाओ। सूत्रप्रदा उपाध्याया, अर्थप्रदा आचार्या।
- ४ महद् गौतम स्मति १४-५६-६०
- ५ स्थानाग ४।३ ४२२-४२३
- ६ भगवती सूत्रदृष्टि, आवश्यक निर्मुक्ति गाथा १२०६ की अवचूर्णी।
- ७ आवश्यक निर्मुक्ति गाथा १२०६ की अवचूर्णि।
- ८ जैन दर्शन मनन और भासासा।

## १०४ महावीर व्यक्तित्व और विचार

६ स्थानाग वृत्ति, पृ० २३२।

१०. आवश्यक निर्युक्ति, स्थानागवृत्ति, व्यवहार भाष्य, कल्पसूत्र वृत्ति टिप्पण  
भादि।

११ व्यवहार सूत्र भाष्य।

१२ बृहद्कल्प।

## जैन आचार-शास्त्र (१)

फटे-पुराने चिथडो में सिमटा एक दुबला-पतला भिखारी भीख माग-माग-कर पेट की आग बुझा रहा था। उसका अन्तर् चीख रहा था। दैन्य की आग सुलगती जा रही थी। उसे बुझाने के लिए कहीं से सहानुभूति के दो शब्द भी उसे नहीं मिल रहे थे। अचानक एक नैमित्तिक ने टोका—तुम्हारे जैसा प्रचुर ऐश्वर्य का स्वामी घर-घर भीख मागता फिरे ? नहीं-नहीं ! यह विलकुल अनुचित है।

भिखारी सहमा। फटी-फटी आंखों से देखता ही रहा। वह ममझ नहीं पा रहा था इस रहस्य को।

ज्योतिपी ने बताया, तुम्हारे घर में एक निधान गढा हुआ है। तुम उससे अनजान हो, इसीलिए भिखारी बने बैठे हो। अन्यथा तुम तो अपार विभूति के स्वामी हो।

भिखारी अद्भुत कुतूहल लिये घर गया। भूमि की खुदाई की। निधान पाना इतना आसान नहीं था। खोदते-खोदते सास फूलने लगी, दम टूटने लगा, पसीने में तर-बतर, थकान से चूर-चूर। फिर भी श्रम नहीं छोड़ा। चार-चार बच्चमयी दुर्भेद्य शिलाओं को खण्ड-खण्ड कर, वह गहरा उतरता गया। पुरुषार्थ फलित हुआ। उसका सोया भाग्य जाग उठा। उसके नामने ढेर सारे हीरे, पन्ने, मणि, मुक्ता आदि जवाहरात जगमगा रहे थे। स्वर्ण, रजत आदि की शिलाएँ उसका आश्चर्य बढ़ा रही थीं।

ज्योतिपी के दिशा-बोध और उसके पुरुषार्थ ने एक भिखारी को



घन-कुवेर बना दिया । अपार सम्पदा उसके चरणों में लोटने लगी ।

प्रत्येक आत्मा ज्ञान, आनन्द और शक्ति का अक्षय भण्डार है । वह कर्मों की सघन शिलाओं से आच्छादित है, अतः व्यक्ति उससे अनजान ही रहता है । जब उसे अपने ही अन्दर छिपे इस निधान का पता चलता है, उसे पाने को वह आतुर और वेचैन हो उठता है । विशिष्ट साधना से उस 'निधान' का अनावृत्तीकरण करता है । मानव की इस तीव्र अभीप्सा ने अनेक-अनेक साधना-विधियों को जन्म दिया । आत्म-रूप का अनावृत्तीकरण अथवा चैतन्य-जागरण की प्रक्रिया का नाम ही आचार है जिसे शास्त्रीय-भाषा में सम्यक् आचरण कहा जाता है ।

### आचारशास्त्र का आधार

प्रत्येक आचार-पद्धति स्वतंत्र दार्शनिक मन्तव्यों पर आधारित होती है । आधार-शून्य प्रवृत्ति मूल्यहीन होती है । प्रत्येक साधना-पद्धति का उत्स आत्मा है । वे आत्मा को केन्द्र मानकर ही पल्लवित और पुष्पित हुई हैं ।

विश्व के सभी धर्मों का तत्त्व-चिन्तन आत्मा का दर्शन है । विश्व के प्रबुद्धचेता मनीषियों ने आत्मा के सूक्ष्म विश्लेषण में प्रचुर साहित्य का सृजन किया है । भारतीय तत्त्वज्ञों का तो यह अत्यन्त ही प्रिय तथा प्रमुख विषय रहा है । भारत के सभी आस्तिक दर्शन, अन्यान्य मतभेद होते हुए भी, आत्मा के अस्तित्व के विषय में एकमत और एक-स्वर हैं । वैदिक ऋषियों ने गाया—“आत्मानं विद्धि”—आत्मा को जानो । भगवान् महावीर ने उद्घोष किया—“अत्ताणं मेव समभिजाणाहि”—अपने आपको जानो, परखो और पहचानो । “जे एण जाणइ, से सव्व जाणइ”—आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान लेता है ।

आत्म-अस्तित्व की इस गूज ने प्रेय-सिद्धि में लीन अनेक-अनेक जिज्ञासुओं को आत्मनिरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण की ओर मोड़ा । इस क्रिया से उन्होंने पाया कि सभी आत्माएँ एक-रूप नहीं हैं । कोई प्रबुद्ध है तो कोई प्रमत्त, कोई आसक्त है तो कोई अनासक्त, कोई निष्ठुर है तो कोई कोमल, कोई निश्चल है तो कोई कुटिल, कोई स्वल्प पाकर भी

सन्तुष्ट हो जाता है तो किसी का मन बहुत कुछ पाकर भी नहीं भरता । कोई प्रशान्त है तो कोई अशान्त, कोई गम्भीर है तो कोई अधीर, कोई सकीर्ण है तो कोई उदार, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी—यह क्यों ? अस्तित्व की अपेक्षा से समान इन आत्माओं की विरूपता और विविधता का कारण क्या है ?

भारतीय मनीषियों ने कहा—आत्मा की यह विविधता स्वतः नहीं, विभाव सापेक्ष है । आत्मा स्वयं शुद्ध-बुद्ध, चैतन्यमय, आनन्दमय और सर्वशक्तिमान है । वह एक प्रशान्त सागर है । बाह्य निमित्त पाकर उसमें स्वार्थ, अहं, क्रोध, घृणा, वासना आदि की उमिया उठने लगती हैं । वह आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है ।

जैन दर्शन के अनुसार इसका कारण है कर्म । वे पुद्गल-परमाणु हैं, जो आत्मा की ही अच्छी या बुरी प्रवृत्ति से आकृष्ट होते हैं, सश्लिष्ट होते हैं, आत्मा को आवृत्त करते हैं, उसकी चेतना-शक्ति को तिरोहित करते हैं और अपने परिपाक के समय आत्मा को अच्छे या बुरे फल देते हैं । वे किसी ईश्वरीय सत्ता से प्रेरित नहीं होते, स्वकृत होते हैं । व्यक्ति स्वयं ही कर्म का कर्ता और स्वयं ही उसका भोक्ता है । कर्म की वह परिणति ही आत्मा की विविधता का हेतु है ।

कर्म-बन्ध भी स्वतन्त्र नहीं, क्रिया-सापेक्ष है । व्यक्ति-व्यक्ति में क्रियाओं का साम्य संभव नहीं । सुख-दुःख की अनुभूतिया, रुचिया, मनोदशाएँ, भावनाएँ और आकाक्षाएँ सबकी अपनी-अपनी होती हैं । ये ही व्यक्ति की क्रियाओं की पृथक्ता का कारण बनती हैं । व्यक्ति की जैसी क्रिया होगी, वैसा ही कर्म होंगे । जैसे कर्म होंगे, वैसा ही उनका फल होगा । कर्म-फल से बचाव के लिए कर्म-बन्धन से बचना अनिवार्य है । बन्धन से बचने का उपाय है—क्रियाओं की विशुद्धि और निरोध । यही प्रत्येक आचार-शास्त्र की मूल भित्ति है ।

आत्मा का अस्तित्व, उसके विकास की अनेक संभावनाएँ, विजातीय तत्त्वों के सम्मिश्रण से उन शक्तियों का प्रतिघात और उनके निवर्तन से आत्मा के मूल रूप का प्रकटीकरण हर आत्मवादी दार्शनिक धारा को मान्य है । इसी मान्यता के आधार पर हर दार्शनिक परम्परा ने अपनी-

अपनी आचार-सहिताओं की सरचना की। वे प्रविधिया भिन्न हो सकती हैं, पर लक्ष्य सबका एक है, वह है चेतना का पूर्ण विकास या स्वरूपावस्थिति।

### जैन साधना का सुदृढ आधार

यद्यपि सभी आचार-शास्त्रों का उदय आत्मा को केन्द्र मानकर ही हुआ है, लेकिन जैन दर्शन ने उसका जो सुदृढ आधार प्रस्तुत किया, वह अन्यत्र अप्राप्त है। जहाँ अन्य दार्शनिकों ने आत्मा को केवल नित्य या केवल अनित्य माना, वहाँ भगवान् महावीर ने उसके नित्यानित्यत्व को स्वीकृति दी, क्योंकि उन्होंने अनेकान्त के आलोक में वस्तु-दर्शन किया था।

साधना का अर्थ है—आवरण से अनावरण की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, विभाव से स्वभाव की ओर तथा अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना। यह तभी सम्भव है जब आत्मा में किसी प्रकार के परिवर्तन का अवकाश हो। वह एकान्त नित्य आत्मा में सम्भव नहीं, क्योंकि उसमें उत्कर्ष से अपकर्ष और अपकर्ष से उत्कर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। एकान्त अनित्यता की स्थिति में भी साधना अर्थहीन हो जाती है। इसलिए महावीर ने आत्मा की शाश्वत सत्ता को स्वीकार करते हुए भी उसकी परिवर्तनीयता का सिद्धान्त स्थापित किया। यह परिवर्तन का सिद्धान्त ही जैन आचार-शास्त्र की आधार-शिला है, जिसमें महावीर के आत्म कर्तृत्ववाद या पुरुषार्थवाद की स्पष्ट झलक है।

भगवान् महावीर ने दीर्घकालीन साधना की। अध्यात्म की गहराइयों में उतरकर, उन्होंने आत्मा की सम्पूर्ण अर्हताओं को प्रकट किया। वे चैतन्य-जागरण की जिन-जिन प्रक्रियाओं से गुजरे, जिन-जिन पद्धतियों का बालम्बन लिया, वे प्रक्रियाएँ, पद्धतियाँ तथा उनकी अध्यात्म अनुभूतियाँ आगम साहित्य में सुरक्षित हैं। उन्हीं के आधार पर जैन साधना-पद्धतियों का पल्लवन हुआ।

जैन आगम-साहित्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है अध्यात्म। अतः

उसे साधने की प्रक्रिया के रूप में साधकों के आचार का निरूपण प्रचुर मात्रा में हुआ है। दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचाराग, प्रश्नव्याकरण, उपासकदशा आदि ग्रन्थों में उसका व्यवस्थित वर्णन प्राप्त होता है।

### जैन आचार

जैन-साधना का प्रथम लक्ष्य है वृत्तियों का परिष्करण, ग्रन्थियों और कुष्ठाओं का विमोचन तथा अन्तिम लक्ष्य है—मोक्ष-प्राप्ति। उसके चार साधन हैं—

सम्यक् ज्ञान—ज्ञान की विशुद्धि। इससे सत्य का यथार्थ बोध होता है।

सम्यक् दर्शन—दृष्टि की विशुद्धि। इससे सत्य के प्रति रूचि श्रद्धा जागृत होती है।

सम्यक् चरित्र—आचरण की विशुद्धि। इससे सत्य का आचरण सुलभ हो जाता है।

तपोयोग—इससे आत्मा पर लगे विजातीय तत्त्व दूर हो जाते हैं। आत्मा अपने आप में रमण करने लगती है।

सम्यक् ज्ञान और दर्शन जैन धर्म का वैचारिक पक्ष है तथा आचार-पक्ष है चारित्र्य एव तपोयोग। जैन आचार का विश्लेषण प्रस्तुत निबन्ध का प्रतिपाद्य है।

जैन आचार के दो रूप हैं—सवरयोग और तपोयोग। मनोविज्ञान की भाषा में इसे निरोध और शोधन की प्रक्रिया कह सकते हैं। यह साधना विधि बहुत ही वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान और शरीर-विज्ञान दोनों में ही शोधन और निरोध का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शोधन-विहीन निरोध अन्दर ही अन्दर सड़ाघ पैदा करता है और बिना निरोध के शोधन भी कोई मूल्य नहीं रखता। वहा विजातीय तत्त्वों का आगमन रुकता नहीं है।

सवर योग भावी कर्म-बन्धन—विजातीय तत्त्वों के आगमन का निरोध करता है और तपोयोग आत्मा से चिपके विजातीय तत्त्वों का पूर्ववद्ध कर्मों का शोधन करता है। यह साधना की परिपूर्णता है।

जैन साधक दो श्रेणियों में विभक्त है—साधु और श्रावक। जैन

आचार ग्रन्थो मे-दोनो के लिए व्यवस्थित आचार-सहिताए निर्मित हैं। यद्यपि ये दोनो ही लक्ष्य के प्रति गतिमान हैं, दोनो की लक्ष्य-निष्ठा, सत्य-सधित्ता और अभीप्सा मे कोई अन्तर नही होता, अत दोनो की आचार-सहिता मे भी मौलिक भेद नही है। भेद केवल सामर्थ्य और गति की तीव्रता और मन्दता पर ही आघारित है।

साधु का आचार कठोर होता है। उनके सभी व्रत परिपूर्ण और निर्विकल्प होते हैं। उनका स्वीकार यावज्जीवन तक होता है। अत इन्हें महाव्रत कहते हैं। विशिष्ट सामर्थ्य और मनोबल मे सम्पन्न व्यक्ति ही इनकी साधना कर सकते हैं। इतनी योग्यता और शक्ति सर्वमाधारण मे नही होती। अत भगवान् महावीर ने ऐसी सुलभ आचार-सहिता प्रस्तुत की, जिमका यथाशक्ति समाचरण करता हुआ हर व्यक्ति क्रमश लक्ष्य के निकट पहुच सके। ये व्रत अपूर्ण होते हैं। गृहस्थ साधक अपनी शक्ति के अनुसार देश-काल की सीमा से इनका स्वीकरण करता है। अत ये अणुव्रत कहलाते हैं।

### मुनि की आचार-सहिता

जिस व्यक्ति की अनासक्ति और मुमुक्षा तीव्र होती है, तितिक्षा बलवती होती है, वह तीव्र गति से लक्ष्य की ओर प्रयाण करता है। गति की मन्दता उसे सहन नही होती। वह गृह त्यागकर मुनि-जीवन स्वीकार करता है। पाच महाव्रतो का जीवन भर निर्विकल्प पालन करने वाला मुनि कहलाता है। वे महाव्रत ये हैं—

- १ अहिंसा महाव्रत—शारीरिक, वाचिक और मानसिक अहिंसा तथा समता का आचरण करना।
- २ सत्य महाव्रत—शारीरिक, वाचिक और मानसिक ऋजुता का अभ्यास तथा कथनी और करनी मे समानता का आचरण करना।
- ३ अचौर्य महाव्रत—विना अनुमति दूसरे की वस्तु को ग्रहण नही करना।
- ४ ब्रह्मचर्य महाव्रत—शारीरिक, वाचिक और मानसिक पवित्रता का

विकास और वासना-विजय ।

५ अपरिग्रह महाव्रत—सग्रह-त्याग । ममत्व-विसर्जन ।

ये पाच महाव्रत जैन मुनि की साधना के मूल आधार हैं । दीक्षा लेते ही ये यावज्जीवन के लिए स्वीकृत किए जाते हैं । लेकिन स्वीकार करते ही उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता । इसके लिए तीव्रतम प्रयत्न की अपेक्षा होती है । बार-बार अभ्यास करना होता है ।

प्रश्न व्याकरण आदि आगम ग्रन्थों में महाव्रतों को परिपुष्ट करने के लिए पच्चीस भावनाओं का वर्णन आता है । “पुन पुन अभ्यसन भावना” —लक्ष्य-साधना के लिए जिनका पुन-पुन अभ्यास किया जाता है, वे भावनाएँ कहलाती हैं ।

आयुर्वेदिक औषध-निर्माण-विधि में भी भावना का बहुत महत्त्व रहा है । औषधि को शक्तिशाली बनाने के लिए किसी विशेष द्रव्य की अनेक बार भावना-पुष्ट देकर उसे शतपुटी, सहस्रपुटी और लक्षपुरी बनाया जाता है । इमसे वह बहुत प्रभावशाली हो जाती है । इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में भावना-योग का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । वृत्ति-शोधन और सस्कार-परिवर्तन के लिए यह शक्तिशाली माध्यम है ।

महाव्रतों की परिपुष्टि और निष्पत्ति के लिए मुनि इन पच्चीस भावनाओं का अभ्यास करता है—

१ अहिंसा महाव्रत की पाच भावनाएँ—

(क) चलने में जागरूकता ।

(ख) मानसिक पवित्रता का अभ्यास ।

(ग) वाणी की पवित्रता ।

(घ) अपने धर्मोपकरणों के व्यवहार में जागरूकता ।

(च) अशन-पान सम्बन्धी विवेक ।

इनसे कायिक, वाचिक और मानसिक—तीनों प्रकार की अहिंसा का विकास होता है ।

२ सत्य महाव्रत की पाच भावनाएँ हैं—

(क) वाणी का विवेक

(ख) क्रोध का परिहार

- (ग) लोभ का परिहार
- (घ) भय का परिहार ।
- (च) हास्य का परिहार ।

क्रोध आदि असत्य भाषण के निमित्त हैं । कारण के परिहरण से कार्य की निष्पत्ति स्वयं रुक जाती है ।

३ अचौर्य महाव्रत की पाच भावनाएँ हैं—

- (क) याचना का विवेक ।
- (ख) उपभोग का विवेक ।
- (ग) परिमित पदार्थों का स्वीकरण ।
- (घ) पदार्थों की मर्यादा का निर्धारण ।
- (च) साधर्मिकों से याचना का विवेक ।

४. ब्रह्मचर्य महाव्रत की पाच भावनाएँ हैं—

- (क) स्त्री-कथा का परिहार ।
- (ख) दृष्टि-सयम का अभ्यास ।
- (ग) पूर्वानुभूत क्रीडाजो का विस्मरण ।
- (घ) अतिमात्र आहार का परिहार ।
- (च) स्त्री-सम्बन्ध स्थान का वर्जन ।

५ अपरिग्रह महाव्रत की पाच भावनाएँ—

- (क) श्रोत्रेन्द्रिय सयम—शब्द के प्रति अनासक्त भाव ।
- (ख) चक्षु-इन्द्रिय सयम—रूप के प्रति अनासक्त भाव ।
- (ग) घ्राणेन्द्रिय सयम—गन्ध के प्रति अनासक्त भाव ।
- (घ) रसनेन्द्रिय सयम—रस के प्रति अनासक्त भाव । स्वाद-

विजय ।

- (च) स्पर्शनेन्द्रिय सयम—स्पर्श के प्रति अनासक्त भाव ।

पाच महाव्रतों की आराधना के साथ जैन मुनि के लिए रात्रि-भोजन भी निषिद्ध है । किसी भी परिस्थिति में वे रात्रि में भोजन या पेय स्वीकार नहीं करते ।

रात्रि-भोजन, मादक द्रव्यों का सेवन और मासाहार जैन श्रावक के लिए भी त्याज्य हैं ।

## प्रवृत्ति और निवृत्ति

वैदिक क्रियाकाण्ड का मूल आधार प्रवृत्ति मार्ग था। स्वर्ग-प्राप्ति की आकांक्षा से लोग यज्ञादि अनुष्ठानों में रत रहते थे। प्रवृत्ति की प्रबल चर्चा में भगवान् महावीर ने निवृत्ति मार्ग का उद्घोष किया। उन्होंने कहा—आत्मा का सहज धर्म प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति है। “न कम्ममुणा कम्म खर्वेति वाला, अकम्ममुणा कम्म खर्वेति धीरा।” कर्म-प्रवृत्ति से कर्म-क्षय चाहने वाले अज्ञानी हैं। धीर व्यक्ति अकर्म-निवृत्ति से कर्म-क्षय करते हैं। फिर भी भगवान् महावीर ने प्रवृत्ति को एकदम नहीं नकारा। उन्होंने पूर्ववद्ध कर्मों को क्षोण करने के लिए सत्प्रवृत्ति का पथ सुझाया और भावी अवन्ध के लिए निवृत्ति का। साधना के प्रारम्भ में असत् प्रवृत्ति का निरोध होता है और अन्त में सत् प्रवृत्ति का भी। प्रवृत्ति और निवृत्ति में सामंजस्य स्थापित करते हुए जैन ग्रन्थों में समिति और गुप्ति की साधना का विधान किया गया है। वे महाव्रतों की सुरक्षा एवं पुष्टि में सहायक होती हैं।

## समिति

जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रवृत्तियों की समीचीनता को समिति कहते हैं। वे पांच हैं—

ईर्या—गमन योग—देखकर चलना।

भाषा—वचन योग—विवेकपूर्वक निरवद्य वचन-प्रयोग।

एपणा—निर्दोष भिक्षा का ग्रहण तथा विवेकपूर्वक उपभोग।

आदान निक्षेप—सावधानी पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और निक्षेप।

व्युत्सर्ग—उत्सर्ग का विवेक।

## गुप्ति

सत् और असत् दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के निरोध को गुप्ति कहते हैं।

मनगुप्ति—मानसिक प्रवृत्ति का निरोध।



१ वचन-गुप्ति---वाणी का निरोध ।

काय-गुप्ति---शारीरिक प्रवृत्ति का निरोध ।

प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति का योग शरीरशास्त्र की दृष्टि से भी लाभप्रद है । प्रवृत्ति से हमारी शारीरिक और बौद्धिक शक्तियाँ क्षीण होती हैं । निवृत्ति से उनका पुनः सञ्चय होता है । साधु चर्या में बार-बार कायोत्सर्ग का विधान है । जिसमें शारीरिक, मानसिक और वाचिक प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं । जैन साधु के लिए पाच महाव्रतों, पाच ममितियों और तीन गुप्तियों का पालन अनिवार्य होता है ।

### तपोयोग

पातजल के अष्टांग-योग की तरह जैन-ग्रन्थों में द्वादशांग तपोयोग का विधान है ।

१ अनशन---उपवास आदि तपस्या करना ।

२ ऊनोदरी---खान-पान आदि का अल्पीकरण तथा कपायो पर नियन्त्रण करना ।

३ वृत्ति-संक्षेप---जीविका-निर्वाह के साधनों का मकोच करना ।

४ रम परित्याग---स्वाद-विजय ।

५ प्रतिसलीनता---इन्द्रिय और मन को बाहर से हटाकर, आत्मलीन बनाना ।

६ काय-बलेश---देहासक्ति का त्याग करना । शारीरिक कष्टों को ममतापूर्वक सहना ।

ये छह प्रकार के बाह्य तपोयोग हैं । ये साधना के विकास की पूर्व भूमिकाएँ हैं । इनके अभ्यास के बिना वृत्तियों पर नियन्त्रण कर पाना कठिन ही नहीं, अमम्भव भी है । अनशन आदि शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किए जाते हैं, अपितु उनकी साधना में ममत्व-विसर्जन और तितिक्षा भाव का विकास होता है, जो कि साधना की पहली और अनिवार्य अपेक्षा है ।

आन्तरिक तपोयोग के छह प्रकार हैं ।

१ प्रायश्चित्त---अकृत्य की विशुद्धि के लिए तप आदि का अनुष्ठान

करना ।

२ विनय—मन, वचन और काया की ऋजुता ।

३ वैयावृत्य—सेवा करना और किसी की अध्यात्म-साधना में सहयोगी बनना ।

४ स्वाध्याय—सद्-ग्रन्थों का पठन-पाठन, आत्म-निरीक्षण ।

५ ध्यान—मानसिक एकाग्रता का अभ्यास ।

६ व्युत्सर्ग—चाह्य अपेक्षाओं से निरपेक्ष होना ।

यह तपोयोग जीवन के सर्वांगीण विकास का हेतु है । इससे चित्त-वृत्तियों का नियन्त्रण और परिष्कार होता है । अस्वाद वृत्ति, स्वावलम्बन, सेवा, कष्ट-सहिष्णुता आदि से अध्यात्म में पैठने की क्षमता व ऋजुता का विकास होता है । ये सारे साधना के अंग हैं । साधु और श्रावक दोनों के लिए आचरणीय हैं । धृति, सहनन, मनोबल आदि की दृष्टि से मुनि की साधना के भी अनेक स्तर हैं । जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, अभिग्रहधारी, प्रतिमा धारी आदि के रूप में मुनिजन अपनी साधना में उत्कर्ष लाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं । उसकी भी विभिन्न विधियाँ, प्रक्रियाएँ और आचार-सहिताएँ आगम ग्रन्थों में उल्लिखित हैं ।

### जैन आचार के फलित

सवरयोग और तपोयोग की प्रत्यक्ष उपलब्धि है—चित्त वृत्तियों का परिष्करण । उससे माघक एक विशिष्ट मनोदशा की अनुभूति करता है । उसमें कतिपय विलक्षणताओं का अभ्युदय होता है, जैसा कि—

१ अप्रमत्तता—निरन्तर जागरूकता । उसका जागरण सूत्र होता है—“उट्टिए णो पमायए” । जब मैं साधना के लिए कटिबद्ध हो गया हूँ तो फिर प्रमाद क्यों करूँ । प्रमाद साधना-पथ में सबसे बड़ा शत्रु है ।

२ उपशम—बहु 'आवेगो-सवेगो और वामनाओं पर नियन्त्रण स्थापित कर लेता है । उसका मानसिक सतुलन प्रबल हो जाता है । उत्कर्ष और अपकर्ष की स्थितियाँ उसे विचलित नहीं कर सकती । उसकी मानसिक ग्रन्थियाँ, कुण्ठाएँ समाप्त हो जाती हैं । कोई भी

स्थिति उसके सामने उलझन पैदा नहीं करती।

- ३ समता—उसकी आत्मोपम्य की अनुभूति तीव्र हो जाती है। उसके सामने छोटे-बड़े की भेद रेखा नहीं रहती। समस्त प्राणी जगत् के प्रति उसके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता है।
- ४ सहिष्णुता—उसकी तितिक्षा शक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। परिस्थितियों के उफान, तूफान और भूचाल उसे प्रकम्पित नहीं कर सकते। सम्मान-अपमान, हानि-लाभ, निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख आदि को समभाव से सहने की शक्ति उसमें अद्भुत हो जाती है। वस्तुतः यह अहिंसा की सही कसौटी है।
- ५ अभय—वह सदा निर्भीक रहता है। स्वयं अभय रहने वाला ही दूसरों को अभय बना सकता है। अभय अहिंसा का राजपथ है। अहिंसक न किसी से डरता है और न किसी को डराता है।
- ६ आत्मानुशासन—वह स्वयं पर स्वयं का नियन्त्रण करना जान लेता है। इसलिए इन्द्रिय-विजय, मनो-विजय, कषाय-विजय और वासना-विजय उसे सहज प्राप्त हो जाते हैं। वह बाह्य विधि-विधानों की जकडन से निर्मुक्त हो जाता है।

अस्तु, हमने पाया कि जैन आचार-शास्त्र साधक के लिए एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक साधना-विधि प्रस्तुत करता है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उसका समाचरण करता हुआ मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के नये आयाभ उद्घाटित करता हुआ, अपनी मजिल को प्राप्त कर लेता है। सत्-चित् और आनन्दमय आत्मरूप की उपलब्धि ही उसकी सर्वोत्कृष्ट सफलता है।

## जैन आचार-शास्त्र (२)

### गृहस्थ की आचार-सहिता

भगवान् महावीर को साधना के क्षेत्र में किमी प्रकार की प्रतिबद्धता मान्य नहीं है। उन्होंने कहा—व्यक्ति किसी भी कार्यक्षेत्र, परिस्थिति, सम्प्रदाय और परिवेश में रहता हुआ धर्मासाधना कर सकता है। इसीलिए उन्होंने साधु के लिए जिस आचार-सहिता की संरचना की, गृहस्थ साधक को भी उसकी व्यवस्थित विधि बतलाई। धर्म-साधना के क्षेत्र में यह जैन धर्म की मौलिक और अद्वितीय देन कही जा सकती है। गृहस्थ साधक की आचार-सहिता का जितना सुन्दर और व्यवस्थित क्रम जैन-परम्परा में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता।

### अणुव्रत

गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्यक्ति के लिए महाव्रतों का पालन करना अनम्भव है। अतः उसके लिए अणुव्रतों के पालन का विधान किया गया है। अणुव्रत का अर्थ है—छोटे-छोटे व्रत या यथाशक्ति गृहीत व्रत। ये महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होते हैं, इसलिए अणुव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत पांच हैं—

१ अहिंसा अणुव्रत—स्थूल हिंसा का परित्याग।

२ मत्स्य अणुव्रत—स्थूल असत्य का परित्याग।

## ११८, महावीर व्यक्तित्व और विचार

- ३ अचौर्य अणुव्रत—स्थूल चौर्य का परित्याग ।
- ४ ब्रह्मचर्य अणुव्रत—अन्नह्यचर्य का परिमाण—स्वदार-मन्तोप-व्रत का पालन ।
- ५ अपरिग्रह अणुव्रत—परिग्रह का सीमाकरण, ममत्व का विमर्जन ।  
अणुव्रतों के विकाम और पुष्टि के लिए गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों का विधान है। गुणव्रत तीन हैं—
  - १ दिग्ब्रत—दिशाओं में गमनागम की सीमा का निर्धारण ।
  - २ उपभोग-परिभोग व्रत—वस्तुओं के व्यवहार की मर्यादा । इनसे सात्त्विक जीवन का अभ्यास होता है ।
  - ३ अनर्थ दण्ड विरमण व्रत—निष्प्रयोजन हिंसा का वर्जन । परिग्रह भी हिंसा का निमित्त बनता है । इस व्रत में अहिंसा और अपरिग्रह—दोनों व्रत पुष्ट होते हैं ।

अणुव्रतों की पुष्टि के लिए जिन व्रतों का बार-बार अभ्यास करना होता है, वे शिक्षाव्रत कहलाते हैं । वे चार हैं—

- १ सामायिक—साम्यभाव—ममता का अभ्यास ।
  - २ देशावकाशिक—कुछ समय के लिए अहिंसादि व्रतों की विशिष्ट साधना करना ।
  ३. पौषधोपवास—एक दिन-रात के लिए साधु की तरह विशिष्ट समय-साधना का अभ्यास करना ।
  ४. अतिथि-सविभाग—मुनि को अपनी वस्तु का सविभाग देना । इनसे श्रावक मुनि की समय-साधना में सहयोगी बनता है ।
- इन व्रतों का पालन करने वाला 'श्रावक' कहलाता है । ये व्रत ज्ञान, सुखी, समयी और सात्त्विक जीवन के प्रेरक हैं । इनका उद्देश्य है—व्यक्ति घर में रहते हुए भी श्रेष्ठ धार्मिक जीवन जीए और उन क्षमताओं का अर्जन करे, जिनसे वह माधना के अग्रिम सोपान तक पहुँच सके । इनका आचरण हर व्यक्ति के लिए मरल और सुलभ है, क्योंकि इनमें महाव्रतों जैसी कड़ाई नहीं है । हर सामाजिक प्राणी के लिए इन व्रतों का यथाशक्य पालन अनिवार्य है । इनके बिना हिंसा, सग्रह और भोग की अति का

वहिष्कार नहीं हो सकता ।

ये ग्रन केवल सिद्धान्तवादिता या कोरे आदर्शों पर अवस्थित नहीं हैं । ये व्यवहार की उर्वरा में प्रस्फुटित हुए हैं । ये जीवन-व्यवहारों को सरम और मधुमय बनाते हैं । सामाजिक जीवन की उच्चता और पवित्रता के लिए स्थिर आधार प्रस्तुत करते हैं । इनसे केवल वैयक्तिक जीवन ही नहीं, सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होता है । इनके परिपालन से जो तथ्य फलित होते हैं, उनमें आदर्श समाज के निर्माण की स्वस्थ परिकल्पना सन्निहित है ।

ग्रनों के फलित

- १ अहिंसा अणुव्रत के फलित—अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार करने वाला साधक—
  - किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करता ।
  - अधीनरय व्यक्ति से अधिक श्रम नहीं लेता ।
  - उनके भक्तपान का विच्छेद नहीं करता ।
  - पशुओं के साथ निर्दय व्यवहार नहीं करता ।
  - किसी को निर्वलता का अनुचित लाभ नहीं उठाता ।
- २ नत्य अणुव्रत के फलित—सत्य अणुव्रत को स्वीकार करने वाला साधक—
  - किसी का मर्म-प्रकाशन नहीं करता ।
  - झूठे दस्तावेज या लेख नहीं लिखता ।
  - किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाता ।
- ३ अचर्य अणुव्रत के फलित—अचर्य अणुव्रत को स्वीकार करने वाला साधक—
  - चुराई हुई वस्तु नहीं लेता ।
  - राष्ट्रीय हितों का विरोधी व्यापार नहीं करता ।
  - कूट-तौल, कूट माप नहीं करता ।
- ४ ब्रह्मचर्य अणुव्रत का फलित—ब्रह्मचर्य अणुव्रत को स्वीकार करने वाला साधक—

ब्रह्मचर्य की यथाशक्ति साधना करता है ।

इन्द्रिय-विजय और मनोविजय का अभ्यास करता है ।

५ अपरिग्रह अणुव्रत के फलित—अपरिग्रह अणुव्रत को स्वीकार करने वाला साधक—

अति सग्रह नहीं करता ।

अनावश्यक वस्तुओं का सचय नहीं करता ।

शोषण नहीं करता ।

किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता ।

शेष सात व्रतों के फलित भी अनेक सामाजिक और आर्थिक जटिल समस्याओं का सुन्दर समाधान प्रस्तुत करते हैं, जैसे अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग का वर्जन । उपभोग में होने वाले प्रमाद से बचने की मनोवृत्ति का विकास । फिजूलखर्ची और दिखावे की मनोवृत्ति पर नियंत्रण । सयमी और समत्वमय जीवन जीने का अभ्यास । विसर्जन का अभ्यास । इन उदात्त भावनाओं के उदय से एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन से पूरे समाज का वातावरण पवित्र, सुखद और सुन्दर बन जाता है । ये शान्त, सुखी और आनन्दमय जीवन के मूल मंत्र हैं ।

इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि महावीर की दृष्टि में पवित्र जीवन की कल्पना का आधार कोई क्रियाकाण्ड नहीं, अपितु व्यवहार की ऋजुता है । नीति और सयम से अनुप्राणित व्यवहार आन्तरिक पवित्रता की प्रथम कसौटी है । जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, वह धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं ।

“धम्मो सुद्धस्स’ चिह्ठई” —पवित्र जीवन ही धर्म का प्रतिष्ठान हो सकता है । जो धर्म व्यक्ति के व्यवहारों में नहीं झलकता उससे किसी के लाभान्वित होने की कल्पना नहीं की जा सकती ।

जैन श्रावक के उल्लिखित बारह-व्रत व्यवहार-शुद्धि के पोषक हैं । इनमें नीति, प्रामाणिकता, सयम, सदाचार और सात्विकता की प्रधानता है । जैन आगम-ग्रन्थों में धृति और क्षमता की अपेक्षा से श्रावक-साधकों के भी कई स्तरों का उल्लेख है । उनमें प्रमुख दो हैं—बारहव्रती श्रावक तथा प्रतिमाधारी श्रावक ।

वारह्वती श्रावक यथाशक्ति सवर और तप की आराधना से आत्म-विकास प्रारम्भ करता है और धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ता है।

प्रतिमाधारी श्रावक विशिष्ट साधना का स्वीकरण कर चरित्र-शुद्धि के लिए विशेष जागरूक और तत्पर हो जाता है। वह साधना की उच्च भूमिका प्राप्त कर लेता है। श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ हैं। जैन आचार-ग्रन्थों में इनकी साधना-विधि, काल, प्रक्रिया आदि का व्यवस्थित निरूपण है। इनकी साधना करते-करते अन्तिम प्रतिमा में एक गृहस्थ भी श्रमणभूत—साधु के समान बन जाता है।

### गृहस्थ साधक के गुण

खेती के लिए बीज-वचन से पहले भूमि की तैयारी और अनुकूलता अपेक्षित होती है। वैसे ही साधना के बीज-वचन से पहले साधक की मनोभूमिका की तैयारी आवश्यक है। उसके बिना साधना के बीज अकुरित नहीं हो पाते। उस भूमि के निर्माण-हेतु श्रावक के लिए कतिपय विशेष गुणों का समुल्लेख है। उनके धारण से ही वह व्रताराधना की योग्यता संपादित कर सकता है। वे ये हैं—

गृहीत व्रतों का सम्यक् पालन करना।

शील का आचरण करना।

बहुश्रुत साधर्मिकों से सम्पर्क साधना।

बिना प्रयोजन किसी के घर न जाना।

व्यसन-मुक्त रहना।

आहम्बर और प्रदर्शन को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन नहीं देना।

मृदु एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार करना।

गुरुजनों की सेवा करना।

विनम्र और ऋजु व्यवहार करना।

दुराग्रह से बचना।

तप-नियम आदि का विधिवत् पालन करना।

शास्त्र-ज्ञान का अभ्यास करना।

उक्त गुणों के पल्लवन और उन्नयन से औरो के दिलों में भी



धार्मिकता के प्रति अनुराग और धार्मिक के प्रति आदर तथा सम्मान की भावनाएँ जागृत होती हैं।

इस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति इन व्रतों और प्रतिमाओं की यथाशक्ति सम्यक आराधना कर, लक्ष्य के निकट पहुँच सकता है, अथवा उन क्षमताओं का अर्जन कर सकता है, जिनके आधार पर वह महाव्रतों की साधना भी अंगीकार कर सके।

